सर्व शिक्षा अभियान

पर्सपेक्टिव प्लान

2002–2007

जनपद–महोबा

पुष्पेन्द्र कुमार जैन
जिला समन्वयक
सामुदायिक सहभागिता

राम सिंह
सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी

देवेन्द्र कुमार सिंह
विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी
महोबा

अध्याय–1
जिला विवरण

भौगोलिक परिदृश्य :–

महोबा जनपद की स्थापना 11 फरवरी, 1995 को हमीरपुर जनपद को विभाजित करके की गई थी। वर्तमान में चित्रकूटधाम बाँदा का एक जनपद है। सन् 2002 में जनपद हमीरपुर से 21 ग्रामों को जनपद महोबा के कबरई विकास खण्ड में सम्मिलित किया गया है। यह जनपद उत्तर में 25.7^0 से 26.78^0 और पूर्व में 79.17^0 से 80.5^0 के मध्य स्थित है।

यह पूर्व में बाँदा पश्चिम में झांसी उत्तर में हमीरपुर जनपद एवं दक्षिण में मध्य प्रदेश के छतरपुर जनपद से घिरा है।

जनपद का अधिकांश भाग पथरीला एवं रेतीला है। यहाँ समतल मैदानों की कमी पायी जाती है। नदियो का आभाव होने के कारण इस जनपद की कृषि मुख्यतः वर्षा पर आधारित है।

संस्कृति एवं इतिहास :–

महोबा स्टेट का देश के इतिहास में गौरवशाली अध्याय रहा है। देशभक्त एवं वीरों के नाम से जानी जाने वाली यह भूमि आज भी आल्हा–ऊदल की वीरता की कहानियाँ यहाँ के लोगों के दिलो दिमाग में ताजी है। यहाँ के वीरता के लोकगीत आज भी संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग बने है, जिसमें कवि जगनिक द्वारा लिखी आल्हा खण्ड प्रमुख है।

यह स्टेट मध्य काल में गौर राजाओं के अधीन था। 7वीं एवं 8वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के बाद नाग, गहरवार, ब्राहमण तत्पश्चात् चन्देलों के अधीन रहा। चन्देलों ने शक्तिशाली सत्ता स्थापित कर 9वीं से 12वीं शताब्दी तक शासन किया तत्पश्चात् यह भाग दिल्ली सल्तनत के अधीन आ गया, जिसकी सत्ता बाद में मुगलों के हस्तान्तरित हो गई। मुगलों की सत्ता समाप्त होने के बाद, यह क्षेत्र पहले मराठों के अधीन तत्पश्चात् अंग्रेजों के अधीन रहा।

चन्देलों के समय यहाँ के राजा बहुत बड़े–2 महोत्सव आयोजन किया करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इस नगर का नाम महोत्सव नगर पड़ा। प्रसिद्व कवि चन्दरवरदाई ने अपनी रचना पृथ्वीराज रासों ने इस नगर को महतास नाम दिया है। दूसरे जैन इतिहास का जैमनी और राजशेखर ने अपनी किताबों में इस नगर को महोबा के नाम से प्रस्तुत किया है। कुछ पुस्तको में इसका नाम महोबया भी आता है।

जनपद में कुछ स्थान पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, जिनमे जैतपुर, चरखारी, महोबा आदि के प्रसिद्व स्थल मदन सागर, मनिया देव का मन्दिर, मनिया देव का किला, कीरत सागर, विजय सागर, बड़ी चन्द्रिका, आदि प्रसिद्व स्थित है। यहाँ का चरखारी में लगने वाला गोवर्धन मेला भी सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आर्थिक दृष्टि से गरीब यह जनपद

सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत सम्पन्न है। यहाँ के लोग लोकगीत, ढ़िबाली नृत्य, राई नृत्य, एवं लोक नाटकों में, नोटंकी आदि से मनोरंजन करते है। जो स्थानीय भाषा बुन्देली में आयोजित किये जाते है।

प्रशासनिक परिदृश्य :–

महोबा जनपद में तीन तहसीले एवं चार विकास खण्ड है। सन् 2002 में हमीरपुर जनपद के मौदहा विकास खण्ड की सोलह (16) ग्राम सभाओं की 21 बस्तियाँ महोबा जनपद के कबरई विकास खण्ड में सम्मिलित कर दी गई है, जिससे जनपद की कुल बस्तियों की संख्या बढ़कर 521 हो गई है। जनपद की प्रशासनिक संरख्ना निम्न प्रकार है।

सारणी 1.1

प्रशासनिक संरचना

राजस्व ग्राम	ग्राम पंचायत	न्याय पंचायत	विकास खण्ड	तहसील	कस्बों की संख्या	न.पा.	कुल बस्ती
436	247	39	4	3	3	2	521

जिला प्रशासन, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी द्वारा संचालित किया जाता है। तहसील स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी उप जिलाधिकारी है एवं विकास खण्ड स्तर पर विकास खण्ड स्तर पर विकास के कार्यों की जिम्मेदारी खण्ड विकास अधिकारी पर है। माध्यमिक शिक्षा के लिये प्रमुख अधिकारी जिला विद्यालय निरीक्षक, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रमुख शिक्षा अधिकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा पूर्व प्राथमिक स्तर के लिये जिला परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिम्मेदार है। विभिन्न विभाग जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा संचालित होते है। यद्यपि जनपद गठन के आठ वर्षों बाद पदों की स्थापना अभी तक नहीं हो पाई है।

व्यवसायिक/आर्थिक विवरण :–

कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत जनद के कोई भी औद्योगिक इकाई नहीं है। यद्यपि पत्थर खननके रूप में औद्योगिक कार्य चलता है। हैण्डीक्राफ्ट के रूप में भी कुछ अति लघु उद्योग स्थापित है। यहाँ पर आय का प्रमुख साधन कृषि है। जिसमें 80.80 प्रतिशत व्यक्ति कार्यरत है। इनमें से 91.30 प्रतिशत कृषक एवं 29.5 प्रतिशत कृषि मजदूर है। पानों की खेती यहाँ की मुख्य विशेषता है।

सारणी 1.2 (क)
व्यवसायिक विवरण

क्रम सं0	श्रेणी	कुल कार्यकर्ताओं का प्रतिशत
1.	कृषक	51.3
2.	कृषि मजदूर	29.5
3.	अन्य प्राथमिक व्यवसाय	2.02
4.	हाऊस होल्ड	2.20
5.	नॉन हाऊस होल्ड	1.9
6.	धन्धा एवं व्यवसाय	4.4
7.	अन्य	8.7

जनपद की कमजोर आर्थिक स्थिति इस आधार पर आकलित की जा सकती है कि यहाँ की 80 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है, जिसमें से लगभग 30 प्रतिशत कृषि मजदूर है। कुल कृषकों में से लगभग 45 प्रतिशत के पास 1.5 हेक्टेयर से भी कम कृषि भूमि है। जनपद की वहतायत जनसंख्या बेरोजगारी की शिकार है। डी.आर.डी.ए. के 1998–99 के आकड़ों के अनुसार लगभग 50 प्रतिशत परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे है।

जनपद की एक प्रमुख समस्या यहाँ की बेरोजगारी की शिकार जनता का औद्योगिक क्षेत्रों को पलायन वितरण वर्षों में वर्षा कम होने के कारण जनपद सूखा ग्रस्त रहा है। जिसके कारण लगभग 20 से 25 प्रतिशत जनसंख्या का औद्योगिक क्षेत्रों को पलायन हुआ है। यह पलायन प्राकृतिक परिस्थितयों पर निर्भर करता है। सामान्यतः 15 से 20 प्रतिशत तक पलायन जनपद में प्रत्येक वर्ष होता है। यह जनसंख्या जुलाई अगस्त में गाँव से औद्योगिक क्षेत्रों को चली जाती है एवं मार्च अप्रैल में पुनः वापिस आ जाती है, जिससे इनके बच्चों की शिक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। साथ ही इनके अधिकारों का, बच्चे नामांकन से वंचित रह जाते है।

डेमोग्राफिक फीचर्स :–

2001 की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या 708831 है, जिनमे से कुल पुरूष 379795 एवं कुल महिलायें 329036 है। परन्तु 21 ग्रामों के सम्मिलित हो जाने के बाद कुल पुरूष 398878 एवं कुल महिलायें 343433 है। इस प्रकार कुल जनसंख्या 744311 हो गई है। जनपद का लिंगानुपात 1000:866 है।

अध्याय–1
जिला विवरण

भौगोलिक परिदृश्य :–

महोबा जनपद की स्थापना 11 फरवरी, 1995 को हमीरपुर जनपद को विभाजित करके की गई थी। वर्तमान में चित्रकूटधाम बाँदा का एक जनपद है। सन् 2002 में जनपद हमीरपुर से 21 ग्रामों को जनपद महोबा के कबरई विकास खण्ड में सम्मिलित किया गया है। यह जनपद उत्तर में 25.7^0 से 26.78^0 और पूर्व में 79.17^0 से 80.5^0 के मध्य स्थित है।

यह पूर्व में बाँदा पश्चिम में झांसी उत्तर में हमीरपुर जनपद एवं दक्षिण में मध्य प्रदेश के छतरपुर जनपद से घिरा है।

जनपद का अधिकांश भाग पथरीला एवं रेतीला है। यहाँ समतल मैदानों की कमी पायी जाती है। नदियो का आभाव होने के कारण इस जनपद की कृषि मुख्यतः वर्षा पर आधारित है।

संस्कृति एवं इतिहास :–

महोबा स्टेट का देश के इतिहास में गौरवशाली अध्याय रहा है। देशभक्त एवं वीरों के नाम से जानी जाने वाली यह भूमि आज भी आल्हा–ऊदल की वीरता की कहानियाँ यहाँ के लोगों के दिलो दिमाग में ताजी है। यहाँ के वीरता के लोकगीत आज भी संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग बने है, जिसमें कवि जगनिक द्वारा लिखी आल्हा खण्ड प्रमुख है।

यह स्टेट मध्य काल में गौर राजाओं के अधीन था। 7वीं एवं 8वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के बाद नाग, गहरवार, ब्राहमण तत्पश्चात् चन्देलों के अधीन रहा। चन्देलों ने शक्तिशाली सत्ता स्थापित कर 9वीं से 12वीं शताब्दी तक शासन किया तत्पश्चात् यह भाग दिल्ली सल्तनत के अधीन आ गया, जिसकी सत्ता बाद में मुगलों के हस्तान्तरित हो गई। मुगलों की सत्ता समाप्त होने के बाद, यह क्षेत्र पहले मराठों के अधीन तत्पश्चात् अंग्रेजों के अधीन रहा।

चन्देलों के समय यहाँ के राजा बहुत बड़े–2 महोत्सव आयोजन किया करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इस नगर का नाम महोत्सव नगर पड़ा। प्रसिद्व कवि चन्दरवरदाई ने अपनी रचना पृथ्वीराज रासों ने इस नगर को महतास नाम दिया है। दूसरे जैन इतिहास का जैमनी और राजशेखर ने अपनी किताबों में इस नगर को महोबा के नाम से प्रस्तुत किया है। कुछ पुस्तको में इसका नाम महोबया भी आता है।

जनपद में कुछ स्थान पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, जिनमे जैतपुर, चरखारी, महोबा आदि के प्रसिद्व स्थल मदन सागर, मनिया देव का मन्दिर, मनिया देव का किला, कीरत सागर, विजय सागर, बड़ी चन्द्रिका, आदि प्रसिद्व स्थित है। यहाँ का चरखारी में लगने वाला गोवर्धन मेला भी सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आर्थिक दृष्टि से गरीब यह जनपद

सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत सम्पन्न है। यहाँ के लोग लोकगीत, दिवाली नृत्य, राई नृत्य, एवं लोक नाटकों में, नोटंकी आदि से मनोरंजन करते है। जो स्थानीय भाषा बुन्देली में आयोजित किये जाते है।

प्रशासनिक परिदृश्य :-

महोबा जनपद में तीन तहसीले एवं चार विकास खण्ड है। सन् 2002 में हमीरपुर जनपद के मौदहा विकास खण्ड की सोलह (16) ग्राम सभाओं की 21 बस्तियाँ महोबा जनपद के कबरई विकास खण्ड में सम्मिलित कर दी गई है, जिससे जनपद की कुल बस्तियों की संख्या बढ़कर 521 हो गई है। जनपद की प्रशासनिक संरख्ना निम्न प्रकार है।

सारणी 1.1

प्रशासनिक संरचना

राजस्व ग्राम	ग्राम पंचायत	न्याय पंचायत	विकास खण्ड	तहसील	कस्बों की संख्या	न.पा.	कुल बस्ती
436	247	39	4	3	3	2	521

जिला प्रशासन, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी द्वारा संचालित किया जाता है। तहसील स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी उप जिलाधिकारी है एवं विकास खण्ड स्तर पर विकास खण्ड स्तर पर विकास के कार्यों की जिम्मेदारी खण्ड विकास अधिकारी पर है। माध्यमिक शिक्षा के लिये प्रमुख अधिकारी जिला विद्यालय निरीक्षक, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रमुख शिक्षा अधिकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा पूर्व प्राथमिक स्तर के लिये जिला परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिम्मेदार है। विभिन्न विभाग जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा संचालित होते है। यद्यपि जनपद गठन के आठ वर्षों बाद पदों की स्थापना अभी तक नहीं हो पाई है।

व्यवसायिक/आर्थिक विवरण :-

कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत जनद के कोई भी औद्योगिक इकाई नहीं है। यद्यपि पत्थर खननके रूप में औद्योगिक कार्य चलता है। हैण्डीक्राफ्ट के रूप में भी कुछ अति लघु उद्योग स्थापित है। यहाँ पर आय का प्रमुख साधन कृषि है। जिसमें 80.80 प्रतिशत व्यक्ति कार्यरत है। इनमें से 91.30 प्रतिशत कृषक एवं 29.5 प्रतिशत कृषि मजदूर है। पानों की खेती यहाँ की मुख्य विशेषता है।

सारणी 1.2 (क)
व्यवसायिक विवरण

क्रम सं0	श्रेणी	कुल कार्यकर्ताओं का प्रतिशत
1.	कृषक	51.3
2.	कृषि मजदूर	29.5
3.	अन्य प्राथमिक व्यवसाय	2.02
4.	हाऊस होल्ड	2.20
5.	नॉन हाऊस होल्ड	1.9
6.	धन्धा एवं व्यवसाय	4.4
7.	अन्य	8.7

जनपद की कमजोर आर्थिक स्थिति इस आधार पर आकलित की जा सकती है कि यहाँ की 80 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है, जिसमें से लगभग 30 प्रतिशत कृषि मजदूर है। कुल कृषकों में से लगभग 45 प्रतिशत के पास 1.5 हेक्टेयर से भी कम कृषि भूमि है। जनपद की वहतायत जनसंख्या बेरोजगारी की शिकार है। डी.आर.डी.ए. के 1998–99 के आकड़ों के अनुसार लगभग 50 प्रतिशत परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे है।

जनपद की एक प्रमुख समस्या यहाँ की बेरोजगारी की शिकार जनता का औद्योगिक क्षेत्रों को पलायन वितरण वर्षों में वर्षा कम होने के कारण जनपद सूखा ग्रस्त रहा है। जिसके कारण लगभग 20 से 25 प्रतिशत जनसंख्या का औद्योगिक क्षेत्रों को पलायन हुआ है। यह पलायन प्राकृतिक परिस्थितयों पर निर्भर करता है। सामान्यतः 15 से 20 प्रतिशत तक पलायन जनपद में प्रत्येक वर्ष होता है। यह जनसंख्या जुलाई अगस्त में गाँव से औद्योगिक क्षेत्रों को चली जाती है एवं मार्च अप्रैल में पुनः वापिस आ जाती है, जिससे इनके बच्चों की शिक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। साथ ही इनके अधिकारों का, बच्चे नामांकन से वंचित रह जाते है।

डेमोग्राफिक फीचर्स :–

2001 की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या 708831 है, जिनमे से कुल पुरूष 379795 एवं कुल महिलायें 329036 है। परन्तु 21 ग्रामों के सम्मिलित हो जाने के बाद कुल पुरूष 398878 एवं कुल महिलायें 343433 है। इस प्रकार कुल जनसंख्या 744311 हो गई है। जनपद का लिंगानुपात 1000:866 है।

सारणी 1.3 (क)
विकास खण्डवार जनसंख्या

क्रम सं0	विकास खण्ड	जनसंख्या–2001			अनु.जाति की जनसंख्या		
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1.	कबरई	108506	91966	200472	108506	91966	200472
2.	जैतपुर	72596	62868	135464	20835	18043	38878
3.	पनवाड़ी	77370	67002	144372	23443	20302	43745
4.	चरखारी	55553	48108	103661	14721	12749	27470
5.	न.क्षे. महोबा	54782	47442	102224	10409	9014	19423
6.	न. चरखारी	30071	26041	56112	6165	5338	11503
	योग	398878	343433	744311	105195	90553	195748

उपर्युक्त जनसंख्या हमीरपुर जनपद के 21 ग्राम जिन्हे महोबा जनपद में शामिल किया गया है, की अनुमानित जनसंख्या के आँकलन के बाद की है।

उपर्युक्त आकड़ों को देखने से स्पष्ट है कि जनपद की जनसंख्या प्रदेश के सब जनपदों से सबसे कम है। यद्यपि क्षेत्रफल की दृष्टि से महोबा जनपद का स्थान 24वाँ है। इस प्रकार यहाँ का जनसंख्या घनत्व बहुत कम है जो कि प्रदेश में नीचे से तीसरे स्थान पर है।

अध्याय–2

जनपद का शैक्षिक परीदृश्य :–

महोबा का जनसंख्या घनत्व अधिकतर जनपदों से बहुत कम है। इसलिये बहुत सी बस्तियाँ इस प्रकार है जो मानक दूरी पर स्थित है परन्तु जनसंख्या कम होने के कारण विद्यालय सुविधा से वंचित है। जिला प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत प्राथमिक तक की शिक्षा के लिये लगभग सभी बस्तियों के लिये सेवित कर दिया गया है। उच्च प्राथमिक स्तर के लिये सेवित करने हेतु अब भी कुछ बस्तियाँ अवशेष है। जनपद में योजना के तहत शत प्रतिशत नामांकन ठहराव और गुणवत्ता वृद्वि पर भी जोर दिया जा रहा है।

साक्षरता दर :–

2001 की जनगणना के आधार पर जनपद महोबा की साक्षरता दर 54.23 प्रतिशत है जो कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 57.36 प्रतिशत से लगभग 3 प्रतिशत कम है। जनपद की पुरूष साक्षरता 66.83 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता 39.25 प्रतिशत है जो उत्तर प्रदेश की पुरूष एवं महिला साक्षरता से क्रमशः 3.4 एवं 3.5 प्रतिशत कम है।

जनपद में कराये गये शूक्ष्म नियोजन के आधार पर साक्षरता दर निम्नवत् है।

सारणी 2.1

क्रम सं.	जनसंख्या	साक्षरता प्रतिशत में
1.	कुल	54.23
2.	ग्रामीण	52.9
3.	शहरी	60.00
4.	कुल पुरूष	66.83
5.	कुल महिला	39.57
6.	ग्रामीण पुरूष	63.62
7.	ग्रामीण महिला	39.48
8.	शहरी पुरूष	70.02
9.	शहरी महिला	41.22

विकास खण्डवार साक्षरता दर :–

जनपद में कराये गये सूक्ष्म नियोजन के आधार पर साक्षरता दर देखने से ज्ञात होता है कि यह विकास खण्ड कबरई मे सबसे कम है। पुरूष साक्षरता दर विकास खण्ड जैतपुर में एवं महिला साक्षरता दर कबरई की निम्नतम् है।

सारणी 2.2

विकास खण्डवार साक्षरता

क्रम सं.	विकास खण्ड	साक्षरता 2001		
		पुरूष	महिला	योग
1.	पनवाड़ी	66.76	41.66	55.92
2.	जैतपुर	60.00	42.00	52.51
3.	चरखारी	68.56	41.50	56.37
4.	कबरई	63.67	34.96	49.70

शैक्षिणक संस्थायें :–

हमीरपुर जनपद के 21 गाँव के 29 प्राथमिक एवं 7 उच्च प्राथमिक विद्यालय सम्मिलित होने एवं डी.पी.ई.पी. द्वारा 35 नये विद्यालय खोले जाने के बाद जनपद मे प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 591 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 126 हो गई है। इसके अतिरिक्त 119 प्राथमिक मान्यता प्राप्त 62 मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय भी है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सत्र 2003–04 में 11 प्राथमिक एवं 56 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्वीकृति प्रदान हो चुकी है। इनके खुल जाने के बाद जनपद में 602 प्राथमिक विद्यालय एवं 182 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या हो जायेगी।

सारणी 2.3

क्र.	संस्था	राजकीय परिवदीय			मान्यता प्राप्त			योग		
		ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग
1.	प्रा. विद्यालय	586	16	602	45	81	126	631	97	728
2.	उ.प्रा.वि.	178	04	182	27	35	52	205	39	244
3.	केन्द्रीय पाठ्यक्रम आधारित	–	03	03	–	–	–	–	03	03
4.	नवोदय वि.	–	01	01	–	–	–	–	01	01
5.	हाईस्कूल	02	01	03	12	02	14	14	03	17
6.	इण्टरमीडिएट	04	02	06	05	03	08	09	05	14
7.	डिग्री कालेज	–	01	01	–	–	–	–	01	01
8.	स्नातकोत्तर महाविद्यालय	01	01	01	–	–	–	–	01	01
9.	विद्या केन्द्र	82	–	82	–	–	–	82	–	82
10.	वैकल्पिक केन्द्र	85	–	85	–	–	–	85	–	85
11.	आँगनवाड़ी केन्द्र	454	–	–	–	–	–	454	–	454

सत्र 2003–04 से सर्व शिक्षा अभियान की सुविधाओं से परिवदीय प्राथमिक एवं विद्यालयों के अतिरिक्त राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय (माध्यमिक संस्थाओं से सम्बद्ध) समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित एवं सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त विद्यालयों को भी आच्छादित किया जा रहा है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है।

क्रमांक	संस्था	प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	योग
1.	परिवदीय	602	182	784
2.	राजकीय माध्यमिक संस्था	–	06	06
3.	समाज कल्याा विभाग द्वारा	02	–	02
4.	सहायतित मान्यता प्राप्त जो उ.प्रा. तक संचालित है।	–	09	09
5.	सहायतित मान्यता प्राप्त जो माध्यमिक से सम्बद्ध है।	–	10	10
	योग	604	207	811

विद्यालय भवनों के प्रकार :–

जनपद के 602 परिवदीय विद्यालयों में से 21 विद्यालय निर्माणाधीन विद्यालय भवनहीन है एवं 35 विद्यालय जीर्ण–शीर्ण अवस्था मे है। अवशेष विद्यालयों में से 10 विद्यालय एक कक्षायें एवं विद्यालय 228 द्विकक्षायें है। इसी प्रकार 182 उ.प्र. विद्यालयो में से 74 विद्यालय निर्माणाधीन है। 2 विद्यालय भवनहीन एवं 2 विद्यालय जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है।

सारणी 2.5

स्कूल भवनों की स्थिति

क्रम सं.	भवन स्थिति	प्राथमिक विद्यालय		उच्च प्राथमिक विद्यालय	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	भवनहीन/ध्वस्त	49	8.9	07	6.9
2.	एक कक्षीय	10	1.6	–	–
3.	द्विकक्षीय	228	38.6	–	–
4.	तीन कक्षीय	289	48.9	122	96.83
5.	चार कक्षीय	14	2.4	–	–
	योग	591	100	126	100

नामांकन दर :–

सत्र 2002–03 में जनपद के 11 वय वर्ग के कुल 105175 बच्चों के सापेक्ष प्राथमिक विद्यालयों में 103220 बच्चों का प्रदेश था इस प्रकार जनपद की नामांकन दर 98.1 प्रतिशत थी जो कि विगत वर्ष की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत अधिक थी यह नामांकन दर में वृद्वि बालकों एवं बालिकाओ के लिये लगभग समान दर से थी।

सारणी 1.15

नामांकन दर : प्राथमिक स्तर

क्र.	सत्र	6 से 11 बर्ष के कुल बच्चे			नामांकित बच्चे			नामांकन बच्चे		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	1998–99	4536	39638	84984	42788	24868	67674	94.3	62.8	79.6
2.	1999–2000	46082	40262	86344	44699	39398	84097	96.9	97.8	97.4
3.	2000–01	50506	44127	94633	47197	41169	88366	93.4	93.3	93.35
4.	2001–02	55355	48363	103718	48840	43180	92040	88.23	89.3	88.7
5.	2002–03	56153	49022	105175	55129	48091	103220	98.1	98.1	98.1
6.	2003–04	64741	54073	118814	62218	51983	114201	96.1	96.1	96.1

नोट : सत्र 2003–04 के आंकड़े परिवार सर्वेक्षण एवं स्कूल चलों अभियान को रिपोर्ट पर आधारित है। अन्तिम सूचना 30 सितम्बर, 03 के बाद प्राप्त होगी।

विकास खण्डवार सत्र 2002–03 के लिये नामांकन दर (प्रा. स्तर)

जनपद के चारो विकास खण्डो में से विकास खण्ड की नामांकन दर सत्र 2002–03 में सबसे कम है जबकि बालिकाओं के लिये यह दर विकास खण्ड की सबसे कम है।

सारणी 2.7

क्र.	विकास खण्ड	कुल बच्चे			नामांकित बच्चे			नामांकन बच्चे		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	कबरई	14327	11616	25943	13764	10971	24735	96	94.4	95.2
2.	जैतपुर	12431	10212	23933	12275	10069	22344	98.7	98.5	98.2
3.	चरखारी	9525	7734	17259	9385	7576	16961	98.5	98.0	98.2
4.	पनवाड़ी	11138	9398	20536	10778	9025	19803	96.7	96.0	96.3
5.	न. क्षे. महोबा	6266	6059	12325	6065	5874	19803	96.8	97.0	96.9
6.	न. क्षे. चरखारी	1444	1303	2447	1285	2487	11949	89	92.3	90.7

जनपद में सत्र 2002–03 में 11 से 14 वय वर्ग के कुल 45817 बच्चों में से 31897 बच्चे अध्ययनरत थे। इस प्रकार उ0प्रा0 स्तर में बच्चों का सकल नामांकन अनुपात 69.65 प्रतिशत था।

सारणी

नामांकन दर : उच्च प्राथमिक विद्यालय

क्र.	सत्र	11 से 14 बर्ष के कुल बच्चे			नामांकित बच्चे			नामांकन दर		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	1999–2000	17479	11170	28649	9941	5618	15559	54.3	50.0	52.4
2.	2000–01	19157	12242	31399	11427	5967	17394	53.4	48.8	52.6
3.	2001–02	20942	13471	34413	12838	7471	20309	61.4	55.5	59.0
4.	2002–03	26952	18865	45817	18491	113406	31897	68.6	71.0	69.6

सारणी 2.9

संस्थावार नामांकन

प्राथमिक स्तर

क्र.	सत्र	परिषदीय/सरकारी			मान्यता प्राप्त			योग		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	1999–2000	35962	33890	69852	8733	5508	14241	44699	39398	84097
2.	2000–01	37205	34175	71380	9992	6994	16986	47197	41169	88366
3.	2001–02	38300	34536	72836	10540	8658	19204	48840	43180	92040
4.	2002–03	42032	37323	79355	13097	11768	23865	55129	49091	103220
5.	2003–04	47161	39247	86408	15045	12736	27781	62218	51983	114201

नोट : 2003–04 के आंकड़े परिवार सर्वेक्षण स्कूल चलो अभियान पर आधारित है। अन्तिम सूचना 30 सितम्बर, 03 के बाद प्राप्त हुई।

सारणी 2.10

संस्थावार नामांकन

उच्च प्राथमिक स्तर

क्र.	सत्र	परिषदीय/सरकारी			मान्यता प्राप्त			योग		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	1999–2000	4601	2201	6802	5340	3417	8756	9941	5618	15559
2.	2000–01	5145	2257	7407	6282	3710	9992	11427	5967	17394
3.	2001–02	5448	3260	8708	7390	4211	11601	12838	7471	20309
4.	2002–03	11043	7596	18639	7448	5810	13218	18491	13406	31857
5.	2003–04	13188	8898	22076	13103	8991	21544	26291	17339	43630

नोट : .....(ऊपर की तरह)

विकास खण्डवार स्कूल न जाने वाले बच्चे :-

जनपद में मई 2003 में परिवार सर्वेक्षण कराया गया था जिसमें अध्यापको ने ग्राम शिक्षा समित के सहयोग से डोर टू डोर जाकर सर्वेक्षण किया एवं विद्यालय न जाने वाले बच्चों का आंकलन जातिवार किया जिसका विवरण निम्नानुसार है।

सारणी 2.11

6 से 11 वर्ष के विद्यालय न जाने वाले बच्चे

क्र.	विकास खण्ड	सामान्य बच्चे		अनु.जाति/ज.जा.		पिछड़ी जाति		अल्पसंख्यक		कुल योग	
		बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
1.	कबरई	174	149	474	450	438	594	80	55	1166	1248
2.	चरखारी	02	02	50	60	76	90	10	08	138	160
3.	जैतपुर	03	00	22	22	97	94	14	10	136	126
4.	पनवाड़ी	23	28	289	147	190	204	134	148	636	627
5.	न.क्षे. महोबा	12	11	43	36	38	52	10	15	103	114
6.	चरखारी नगर	100	113	370	192	606	563	43	51	1119	919
7.	कबरई नगर	78	80	435	450	580	407	46	44	1038	981
8.	खरेला नगर	184	173	882	682	1238	1268	53	41	2357	2164

सारणी 2.12

11 से 14 वर्ष के विद्यालय न जाने वाले बच्चे

क्र.	विकास खण्ड	सामान्य बच्चे		अनु.जाति/ज.जा.		पिछड़ी जाति		अल्पसंख्यक		कुल योग	
		बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
1.	कबरई	35	23	148	195	251	308	45	27	479	553
2.	चरखारी	02	02	25	28	38	35	15	10	80	75
3.	जैतपुर	00	01	13	04	45	50	03	04	61	59
4.	पनवाड़ी	10	17	89	77	102	102	107	88	308	284
5.	न. क्षे. महोबा	09	02	14	18	06	09	05	05	34	34
6.	चरखारी नगर	104	50	171	190	244	540	20	18	539	598
7.	कबरई नगर	23	28	104	205	227	321	17	25	411	589
8.	खरेला नगर	81	97	385	377	511	660	22	22	999	1156

उपर्युक्त सारणियों को देखने से स्पष्ट है कि जनपद में सर्वाधिक पिछड़ी जाति के बच्चे विद्यालय नहीं जाते है। सर्वाधिक विद्यालय न जाने वाले बच्चे 6 से 11 एवं 11 से 14 वय वर्ग मे दोनो में ही कबरई विकास खण्ड है।

परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर पर विशिष्ट सूचकांक

जनपद महोबा एक नवसृजित जनपद है। जनपद निर्माण के बाद मान्यता प्राप्त विद्यालयों की संख्या में पर्याप्त वृद्वि हुई है। प्राथमिक स्तर को विशिष्ट सूचकांक सूची में यह स्पष्ट देखा जा सकता है कि 1999–2000 में जहाँ कुल नामांकन का परिषदीय नामांकन 83 प्रतिशत था। वही 2002–03 में यह प्रतिशत घटकर 76 हो गया है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है नवीन विद्यालय खुल जाने के बावजूद भी अध्यापको के नवीन पदों का सृजन न होना। जनपद में अध्यापक विद्यालय अनुपात 3:1 भी नहीं है जबकि मान्यता प्राप्त विद्यालयो मे यह अनुपात लगभग 5:1 है।

सारणी 2.13

प्राथमिक स्तर

सत्र	कुल नामांकन			परिषदीय नामांकन			प्रतिशत			गत वर्ष की तुलना में परिषदीय नामांकन में वृद्वि		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1999–2000	44699	39398	84097	35962	33890	69852	80.5	86.0	83.2	–	–	–
2000–01	47197	41169	88366	37215	34175	71380	78.9	83.0	80.9	3.5	0.8	2.2
2001–02	48840	43180	92040	38300	34536	72836	78.4	80.0	79.7	2.9	1.1	2.0
2002–03	55129	49091	103220	42032	37323	79355	76.2	76.0	76.1	9.7	8.1	8.9
2003–04	62218	51983	114201	47161	39247	86408	75.8	75.5	75.6	12.2	13.5	12.2

नोट (पूर्ववत)

सारणी 2.14

विशिष्ट सूचकांक उच्च प्राथमिक स्तर

सत्र	कुल नामांकन			परिषदीय नामांकन			प्रतिशत			गत वर्ष की तुलना में परिषदीय नामांकन में वृद्वि		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1999–2000	9941	5618	15559	4601	2201	6802	46.28	39.2	43.7	–	–	–
2000–01	11427	5967	17394	5145	2257	7407	45.02	38.0	42.6	11.7	2.3	8.9
2001–02	12838	7471	20309	5448	3260	8708	42.4	43.6	42.9	5.9	44.0	17.6
2002–03	18491	13406	31897	11043	7596	18639	59.7	56.7	58.4	102	133	117.5
2003–04	26291	17339	43630	13188	8898	22076	50.0	51.3	50.6	19.4	17.1	118.2

नोट (पूर्ववत)

उपर्युक्त आंकड़ों से देखने से स्पष्ट है कि सर्व शिक्षा अभियान लागू होने से पूर्व उच्च प्राथमिक स्तर में बच्चों का प्रवेश 50 प्रतिशत से अधिक से अधिक मान्यता प्राप्त संस्थानों की ओर का सर्व शिक्षा अभियान लागू होने के बाद यह रूझान परिषदीय विद्यालयों की ओर हो गया है। साथ ही साथ परिषदीय विद्यालयों के बच्चो के नामांकन के अभूतपूर्व वृद्वि हुई है जो कि दोगुने से भी अधिक है। इस वृद्वि का एक कारण जनपद महोबा मे हमीरपुर जनपद के 21 ग्रामों को सम्मिलित किया जाना भी है।

ट्रांजिसंन रेट एवं प्रोमोशन दर :–

निम्न तालिकाओं को देखने से स्पष्ट है कि कक्षा 5 से 55.6 प्रतिशत बच्चे कक्षा 6 में प्रवेश करते है। इस प्रकार ट्राजीशन दर 55.6 प्रतिशत है। विभिन्न कक्षाओं की प्रमोशन दर भी तालिकाओं में दी गई है।

नोट :– यह गणना हमीरपुर जनपद से 21 ग्राम आने से पूर्व आधार पर आंकलिक की गयी।

सारणी 2.15

कक्षा	प्रमोशन दर
1	95
2	97
3	85
4	93
5	55.6 (ट्रांजीशन दर)
6	88
7	86

ह्रास दर :–

सत्र 2002–03 में जनपद स्तर पर प्राथमिक विद्यालयो में बच्चों की कुल ह्रास दर 26 प्रतिशत थी जिसमें कक्षाओं की ह्रास दर 29 प्रतिशत एवं बालिकाओं की ह्रास दर 20 प्रतिशत थी।

सारणी 2.16

वर्ष	कक्षा–1		कक्षा–2		कक्षा–3		कक्षा–4		कक्षा–5	
1998–99	बालक	10581	बालक	10164	बालक	8863	बालक	8613	बालक	4567
	बालिका	7064	बालिका	6779	बालिका	5604	बालिका	3824	बालिका	2615
	योग	17645	योग	16945	योग	14497	योग	10637	योग	7182
1999–00	बालक	9285	बालक	9221	बालक	8732	बालक	7242	बालक	5377
	बालिका	7788	बालिका	7146	बालिका	6742	बालिका	4964	बालिका	3118
	योग	17073	योग	16367	योग	15474	योग	12206	योग	8415
2000–01	बालक	12524	बालक	10703	बालक	9848	बालक	7661	बालक	6217
	बालिका	11259	बालिका	8757	बालिका	7665	बालिका	9593	बालिका	3656
	योग	23783	योग	19460	योग	17513	योग	13210	योग	10128
2001–02	बालक	12005	बालक	12049	बालक	10404	बालक	8422	बालक	7139
	बालिका	10543	बालिका	10667	बालिका	8480	बालिका	6453	बालिका	5124
	योग	22548	योग	22716	योग	18884	योग	14875	योग	12263
2002–03	बालक	10581	बालक	14413	बालक	11922	बालक	9138	बालक	7514
	बालिका	7064	बालिका	12804	बालिका	10522	बालिका	8298	बालिका	5705
	योग	17645	योग	27220	योग	22444	योग	17436	योग	13219

सारणी 2.17

ह्रास दर उच्च प्राथमिक स्तर

सत्र	कक्षा–6		कक्षा–7		कक्षा–8	
2000–01	बालक	5201	बालक	4911	बालक	3976
	बालिका	3978	बालिका	3242	बालिका	2742
	योग	9179	योग	8153	योग	6718
2001–02	बालक	6552	बालक	4580	बालक	4208
	बालिका	4963	बालिका	3571	बालिका	2814
	योग	11515	योग	8151	योग	7022
2002–03	बालक	7937	बालक	6107	बालक	4447
	बालिका	4956	बालिका	4988	बालिका	3502
	योग	12893	योग	11015	योग	7949

उच्च स्तर पर कुल ह्रास दर 14 प्रतिशत है। जिसमें बालकों की ह्रास दर 15 प्रतिशत एवं बालिकाओं की ह्रास दर 12 प्रतिशत है।

शिक्षक उपलब्धता पर बल :–

जनपद में प्राथमिक स्तर मे कुल सृजित 1421 के विरूद्व 1281 अध्यापक कार्यरत है। इस प्रकार कुल 140पद रिक्त है। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्तर पर सृजित पद 630 के विरूद्व 269 शिक्षक कार्यरत है। इस प्रकार 361 पद रिक्त है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत खोले गये 18 प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की स्वीकृत हेतु आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। यदि प्रति उ0मा0वि0 मे 5 अध्यापकों की दर से गणना जी जाती है तो उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पदों की रिक्त 630 होगी ही। प्राथमिक स्तर में विद्यालयों में 40 बच्चो पर एक अध्यापक देने के हिसाब से 2160 अध्यापकों की आवश्यकता होगी। स्वीकृत पदों के बाद रिक्त पदों में आधे पद शिक्षा मित्रों द्वारा भरे जायेंगे। कुल 235 शिक्षा मित्रों के स्वीकृत पद के विरूद्व 224 शिक्षा मित्र कार्यरत है।

सारणी

विकास खण्डवार शिक्षक उपलब्धता

विकास खण्ड	प्राथमिक स्तर						उच्च प्राथमिक स्तर					
	अध्यापक			शिक्षा मित्र			अध्यापक			शिक्षा मित्र		
	सृजित	कार्यरत	रिक्त	सृजित	कार्यरत	रिक्त	सृजित	कार्यरत	रिक्त	सृजित	कार्यरत	रिक्त
पनवाड़ी	331	272	59	58	57	01	150	55	95	–	–	–
जैतपुर	308	274	34	59	54	05	135	61	74	–	–	–
कबरई	442	407	35	72	~~208~~ 67	05	208	86	05	–	–	–
चरखारी	250	238	12	46	~~125~~ 46	–	125	51	44	–	–	–
नगर क्षेत्र	90	90	–	–	–	16	20	04	–	–	–	–
योग	1421	1281	140	235	~~14~~ 224	~~269~~ 11	630	361	–	–	–	–

विद्या केन्द्र एवं वैकल्पिक केन्द्रों की स्थापना :-

जनपद में करवाये गये सर्वे के अनुसार वर्तमान में कुल 802 मजरे ऐसे है जो प्राथमिक स्तर की सेवा के लिये असेवित है। परन्तु प्राथमिक विद्यालय के मानक को पूर्ण नहीं करते है। अतः यहाँ पर विद्या केन्द्र सृजित किये जाते है। परिवार सर्वेक्षण के आधार पर कुल 7 से लेकर 11 वय वर्ग के 6090 बच्चे ऐसे है जो गृह कार्य मे लगे होने के कारण एवं 3034 बच्चे भाई बहिनों की देखभाल करने के कारण विद्यालय नहीं जा पाते है। इन बच्चों के लिये जनपद में विद्या केन्द्र संचालित किये है।

सारणी 2.19
विद्या केन्द्र एवं वैकल्पिक केन्द्र

क्रम सं.	सत्र	स्वीकृत संख्या		संचालित संख्या	
		विद्या केन्द्र	वैकल्पिक केन्द्र	विद्या केन्द्र	वैकल्पिक केन्द्र
1.	2000–01	50	10	37	09
2.	2001–02	100	100	50	10
3.	2002–03	100	100	35	20
4.	2003–04	100	100	82	85

शिक्षक छात्र अनुपात (क) प्राथमिक स्तर :-

जनपद में शिक्षक छात्र अनुपात की स्थिति बहुत ही खराब है। जहाँ 55 बच्चों पर एक अध्यापक की उपलब्धता होनी चाहिये वहीं प्राथमिक स्तर में यह उपलब्धता प्रति बच्चों पर एक अध्यापक 247 है। इसी प्रकार प्रति विद्यालय अध्यापक संख्या है। जनपद के विकास खण्ड पनवाड़ी में शिक्षक छात्र अनुपात सबसे अच्छी स्थिति में एवं विकास खण्ड कबरई में शिक्षक छात्र अनुपात सबसे दयनीय अवस्था में है।

सारणी 2.20
परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात

क्र.सं.	विकास खण्ड	विद्यालय संख्या	छात्र सं.	शिक्षक संख्या			छात्र / अध्यापक अनुपात
				अध्यापक संख्या	शिक्षमित्र संख्या	योग	
1.	कबरई	191	28942	407	67	474	61
2.	चरखारी	105	15233	238	46	284	54
3.	पनवाड़ी	140	15848	272	57	329	48
4.	जैतपुर	130	18214	274	54	328	56
5.	नगर क्षेत्र	25	5171	90	–	90	57
	योग	591	83408	1281	224	15.5	55

(ख) उच्च प्राथमिक स्तर में :–

जनपद में कुल 126 उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित है। जिसमें से 18 विद्यालय सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत खोले गये 56 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्वीकृति हो गई है। इन विद्यालयों में कुल 269 अध्यापक कार्यरत है। इस प्रकार प्रति विद्यालय अध्यापकों की संख्या 21 है। छात्र अध्यापक के आधार पर प्रति अध्यापक 44 छात्र संख्या है। इस तरह विकास खण्ड पनवाड़ी की स्थिति सबसे खराब एवं विकास खण्ड चरखारी की स्थिति अन्य से ठीक है।

सारणी 2.21

क्र.सं.	विकास खण्ड	विद्यालय संख्या	छात्र सं.	शिक्षक संख्या	छात्र अ0 अनुपात	अध्यापक अ0 अनुपात
1.	कबरई	40	3842	86	45	2.8
2.	चरखारी	25	1818	51	36	02
3.	पनवाड़ी	27	2944	55	54	02
4.	जैतपुर	30	2725	61	45	02
5.	नगर क्षेत्र	04	602	16	38	04
	योग	126	11931	269	44	2.1

परिषदीय/मान्यता प्राप्त विद्यालय उपलब्धता

(क) प्राथमिक स्तर :–

प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ होने से पूर्व जनपद मे कुल 46 ऐसी बस्तियाँ चिन्हित की गई जिनकी आबादी 300 से अधिक थी एवं जिनकी दूरी निकटतम प्राथमिक विद्यालय से 1.5 कि.मी. से भी अधिक थी परन्तु डी.पी.ई.पी. कार्यक्रम एवं सर्व शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत इन्हें संतृप्त कर दिया गया है।

सारणी 2.22

	1 कि.मी. से कम दूरी पर उपलब्ध विद्यालय	1 कि.मी. से अधिक दूरी किन्तु 1.5 कि.मी. से कम दूरी पर उपलब्ध विद्यालय	1.5 कि.मी. से अधिक दूरी पर विद्यालयों की उपलब्धता
ऐसी बस्तियों की सं. जिनकी आबादी 300 से अधिक है।	309	43	–
ऐसी बस्तियों की सं. जिनकी आबादी 300 से कम है।	54	35	80

(ख) <u>उच्च प्राथमिक स्तर</u> :–

सर्व शिक्षा अभियान प्रारम्भ होने से पूर्व जनपद में कुल 84 ऐसी बस्तियां थी जिनकी आबादी 800 से अधिक थी एवं निकटतम उ.प्रा.वि. की दूरी 3 कि.मी. से अधिक थी सन् 2002 में हमीरपुर जनपद के 21 गाँव सम्मिलित हो जाने के कारण ऐसी बस्तियों की संख्या 89 हो गयी है। इनमे से 18 बस्तियों के विद्यालयों की स्थापना की जा चुकी है। 56 स्थानो पर विद्यालय खोले जाने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इस प्रकार अब भी 15 ऐसी बस्तियाँ है। जहाँ विद्यालय खोले जाना अनिवार्य है।

<u>सारणी 2.23</u>

	1 कि.मी. से कम दूरी पर उपलब्धता	3 कि.मी. से अधिक दूरी पर उपलब्धता	प्रस्तावित उत्तर माध्यमिक विद्यालय
ऐसी बस्तियों की सं. जिनकी आबादी 800 से अधिक है।	349	15	15
ऐसी बस्तियों की सं. जिनकी आबादी 800 से कम है।	102	55	–

इन उपरोक्त बस्तियो की सूची निम्नानुसार है।

<u>विकास खण्ड : कबरई</u>

सुरहा	वरभौली	डहर्रा	ज्योरइया
बघारी	दमौरा	ढ़िकवाहा	बनियातला
लुहेड़ी	रतौली	कौहारी	रैवारा
सुकौरा	सिरसीकलाँ	किड़ारी	पलका
परसहा	खरका	चुरबुरा	बरा
कालीपहाड़ी	बीला दक्षिण	बरातपहाड़ी	कैमाहा
उरवारा	मिरतला	मामना	

<u>विकास खण्ड : चरखारी</u>

सालट	अरथौन	वपरेथा	नरेड़ी
करहराखुर्द	बम्हौरी बेलदारन	फतेहपुर	टिकरा
स्वासामॉफ	नौशारा	वरदा	तिसोनी

विकास खण्ड : पनवाड़ी

बुड़ेरा	दादरी	सिलारपुर	कोनियाँ
घुटई	तेलीपहाड़ी	धरवार	बागौल
महुआ	पिपरी	कुनाटा	लोधीपुरा
चौका	नटर्रा		

विकास खण्ड : जैतपुर

सतारी	कैथोरा	मझगवाँ	बछेछरकलाँ
बम्हौरीखुर्द	रजौनी	चमरूआ	सगुनियाँमाफ
कावाहा	भटेवराखुर्द	खिरियाकलां	सीगौन
वरेण्डाखुर्द	भगारी	मगरिया	भंडरवारा
रावतपुरा खुर्द	गंज		

नोट : उपर्युक्त 71 विद्यालयों की सूची में से 56 विद्यालय स्वीकृत हो चुके है। परन्तु जिला शिक्षा समिति की बैठक में बस्तियों का चयन नही हो पाया है। चयन होने के उपरान्त 15 बस्तियाँ उच्च प्राथमिक विद्यालय से वंचित रह जायेगी।

परिषदीय प्राथमिक एवं उ0प्रा विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं की स्थिति :–

जनपद के कुल 591 प्राथमिक एवं 126 उ0प्रा0वि0 में से 440 प्रा.विद्यालयों एवं 88 उच्च प्राथमिम विद्यालयों में शौचालय की सुविधा 468 प्राथमिक एवं 111 उ0प्रा0 विद्यालयों में पेयजल की सुविधा है। अवशेष विद्यालय इस सुविधा से विहीन है।

सारणी 2.24
भौतिक सुविधाओं की स्थिति

क्र.सं.	विकास खण्ड	विद्यालय संख्या		पेयजल सुविधा		शौचालय सुविधा		चहार दीवारी सुविधा	
		प्राथमिक	उ0प्रा0	प्राथमिक	उ0प्रा0	प्राथमिक	उ0प्रा0	प्राथमिक	उ0प्रा0
1.	कबरई	191	40	172	38	148	25	48	05
2.	चरखारी	105	25	85	23	91	20	12	05
3.	जैतपुर	130	27	90	17	88	20	32	07
4.	पनवाड़ी	140	30	114	30	113	22	35	04
5.	नगर महोबा	10	01	04	–	04	01	02	–
6.	नगर चरखारी	15	03	03	03	04	–	05	01
	योग	591	126	468	111	448	88	154	22

अध्याय–3

नियोजन प्रक्रिया :–

भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 46 की विचारधारा को दृष्टिगत रखते हुये 6 से 14 वय वर्ग के समस्त बच्चों को शिक्षित करने के लिये सर्व शिक्षा योजना एक महत्वाकाँक्षी अभियान है, जिसका मुख्य उद्देश्य 6 से 14 वय वर्ग के बच्चों को सन् 2007 तक कक्षा 1 से लेकर 8 तक की उपयोगी एवं गुणवत्ता परक शिक्षा दिलाना है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत लक्ष्य को पूरा करने के लिये नियोजन प्रक्रिया का प्रारम्भ कराया गया और सूक्ष्य स्तर से समस्याओं एवं रणनीति पर विचार करते हुये जिला स्तर पर सर्व शिक्षा योजना तैयार की गई। इस प्रकार इस प्रक्रिया में समुदाय की प्रबल सहभागिता रही और जनपद की मूल रूप से उन समस्याओं पर गहन अध्ययन किया गया जिसके कारण जनपद शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा रहा है।

सर्व शिक्षा योजना तैयार करते समय इस बात का पर्याप्त ध्यान रखा गया है कि योजना निर्माण कार्यान्वयन एवं पर्यवेक्षण में पर्याप्त विकेन्द्रीकरण हो इन्ही बातों को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज्य संस्थाओं ग्राम शिक्षा समितियों न्याय पंचायत को ही ब्लाक समुदाय समूह वे जिला सन्दर्भ समूह और सरकारी संगठन शिक्षक कर्मचारी और अधिकारियों की जबावदेही सुनिश्चित की गई है।

सूक्ष्म नियोजन तथा ग्राम शिक्षा योजना :–

जनपद महोबा मे एक अप्रैल, 2000 से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का प्रारम्भ हुआ। इसी योजना के तहत 231 ग्राम पंचायतों में से 150 ग्राम पंचायतों की ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण अप्रैल–मई, 2001 में सम्पन्न कराया गया था। अवशेष 01 ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण अक्टूबर–नबम्वर, 2001 में सम्पन्न हुआ था। इस प्रशिक्षण के माध्यम से डोर टू डोर सर्वे कराकर परिवार सर्वेक्षण प्रपत्र तैयार करवाये गये, जिसके आधार पर ग्राम शैक्षिक योजना तैयार करायी गई थी। इस सूक्ष्म नियोजन को करने में प्रत्येक वार्ड स्तर पर दो व्यक्तियों की एक टीम तैयार की गई। ग्राम पंचायत स्तर पर इस टीम का नाम कोर कमेटी दिया गया। इस सूक्ष्म नियोजन से निम्न विन्दुओं की सूचनायें एकत्रित की गई।

ग्राम मे शैक्षिक व्यवस्था क्या है :–

उपलब्ध विद्यालयों की क्या स्थिति है एवं किस चीज की आवश्यकता है। ग्राम पंचायत में कुल कितने परिवारों की संख्या है।

ग्राम पंचायत की वर्गवार संख्या क्या है। 0 से 6 एवं 6 से 11 एवं 11 से 14 वय वर्ग के कितने बच्चे है एवं उनमें से कितने बच्चे अध्ययनरत है और किस जेण्डर और किस वर्ग के बच्चे अध्ययनरत नहीं है।

विद्यालय न जाने का क्या कारण है इन्हें विद्यालय पहुँचने के लिये समुदाय द्वारा क्या क्रिया विधि की जानी चाहिये विद्यालयों की कमियों को पूरा करने के लिये समुदाय की क्या भागीदारी है एवं वह विभाग से क्या उपेक्षा रखते है।

1. क्या अध्यापको की संख्या मानक के अनुसार है।
2. क्या अध्यापक निर्यागत रूप से विद्यालय जाते है।
3. विद्यालय में अध्ययन कार्य एवं शैक्षिक गुणवत्ता की क्या शैक्षिक स्थिति है।
4. ग्राम पंचायत में कोई असेवित बस्ती में नहीं यदि हाँ तो वहाँ किस प्रकार की शिक्षा उपलब्ध कराई जा सकती है।

प्रशिक्षण के दौरान ग्राम वासियों के सहयोग से निम्न कार्य सम्पन्न कराये गये।

1. परिवार सर्वेक्षण।
2. शैक्षिक मान चित्रण।
3. सूचनाओं का विश्लेषण।
4. ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण।

ग्राम पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत समन्वयक ब्लाक संसाधन केन्द्र समन्यवय को संयोजक बनाया गया तथा यह प्रशिक्षण विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला समन्यवक सामु0 सह0 सहायक बेशिक शिक्षा अधिकारी एवं प्रति उप विद्यालय निरीक्षक के पर्यवेक्षण में सम्पन्न हुआ। सूक्ष्म नियोजन से प्राप्त समस्त सूचनाओं का संकलन न्याय पंचायत स्तर पर समन्वयक न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र तत्पश्चात् विकास खण्ड स्तर पर इनका संकलन ब्लाक संसाधन केन्द्र समन्वयक द्वारा किया गया। यह संकलन सहायक बेसिक अधिकारी एवं प्रति उप विद्यालय निरीक्षण के पर्यवेक्षण में हुआ।

माइक्रो प्लानिका से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर सर्व शिक्षा योजना के आधार पर मनके में आने वाली वस्तुओं में शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो का नियोजन किया जा रहा है। साथ ही साथ ग्रीष्म कालीन विद्या केन्द्रों का भी प्रावधान उन बच्चों के लिये किया जा रहा है, जिनके माता–पिता शैक्षिक सत्र में औद्योगिक क्षेत्रों में पलायन कर जाते है तथा उनके बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते है। इस प्रकार असेवित बस्तियों को सेवित करने के उद्देश्य स 1.5 कि.मी. की परिधि में प्राथमिक शैक्षिक व्यवस्था एवं 3 कि.मी. की परिधि में उच्च शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु नियोजन किया गया।

अपवंचित समुदाय के बच्चों एवं बालिकाओं को विद्यालय जाने हेतु साथ ही साथ समुदाय की विचार धारा को अनुकूल बनाने हेतु सामुदायिक सहभागिता बालिका शिक्षा तथा समेकित शिक्षा की विभिन्न गतिविधियों को योजनान्तर्गत लाया गया।

<u>परिवार सर्वेक्षण</u> :–

प्रारम्भिक शिक्षा के सविजनी 228 को पूरा करने के लिये जनपद के प्रत्येक परिवार के बच्चों की शैक्षिक स्थिति की जानकारी अनिवार्य होती है। इसके लिये यह अनिवार्य हो जाता है कि समय–समय प्रत्येक परिवार का शैक्षिक सर्वेक्षण कराया जाता रहे। ग्राम शिक्षा समिति प्रशिक्षण के प्रथम एवं द्वितीय चरणके साथ सम्पन्न कराये गये सूक्ष्म नियोजन के उपरान्त अप्रैल–मई, 2003 में नये सिरे से परिवार सर्वेक्षण का कार्य कराया गया।

<u>परिवार सर्वेक्षण क्यों</u> :–

परिवार सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य 6 से 14 वय वर्ग के ऐसे बच्चों को चिन्हित करना था जो अब भी प्राथमिक स्तर की शिक्षा से वंचित है। सर्वेक्षण के दौरान ऐसे बच्चों को दो वर्गो में बाँटा गया। प्रथम वे जिन्होंने विद्यालय में प्रवेश लिया ही नहीं। द्वितीय वे जिन्होंने विद्यालय में प्रवेश लेकर विद्यालय छोड़ दिया।

आयु वर्ग के आधार पर इन बच्चों को तीन वर्गों में बाँटा गया। प्रथम वर्ग में 5 से 7 वर्ष के, द्वितीय वर्ग में 7 से 11 वर्ष में तथा तृतीय वर्ग में 11 से 14 वर्ष के बच्चे आते है। इसमें से प्रथम वर्ग के बच्चों के प्रवेश की सम्भावना, और 2 में पूर्णतयाः रहती है। द्वितीय वर्ग ऐसा वर्ग है इन्हें

प्रवेश कराने के लिये विशेष रणनीति के तहत कार्य करना होगा। तृतीय वर्ग में लगभग आधे से अधिक ऐसे बच्चे है जो कक्षा 5 तक की शिक्षा पूर्ण कर चुके है। इन्हे जूनियर में प्रवेश कराये जाने की आवश्यकता है। परिवार सर्वेक्षण के तहत ऐसे परिवारों का भी चिन्हांकिन किया जाना है जो बच्चों को विद्यालय भेजने मे रूचि नहीं दिखाते है। साथ ही बच्चों के विद्यालय न जाने का क्या कारण है क्या बच्चे किसी प्रकार की विकलाँगता से ग्रसित तो नहीं है आदि तथ्यों का पता लगाया गया।

<u>परिवार सर्वेक्षण की प्रक्रिया</u> :–

I.C.C.M.R.T. लखनऊ में जनवारी माह में जिला समन्वयकों के प्रशिक्षण के उपरान्त जनपद में प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी राज्य परियोजना कार्यालय में यह मार्च, 2003 मे मिले आदेश के उपरान्त सर्व प्रथम 29 अप्रैल, 2003 को समस्त जिला समन्वयकों, सहायक बेशिक शिक्षा अधिकारियों, प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों, ब्लाक संसाधन केन्द्र समन्वयकों एवं न्याय पंचायत समन्वयकों का एक दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न कराया गया जिसमे इन्हें परिवार सर्वेक्षण प्रपत्र–1 सपरिवार की सूची 7 से लेकर विकास खण्ड स्तर के समस्त रजिस्टरों को भरने की जानकारी दी गई।

जिला स्तरीय प्रशिक्षण के आरात, विकास खण्ड स्तर पर समस्त अध्यापकों/सहयोगियों को बुलाकर एक दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न कराया गया सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर से अध्यापकों एवं सहयोगियो के महरे एवं वार्ड आवंटित किये गये । तत्पश्चात् 5 मई से लेकर 20 मई के मध्य इस टीम ने डोर–टू–डोर सर्वे करके परिवार सूचियाँ पूर्ण की। ये परिवार सूचिया परिवार के मुखिया के साक्षात्कार के उपरान्त की गई। इसमें साक्षात्कार के दौरान मुखिया से जिल प्रमुख विन्दुओं पर मुखिया से जानकारी की गई वह निम्न है।

1. मुखिया का नाम
2. परिवार का वर्ग
3. मुखिया का व्यवसाय
4. विभिन्न आयु वर्ग एवं लिंग के आधार पर परिवार के सदस्यों की संख्या
5. 0 से 14 वय वर्ग के बच्चों की जानकारी जिसमे बच्चे का नाम अविभावक का नाम, बच्चे का लिंग आयु आदि, विकलांगता हो तो प्रकार, क्या बच्चा विद्यालय जाता है या नहीं यदि विद्यालय जाता है तो किस कक्षा में नामांकित है। यदि नहीं पढ़ता है तो क्यों नहीं पढ़ता है एवं वर्तमान में क्या कर रहा है आदि।

उपर्युक्त सूचनायें परिवार सूची मे दर्ज करने के उपरान्त इन सूचियों का संकलन मजरे स्तर पर किया गया। मजरे स्तर से प्रत्येक सूचना न्याय पंचायत प्रभारी के माध्यम से विकास खण्ड स्तर पर संकलित की गई एवं विकास खण्ड स्तर से सूचना जिला स्तर पर संकलित की गई। जिला स्तर पर संकलित सूचनाओ से निम्न परिणाम प्राप्त हुये।

(क) कुल बच्चों की संख्या :–

परिवार सर्वेक्षण के द्वारा गणना करने पर ज्ञात हुआ कि जनपद में 6 से 11 वय वर्ग के कुल 118814 बच्चे है जिसमें 64741 बालक एवं 5473 बालिकायें है। इसी प्रकार 11 से 14 वय वर्ग के कुल 49889 बच्चे 27202 बालक एवं 20687 बालिकायें है। (तालिका 3.1)

(ख) विद्यालय जाने वाले एवं विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या :–

परिवार सर्वेक्षण के समय अर्थात् मई, 2003 की स्थिति के आधार पर 6 से 11 वय वर्ग के कुल 118814 बच्चों में से 18581 बच्चे विद्यालय जाते थे। जबकि 13033 बच्चे विद्यालय से बाहर थे। इस प्रकार 6 से 11 वय वर्ग का शुद्व नामांकन अनुपात 89 प्रतिशत था जबकि 11 से 14 वय वर्ग के यह अनुपात 87 प्रतिशत है। 11 से 14 वय वर्ग के कुल 49889 बच्चों में से कुल 43630 बच्चों का नांमांकन सर्वेक्षण के दौरान विद्यालय में अध्ययन थे, जातिवार विद्यालय जाने वाले और विद्यालय न जाने वाले।

उपर्युक्त सारणी को देखने से स्पष्ट है कि सर्वे अब के समय 6 से 14 वय वर्ग के 19292 बच्चे विद्यालय से बाहर थे। इसमें सर्वाधिक बच्चे अपने गृह कार्य में लगे होने के कारण विद्यालय नहीं जा पा रहे थे। गृह कार्य में लगे हुये बच्चों की संख्या 8077 थे। भाई बहिनों की देखभाल 5112 थे इस प्रकार घर से सम्बन्धित कार्यो में लगे हुये कुल बच्चों की संख्या 13187 हो जाती है। इसका मुख्य कारण क्षेत्र आर्थिक एवं पिछड़ा होने के कारण अभिभावकों का बच्चों के भविष्य की ओर ध्यान न देना है।

विद्यालय न जाने वाले बच्चों का विवरण

कारण	5+ से 6+		7 से 10+		11 से 14	
	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
1. अपने घर के कामों में लगे रहना	1256	1031	1366	1356	1525	1843
2. मजदूरी में लगे रहना	152	65	204	253	522	372
3. भाई–बहिनों की देख भाल में लगे रहना	800	1278	945	1020	313	756
4. विद्यालय दूर होने के कारण	144	85	99	75	57	161
5. अन्य	1207	871	521	305	494	216
योग	3559	3330	3135	3009	2911	3348

विकास खण्डवार विद्यालय न जाने वाले बच्चों का विवरण

6 से 14 वय वर्ग

क्रम संख्या	विकास खण्ड	सामान्य			अनु. जाति			अनु. जन जाति			पिछड़ी जाति			अल्प संख्यक			योग		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	कबरई	185	173	360	853	700	1598	06	04	10	1335	1362	2697	67	51	118	2448	2290	4783
2	चरखारी	114	124	238	412	228	640	01	-	01	644	515	1159	53	66	119	1222	933	2155
3	जैतपुर	68	80	148	430	450	885	-	-	-	588	609	1198	46	44	90	1132	1183	2321
4	पनवाड़ी	174	149	323	424	447	911	10	03	13	438	594	1032	80	55	135	1126	1248	2414
5	न. क्षे. महोबा	23	28	51	281	147	436	-	-	-	190	204	394	134	148	282	628	527	1163
6	न. क्षे. चरखारी	02	02	04	50	58	108	-	-	-	76	90	166	10	08	18	138	158	296
	योग	566	556	1124	2450	2030	4578	17	07	24	3271	3374	6646	390	372	762	6694	6339	13033

सारणी – 7.2

6 से 14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चे

क्रमांक	विकास खण्ड	सामान्य			सामान्य			सामान्य			सामान्य			सामान्य		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	कबरई	142	159	301	643	530	1173	987	1140	2127	54	99	153	1826	1928	3754
2	चरखारी	132	85	217	286	233	519	406	566	972	39	47	86	863	931	1793
3	जैतपुर	39	53	92	230	347	577	384	449	833	27	51	78	680	900	1580
4	पनवाड़ी	58	41	99	191	207	398	321	464	785	66	51	157	636	763	1399
5	नगर महोबा	14	21	35	148	126	274	144	155	299	140	61	201	446	363	809
6	नगर चरखारी	02	03	05	46	48	94	62	129	191	20	13	33	130	153	283
	योग	387	362	749	1544	1491	3035	2304	2903	5207	346	322	668	4581	5038	9619

विद्यालय जाने वाले एवं विद्यालय न जाने वाले बच्चे मई, 2003

जाति	कुल बच्चों की संख्या						स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या						स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या								
	6 से 11 वय वर्ग			11 से 14 वय वर्ग			6 से 11 वय वर्ग			11 से 14 वय वर्ग			5^+ से 6^+ वय वर्ग			7 से 10^+ वय वर्ग			11 से 14 वय वर्ग		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
सामान्य	8002	6857	14859	3348	3650	7998	7436	6301	13737	4084	3420	7504	387	358	745	179	198	377	264	230	494
अनु.जाति	19410	15704	35114	8686	5634	54320	16960	13674	30634	7703	4644	12347	1295	1131	2426	1155	899	2054	983	990	1973
अ.ज.जाति	36	17	53	06	05	11	19	10	29	01	01	01	05	02	07	12	05	17	06	04	10
पिछड़ी जाति	32992	27672	60664	13995	9483	23478	29721	24298	54019	12571	7558	20129	1684	1674	3358	1587	1700	3287	1424	1925	3349
अल्प सख्यक	4301	3323	8124	2167	1915	4082	3911	3451	7362	1933	1716	3649	188	165	353	202	260	409	234	199	430
योग	64741	54073	118814	29202	20687	49889	58047	47734	105781	26291	17341	43630	3559	3330	6889	3135	3009	6144	2911	3348	6259

अध्याय–4
राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित लक्ष्य

उद्देश्य एवं लक्ष्य :–

किसी भी बच्चे के सर्वांगीण विकास हेतु कि वह न्यूनतम प्राथमिक स्तर पर शिक्षित है। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुये देशो में संयुक्त राष्ट्र संघ एवं विश्व बैंक के सहयोग से यह प्रयत्न किया जा रहा है कि वहाँ 6 से 14 वय वर्ग के बच्चों को निः शुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाये। उसी श्रृंखला में सैनेगल के डरूर शहर में संयुक्त राष्ट्र के सहयोगी देशों का एक सम्मेलन हुआ है, जिसमें प्रमुख निम्न निर्णय लिये गये है।

1. अपवंचित वर्ग के बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा की व्यवस्था करना।
2. अल्प संख्यक वर्ग के बच्चों को 2015 तक गुणात्मक एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था देना।
3. 2015 तक 50 प्रतिशत साक्षर वृद्वि दर बेसिक एवं सतत शिक्षा के माध्यम से प्राप्त करना।
4. 2015 तक गुणवत्ता परक शिक्षा पर जोर देना है।
5. युवाओं को 2015 नक जीवनोपयोगी एवं उचित अधिगम हेतु शिक्षा प्राप्त कराना है।

इसी परिपेक्ष्य मे भारत सरकार द्वारा पहले बेसिक ऐजुकेशन प्रोग्राम बाद मे तीन चरण मे जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तत्पश्चात् सर्व शिक्षा अभियान प्रदेश सरकारों के माध्यम से लगभग सम्पूर्ण देश में चलाया जा रहा है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के सविजनी करण हेतु जनपद स्तर तक मुख्य रूप से निम्न लक्ष्य निर्धारित किये गये है।

1. सत्र 2002–03–04 तक सभी बच्चों का औपचारिक शिक्षा, शिक्षा गारन्टी केन्द्र, वैकल्पिक केन्द्र, ब्रिज कोर्स, ग्रीष्म कालीन शिविर, आदि के माध्यम से प्राथमिक स्तर तक की कक्षाओ मे पेवश कराना।
2. वर्ष 2007 तक समस्त बच्चों द्वारा कक्षा 5 तक की शिक्षा पूर्ण कर लेना।
3. बालक बालिका तथा समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा वर्ष 2010 तक उ0प्रा0 स्तर तक नामांकन ठहराव व सम्प्राप्ति के अन्तर को समाप्त करना।
4. वर्ष 2010 तक सार्वभौमिक ठहराव।

जनपद स्तर के लक्ष्यः-

(1) पहुंचः- कक्षा 5 तक की शिक्षा के लिये प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम एवं सर्व शिक्षा के अंतर्गत पूर्व में ही समस्त बस्तियां सेवित की जा चुकी हैं । उच्च प्राथमिक तक की शिक्षा के लिये सत्र 2003-04 के बजट में 56 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्वीकृति के बाद भी 15ऐसी बस्तियां अवशेष हैं जो उ0प्रा0वि0 को ले जाने का प्रावधान किया जा रहा है।

(2) नामांकनः- मई-जून,2003 में कराये गये परिवार सर्वेक्षण के समय जनपद में 6-11 वय वर्ग के बच्चों का शुद्व नामांकन अनुपात 89 प्रतिशत है जिसे इसी सत्र में बैकल्पिक केन्दों,विद्याकेन्द्रों,ब्रिज केन्द्र आदि के माध्यम से शत प्रतिशत किया जायेगा । सत्र 2010 तक सकल नामांकन की वृद्धि 108 प्रतिशत तक की जायेगी ।

सारणी

नामांकन लक्ष्य प्राथमिक स्तर

सत्र	6से11 वय वर्ग के बच्चों की वंख्या			6से 11 वय वर्ग के बच्चों का नामांकन			जी.ई.आर.
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
2001-02	55355	48363	103718	48840	45180	92040	88.7
2002-03	56153	49022	105575	55129	48092	103220	98.1
2003-04	64741	54073	118814	64741	54073	118814	100
2004-05	65776	54938	120714	66433	52381	121921	101
2005-06	66829	55817	122646	68834	53087	126325	103
2006-07	67898	56710	124608	71293	55032	130838	105
2007-08	68985	57618	126603	73124	57714	134199	106
2008-09	70088	58539	128627	74994	59205	137630	107
2009-10	71210	59476	130686	76960	60670	141140	108

मई–जून, 2003 मे करवाये गये परिवार सर्वेक्षण के आधार पर 11 से 14 वय वर्ग के बचों का शुद्व नामांकन अनुपात 87 प्रतिशत रहा 2006–07 में बढ़ाकर 100 प्रतिशत किया जायेगा। सत्र 2010 तक सकल नामांकन अनुपात 104 प्रतिशत किया जायेगा।

सारणी

11 से 14 वय वर्ग के उ0प्रा0 स्तर के बच्चों का नामाकन लक्ष्य

सत्र	11 से 14 वय र्ग के बच्चों की संख्या			11 से 14 वय वर्ग के बच्चों का नामांकन			जी.ई.आर.
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	(प्रतिशत)
2001–02	20942	13471	34413	12838	7471	20309	5.9
20012–03	26952	18865	45817	18491	13406	31897	69.6
2003–04	29202	20687	49889	26291	17339	43630	87.4
2004–05	29669	21017	50686	26998	19126	46124	91
2005–06	30144	21354	51498	28637	20286	48923	95
2006–07	30626	21696	52322	30626	21696	52322	100
2007–08	31116	22043	53159	22263	31427	53690	101
20018–09	31614	22395	54009	32042	23047	550089	102
2009–10	32119	22754	54873	33404	23664	57068	104

वृद्वि के आधार बनाकर प्राप्त की गई है। तत्पश्चात् सकल नामांकन अनुपात निकाला गया है।

ठहराव के लक्ष्य :–

सर्व शिक्षा अभियान के तहत 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर शत प्रतिशत ठहराव का लक्ष्य रखा गया है, जिसके आधार पर ड्राप आऊट को कम कर 2007 तक प्राथमिक स्तर के तथा 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर की ड्राप आऊट दर 0 प्रतिशत की जायेगी। इस समयान्तराल के दौरान ड्राप आऊट में वार्षिक कमी निम्न अनुसार होगी।

प्राथमिक स्तर पर ड्राप आऊट की दर

सारणी संख्या 4.3

वर्ष	प्राथमिक स्तर की ड्राप आऊट की दर	ठहराव दर
2001–02	35	65
2002–03	27	73
2003–04	24	76
2004–05	18	82
2005–06	10	90
2006–07	05	95
2007–08	00	100
2008–09	00	100
2009–10	00	100

यह परियोजना क्रियान्वयन के दौरान जनपद में ड्राप आऊट के सम्बन्ध में हुई प्रगति तथा अनुसरण हेतु प्रत्येक वर्ष पर प्राथमिक स्तर का ड्राप आऊट तथा उच्च प्राथमिक स्तर का ड्राप आऊट ज्ञात करने हेतु प्रथक–प्रथक की होल्ट स्टडी करायी जायेगी।

उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्राप आऊट की दर

जनपद में वर्तमान में उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्राप आऊट की दर 60 प्रतिशत है, जिसे सत्र 2010 तक शून्य प्रतिशत तक से नापा जायेगा। विभिन्न वर्षों में ड्राप आऊट निम्न आधार पर शून्य किया जायेगा।

सारणी संख्या 4.4

वर्ष	प्राथमिक स्तर की ड्राप आऊट की दर	ठहराव दर
2001–02	68	40
2002–03	55	45
2003–04	45	55
2004–05	33	65
2005–06	30	70
2006–07	25	75
2007–08	20	80
2008–09	10	90
2009–10	00	100

अध्याय–5

समस्याये एवं रणनीति :–

जनपद महोबा उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। मध्य प्रदेश से सटा हुआ आर्थिक एवं शैक्षिक दृष्टि से एक पिछड़ा जनपद है। यहाँ की भूमि पठारी होने के कारण पर्याप्त कृषि क्षेत्र का अभाव है। साथ हीसाथ अन्य भौतिक सुविधायें न होने के कारण सरकार के द्वारा इस क्षेत्र के औद्योगीकरण हेतु पर्याप्त कदम् नहीं उठाये गये है। परिणाम स्वरूप यहाँ की गरीब जनता रोजगार की तलाश में औद्योगिक क्षेत्रों को पलायन करने को मजबूर है। इसका सीधा परिणाम उनके बच्चों के भविष्य एवं उनके शैक्षिणक सुविधाओं पर पड़ता है या तो बच्चे अपने परिवार के साथ पलायन कर जाते है और शिक्षा से वंचित रह जाते है। यदि वे माता के साथ घर में रहते भी है तो उन्हें घर के कार्य के साथ–2 छोटे–मोटे आय अर्जन के साधनों की तलाश करनी होती है।

सर्व शिक्षा अभियान प्रारम्भ होने से पूर्व 5–6 नवम्बर 2001 में सीमेन्ट इलाहाबाद में प्रशिक्षण कराया गया था। तत्पश्चात् जनपद में विभिन्न गाँवों/मजरों/नगरों में फोकस ग्रुप डिसकसन कराया गया, जिसका विस्तृत विवरण अध्याय 3 में दिया जा चुका है। इस फोकस डिसकसन के परिणाम स्वरूप मई–जून, 2003 में कराये गये परिवार सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप जनपद में विभिन्न प्रकार की समस्यायें तथा उनके समाधान हेतु लोगों के सुझाव प्राप्त हुये, जिसके स्पष्ट होता है कि जनपद में नामांकन की तुलना में उपिस्थिति एवं ठहराव की समस्या अधिक जटिल है। इसके प्रमुख कारण जुलाई–अगस्त में बच्चों के प्रवेश उपरान्त सितम्बर–अक्टूबर में व्यक्तियों का पलायन जनपद में चल रहे पत्थर खनन, पान की खेती, कृषि मजदूरी है। इस प्रकार जनपद की सामान्य एवं विशिष्टसमस्याओ को दृष्टिगत रखते हुये नामांकन ठहराव उपस्थिति एवं गुणवत्तां को आधार बनाते हुये निम्न समस्याओं पर विन्दुवार रणनीतियाँ तैयार की गई है।

	समस्यायें	रणनीति
(क)	शिक्षा की पहुँच सम्बन्धी समस्यायें	
1.	उच्च प्राथमिक स्तर के लिये अब भी कुछ असेवित बस्तियाँ।	मानक मे आने वाली बस्तियों में उ0प्रा0 विद्यालय खोले जायेंगे।

2.	जनपद की विरल आबादी।	जो बस्तियाँ विद्यालय के मानक में नहीं आती है परन्तु विद्यालय जाने वाले बच्चे है वहाँ वैकल्पिक केन्द्र, ए.आई.ई. विद्या केन्द्र आदि खोले जायेंगे।
3.	कुछ परिवार रोजगार की तलाश में औद्योगिक क्षेत्रों को पलायन कर जाते है।	इनके बच्चों से बृजकोर्श की स्थापना की जायेगी।
4.	भौगोलिक समस्यायें।	महोबा जनपद में पर्वत, जंगल, नाले आदि भौगोलिक आपदायें है। इनसे प्रभावित बस्तियों में विशेष शिक्षा केन्द्र खोले जायेंगे।
(ख)	<u>ठहराव सम्बन्धी</u>	
1.	समुदाय में जागरूकता का अभाव।	कला जत्था बाल मेला प्राविधानों, दूरस्थ शिक्षा प्रचार–प्रसार पुरूषकार आदि प्रावधानों के साथ ग्राम शिक्षा समितियों, ग्राम कोर कमेटी डब्ल्यू. एम.जी.पी.टी.ए. आदि को प्रशिक्षित किया जायेगा।
2.	अतिरिक्त कक्षोंकी शौचालयों/पेयजल चाहर दीवारी का अभाव।	विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा, शौचालयों, हैण्डपम्प चाहर दीवारी के साथ–2 वातावरण सृजन हेतु विद्यालय अनुदान की व्यवस्था की जायेगी।
3.	बुन्देलखण्डी विचार धारा एवं जैसे बालिकाओं की जल्दी शादी उनसे घर का काम कराना एवं घर से न निकलने देना आदि।	लिंग सम्बेदीकरण प्रशिक्षण ई.जी.सी.ई. केन्द्रो की स्थापना ग्रीष्म कालीन शिविरों का आयोजन एस.यू.पी.डब्ल्यू. की स्थापना एंव वी.डी.ओ. फिल्मों का प्रदर्शन।
4.	शिक्षा का व्यवसायिक आधार न होना।	पाठ्य के साथ–2 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षा के कार्यक्रमों को जोड़ा जायेगा। ग्रामीण अंचलों में बालकों के लिये कृषि सम्बन्धी कुटीर उद्योगों से सम्बन्धित अध्ययन की व्यवस्था की जायेगी वहीं बालिकाओं के लिये सिलाई–कढ़ाई फल संरक्षण मेंहदी आदि की शिक्षा व्यवस्था की जायेगी।

5.	रूचि पूर्ण शिक्षा का अभाव।	प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों द्वारा रूचिपूर्ण शिक्षा प्रदान कराई जायेगी।
6.	अध्यापकों का छात्रों के प्रति व्यवहार।	सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण के माध्यम से अध्यापकों का छात्रों के प्रति व्यवहार में परिवर्तन लाया जायेगा।
7.	अध्यापकों की कमी।	छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर शिक्षा मित्रो की चयन कार्यवाही की जायेगी।
8.	अध्यापकों से अन्य कार्य लिये जाना।	आवश्यक राष्ट्रीय कार्यों के अतिरिक्त अध्यापकों से अन्य कार्य नहीं कराये जायेंगे, अतिरिक्त कार्य अध्यापकों से ग्रीष्म कालीन अवकाश में ही लिये जायेगें।
9.	विद्यालय वातावरण आकर्षण न होना एवं पर्याप्त सुविधाओ का अभाव।	प्रत्येक विद्यालय को विद्यालय विकास अनुदान का प्राविधान किया जायेगा तथा क्षमता संवर्धन की व्यवस्था की जायेगी।
10.	आर्थिक पिछड़ापन।	कक्षा 1 से 8 तक समस्त बच्चों को निःशुल्क पुस्तकों की व्यवस्था की जायेगी।
(ग)	<u>गुणवत्ता सम्बन्धी</u>	
1.	कतिपय अध्यापको की योग्यता में कमी।	न्याय पंचायत विकास खण्ड एवं जिला स्तर पर शैक्षिक समूहों का गठन कर अध्यापकों को यथासम्भव अपने विषय पढ़ाने के योग्य बनाया जायेगा।
2.	अध्यापकों का शिक्षण में रूचि का अभाव।	अध्यापकों में प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास किया जायेगा। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगितायें आयोजित कर योग्य आध्यापकों को पुरूष्कृत किया जायेगा।

प्राथमिक स्तर पर ड्राप आऊट की दर

सारणी संख्या 4.3

वर्ष	प्राथमिक स्तर की ड्राप आऊट की दर	ठहराव दर
2001–02	35	65
2002–03	27	73
2003–04	24	76
2004–05	18	82
2005–06	10	90
2006–07	05	95
2007–08	00	100
2008–09	00	100
2009–10	00	100

यह परियोजना क्रियान्वयन के दौरान जनपद में ड्राप आऊट के सम्बन्ध में हुई प्रगति तथा अनुसरण हेतु प्रत्येक वर्ष पर प्राथमिक स्तर का ड्राप आऊट तथा उच्च प्राथमिक स्तर का ड्राप आऊट ज्ञात करने हेतु प्रथक–प्रथक की होल्ट स्टडी करायी जायेगी।

उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्राप आऊट की दर

जनपद में वर्तमान में उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्राप आऊट की दर 60 प्रतिशत है, जिसे सत्र 2010 तक शून्य प्रतिशत तक से नापा जायेगा। विभिन्न वर्षों में ड्राप आऊट निम्न आधार पर शून्य किया जायेगा।

सारणी संख्या 4.4

वर्ष	प्राथमिक स्तर की ड्राप आऊट की दर	ठहराव दर
2001–02	68	40
2002–03	55	45
2003–04	45	55
2004–05	33	65
2005–06	30	70
2006–07	25	75
2007–08	20	80
2008–09	10	90
2009–10	00	100

अध्याय–5

समस्याये एवं रणनीति :–

जनपद महोबा उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। मध्य प्रदेश से सटा हुआ आर्थिक एवं शैक्षिक दृष्टि से एक पिछड़ा जनपद है। यहाँ की भूमि पठारी होने के कारण पर्याप्त कृषि क्षेत्र का अभाव है। साथ हीसाथ अन्य भौतिक सुविधायें न होने के कारण सरकार के द्वारा इस क्षेत्र के औद्यांगीकरण हेतु पर्याप्त कदम् नहीं उठाये गये है। परिणाम स्वरूप यहाँ की गरीब जनता रोजगार की तलाश में औद्योगिक क्षेत्रों को पलायन करने को मजबूर है। इसका सीधा परिणाम उनके बच्चों के भविष्य एवं उनके शैक्षिणक सुविधाओं पर पड़ता है या तो बच्चे अपने परिवार के साथ पलायन कर जाते है और शिक्षा से वंचित रह जाते है। यदि वे माता के साथ घर में रहते भी है तो उन्हें घर के कार्य के साथ–2 छोटे–मोटे आय अर्जन के साधनों की तलाश करनी होती है।

सर्व शिक्षा अभियान प्रारम्भ होने से पूर्व 5–6 नवम्बर 2001 में सीमेन्ट इलाहाबाद में प्रशिक्षण कराया गया था। तत्पश्चात् जनपद में विभिन्न गाँवों/मजरों/नगरों में फोकस ग्रुप डिसकसन कराया गया, जिसका विस्तृत विवरण अध्याय 3 में दिया जा चुका है। इस फोकस डिसकसन के परिणाम स्वरूप मई–जून, 2003 में कराये गये परिवार सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप जनपद में विभिन्न प्रकार की समस्यायें तथा उनके समाधान हेतु लोगों के सुझाव प्राप्त हुये, जिसके स्पष्ट होता है कि जनपद में नामांकन की तुलना में उपिस्थिति एवं ठहराव की समस्या अधिक जटिल है। इसके प्रमुख कारण जुलाई–अगस्त में बच्चों के प्रवेश उपरान्त सितम्बर–अक्टूबर में व्यक्तियों का पलायन जनपद में चल रहे पत्थर खनन, पान की खेती, कृषि मजदूरी है। इस प्रकार जनपद की सामान्य एवं विशिष्टसमस्याओ को दृष्टिगत रखते हुये नामांकन ठहराव उपस्थिति एवं गुणवत्तां को आधार बनाते हुये निम्न समस्याओं पर विन्दुवार रणनीतियाँ तैयार की गई है।

	समस्यायें	रणनीति
(क)	शिक्षा की पहुँच सम्बन्धी समस्यायें	
1.	उच्च प्राथमिक स्तर के लिये अब भी कुछ असेवित बस्तियाँ।	मानक मे आने वाली बस्तियों में उ0प्रा0 विद्यालय खोले जायेंगे।

2.	जनपद की विरल आबादी।	जो बस्तियाँ विद्यालय के मानक में नहीं आती है परन्तु विद्यालय जाने वाले बच्चे है वहाँ वैकल्पिक केन्द्र, ए.आई.ई. विद्या केन्द्र आदि खोले जायेंगे।
3.	कुछ परिवार रोजगार की तलाश में औद्योगिक क्षेत्रों को पलायन कर जाते है।	इनके बच्चों से बृजकोर्श की स्थापना की जायेगी।
4.	भौगोलिक समस्यायें।	महोबा जनपद में पर्वत, जंगल, नाले आदि भौगोलिक आपदायें है। इनसे प्रभावित बस्तियों में विशेष शिक्षा केन्द्र खोले जायेंगे।
(ख)	<u>ठहराव सम्बन्धी</u>	
1.	समुदाय में जागरूकता का अभाव।	कला जत्था बाल मेला प्राविधानों, दूरस्थ शिक्षा प्रचार–प्रसार पुरूषकार आदि प्रावधानों के साथ ग्राम शिक्षा समितियों, ग्राम कोर कमेटी डब्ल्यू. एम.जी.पी.टी.ए. आदि को प्रशिक्षित किया जायेगा।
2.	अतिरिक्त कक्षोंकी शौचालयों/पेयजल चाहर दीवारी का अभाव।	विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा, शौचालयों, हैण्डपम्प चाहर दीवारी के साथ–2 वातावरण सृजन हेतु विद्यालय अनुदान की व्यवस्था की जायेगी।
3.	बुन्देलखण्डी विचार धारा एवं जैसे बालिकाओं की जल्दी शादी उनसे घर का काम कराना एवं घर से न निकलने देना आदि।	लिंग सम्बेदीकरण प्रशिक्षण ई.जी.सी.ई. केन्द्रो की स्थापना ग्रीष्म कालीन शिविरों का आयोजन एस.यू.पी.डब्ल्यू. की स्थापना एंव वी.डी.ओ. फिल्मों का प्रदर्शन।
4.	शिक्षा का व्यवसायिक आधार न होना।	पाठ्य के साथ–2 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षा के कार्यक्रमों को जोड़ा जायेगा। ग्रामीण अंचलों में बालकों के लिये कृषि सम्बन्धी कुटीर उद्योगों से सम्बन्धित अध्ययन की व्यवस्था की जायेगी वहीं बालिकाओं के लिये सिलाई–कढ़ाई फल संरक्षण मेंहदी आदि की शिक्षा व्यवस्था की जायेगी।

5.	रूाच पूण ाशक्षा का अभाव।	प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों द्वारा रूचिपूर्ण शिक्षा प्रदान कराई जायेगी।
6.	अध्यापकों का छात्रों के प्रति व्यवहार।	सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण के माध्यम से अध्यापकों का छात्रों के प्रति व्यवहार में परिवर्तन लाया जायेगा।
7.	अध्यापकों की कमी।	छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर शिक्षा मित्रो की चयन कार्यवाही की जायेगी।
8.	अध्यापकों से अन्य कार्य लिये जाना।	आवश्यक राष्ट्रीय कार्यों के अतिरिक्त अध्यापकों से अन्य कार्य नहीं कराये जायेंगे, अतिरिक्त कार्य अध्यापकों से ग्रीष्म कालीन अवकाश में ही लिये जायेगें।
9.	विद्यालय वातावरण आकर्षण न होना एवं पर्याप्त सुविधाओ का अभाव।	प्रत्येक विद्यालय को विद्यालय विकास अनुदान का प्राविधान किया जायेगा तथा क्षमता संवर्धन की व्यवस्था की जायेगी।
10.	आर्थिक पिछड़ापन।	कक्षा 1 से 8 तक समस्त बच्चों को निःशुल्क पुस्तकों की व्यवस्था की जायेगी।
(ग)	<u>गुणवत्ता सम्बन्धी</u>	
1.	कतिपय अध्यापको की योग्यता में कमी।	न्याय पंचायत विकास खण्ड एवं जिला स्तर पर शैक्षिक समूहों का गठन कर अध्यापकों को यथासम्भव अपने विषय पढ़ाने के योग्य बनाया जायेगा।
2.	अध्यापकों का शिक्षण में रूचि का अभाव।	अध्यापकों में प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास किया जायेगा। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगितायें आयोजित कर योग्य आध्यापकों को पुरूष्कृत किया जायेगा।

3.	शैक्षिक निरीक्षण एवं मूल्यांकन का अभाव।	ए.वी.एस.ए./एस.डी.आई.वी. आर.सी.आई.एन.पी. आर.सी./उप बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं डायट के न्यूनतम निरीक्षण किये जायेगें। साथ–2 उचित मूल्यांकन हेतु इनका प्रशिक्षण कराया जायेगा।
4.	अध्यापकों द्वारा शिक्षण में सहायक सामग्री का उपयोग न किया जाना।	प्रत्येक अध्यापक को सहायक सामग्री हेतु धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी इसके निर्माण हेतु प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा तथा विभिन्न स्तरों पर प्रदर्शनी का आयोजन किया जायेगा। अच्छी सहायक सामग्री बनाने वाले अध्यापकों को पुरूष्कृत किया जायेगा। साथ–साथ वी. एल.एम. सम्बन्धी एवं पुस्तक निकाली जायेगी।
(घ)	<u>क्षमता संवर्धन</u>	यद्यपि डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा
1.	जिला स्तर पर पर्याप्त सुविधाओं का अभाव।	के लिये सुविधायें जुटाई गई है। परन्तु उच्च प्राथमिक को साथ लेने के लिये डायट डी.पी. ओ. स्तर पर निमित्त की प्रकार की सुविधायें जैसे : कम्प्यूटर, फर्नीचर आदि का व्यस्थायें की जायेगी।
2.	ब्लाक स्तर पर	ब्लाक स्तर पर कार्य में वृद्वि देखते हुये सूचनाओं के एकत्रीकरण हेतु कम्प्यूटर रूम की व्यवस्था एवं अन्य सहायक सामग्री की व्यवस्था का प्राविधान किया जायेगा।
3.	.न्याय पंचायत स्तर पर।	न्याय पंचायत स्तर पर आवश्यक उपकरण फर्नीचर आदि के साथ बुक बैंक की स्थापना का प्राविधान किया जायेगा।

उपर्युक्त समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुये सर्व शिक्षा योजनायें बजट का प्रावधान किया जायेगा।

अध्याय–6

शिक्षा की पहुँच का विस्तार (नवीन औपचारिक विद्यालय)

नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना :–

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ होने से पूर्व एक सर्वेक्षण के तहत जनपद में 47 ऐसी बतिस्यों का चिन्हांकन किया गया था जो नवीन प्राथमिक विद्यालय को खोले जाने का मानक पूरा करती थी, अर्थात् जिनकी निकटतम प्राथमिक विद्यालय से न्यूनतम दूरी 1.5 कि.मी. एवं जिनकी आबादी 300 से अधिक थी। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम एवं सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना कर दी गई है। अतः उनमें नवीन विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता नहीं है।

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना :–

सर्व शिक्षा अभियान प्रारम्भ होने से पूर्व जनपद में कराये गये सर्वेक्षण के अनुसार 84 ऐसी बस्तियाँ चिन्हित की गई थी, जो उच्च प्राथमिक विद्यालय के मानक को पूरा करती है। जनपद में हमीरपुर जनपद के ग्राम सम्मिलित होने के बाद इनकी संख्या में वृद्वि होकर 89 हो गई है। इनमें से 18 बस्तियों में विद्यालय खोले जा चुके है। 56 विद्यालयों की स्वीकृति राज्य परियोजना कार्यालय से प्राप्त हो चुकी है। अवशेष 15 विद्यालयों का प्रावधान सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत किया जा रहा है।

सत्र	प्राथमिक स्तर			उच्च प्राथमिक स्तर			अभ्युक्ति
	कुल असेवित बस्तियाँ	प्रस्तावित विद्यालय	अवशेष बस्तियाँ	कुल असेवित बस्तियाँ	प्रस्तावित विद्यालय	अवशेष बस्तियाँ	
2001–02	21	10	11	89	18	71	10 P.S.P.E.D.
2002–03	21	10	11	89	18	71	स्वीकृति हो चुकी
2003–04	–	–	–	15	18	–	
2004–05	–	–	–	–	–	–	
2005–06	–	–	–	–	–	–	
2006–07	–	–	–	–	–	–	
2007–08	–	–	–	–	–	–	
20018–09	–	–	–	–	–	–	
2009–10	–	–	–	–	–	–	

शिक्षक व्यवस्था :–

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रत्येक में शिक्षकों को पदोन्नति के आधार पर भरा जायेगा। प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक सहित 5 अध्यापकों की व्यवस्था की जायेगी, जिसमें 4 सहायक अध्यापक होंगे। इन अध्यापकों में से 50 प्रतिशत महिला अध्यापकों की व्यवस्था की जायेगी। प्रत्येक विद्यालय में न्यूनतम एक गणित/विाान का अध्यापक/अध्यापिका रखी जायेगी।

सत्र	प्राथमिक स्तर		उच्च प्राथमिक स्तर	
	प्रधान अध्यापक			सहायक अध्यापक
2002–03				
2003–04	11	11 (शिक्षा मित्र)		
2004–05	–	–		
2005–06	–	–	–	–
2006–07	–	–	–	–
2007–08	–	–	–	–

विद्यालय साज–सज्जा :–

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय को सुसज्जित करने तथा विद्यालय की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मानक के अनुसार निर्धारित धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी, जिसका उपयोग ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से किया जायेगा। इस सामग्री में मेज, कुर्सी, बाल्टी, घण्टा, लोटा, गिलास, टाट–फट्टी, अलमारी, सन्दूक, श्यामपट, कूड़ादान, म्यूजिकल इक्यूपमेन्ट (ढ़ोलक मंजीरा, हारमोनियम, रिंग रौड आदि) कक्षा शिक्षण सामग्री (गणित किट, विज्ञान किट) मानचित्र शैक्षिक चार्ज ग्लोब शब्द कोष, ज्ञान कोष, खिलौने, आदि महत्वपूर्ण होगी। इस सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से कराई जायेगी।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी साज–सज्जा हेतु मानक के अनुसार धनराशि प्रेषित की जायेगी। इस धनराशि से मेज, कुर्सी, बाल्टी, लोटा, गिलास, घण्टा, कूड़ादान, म्यूजिकल इक्यूपमेन्ट (ढ़ोलक मंजीरा, हारमोनियम, रिंग रौड आदि) क्रीड़ा सामग्री (फुटबाल, बालीवाल, स्पीकिंग रो आदि) क्लास रूप टीचिंग मैटेरियल जैसे गणित किट, विज्ञान किट, मानचित्र शैक्षिक

चार्ज ग्लोब शब्द कोष, ज्ञान कोष, खिलौने आदि क्रय किये जायेंगे। विद्यालय की साज–सज्जा हेतु प्रति प्राथमिक विद्यालय रू. 10000 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रति विद्यालय रू. 50000 का प्रावधान किया जायेगा।

विद्यालय की साज–सज्जा का वर्षवार प्रावधान उपरोक्त सारणी में दिया गया है :–

क्रम	क्रियाकलाप	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
1.	प्रा.वि. साज–सज्जा	10	11	–	–	–
2.	उ.प्रा.वि. साज–सज्जा	18	56	15	–	–

निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था :–

सामुदायिक सहभागिता एवं स्वावलम्बन की भावना को ध्यान में रखते हुये प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवनों के निर्माण का दायित्व ग्राम शिक्षा समिति को सौपा गया है, जो ग्राम प्रधान एवं प्रधानाध्यापक के संयुक्त खाते के मायम से निर्माण कार्य करती है।

नवीन विद्यालयों की स्थापना लागत में कमी की व्यवस्था :–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रति दो प्राथगिक विद्यालयों पर उच्च प्राथगिक विद्यालय की उपलब्धता बनायी गई है कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों का भवन निर्माण प्रा. विद्यालयों के प्राँगण में ही कराया जायेगा, जिससे हैण्ड पम्प, शौचालय, चहार दीवारी आदि का प्रावधान अलग से न करना पड़े इस प्रकार कम से कम चहार दीवारी की धनराशि की बचत कीजा सकती है। साथ ही साथ एक ही प्राँगण में स्थापना करवाने से पर्यवेक्षण आदि की भी सुविधा नहीं रहेगी।

शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता हेतु सर्वेक्षण :–

जनपद में सर्वोपरान्त प्रत्येक विद्यालय का सर्वेक्षण इस प्रकार किया जायेगा जिससे कि उसका शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता ज्ञात हो सके। इस सर्वेक्षण के साथ–2 शैक्षिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये विभिन्न प्रकार के शैक्षिक सर्वेक्षण का प्रावधान किया जायेगा।

विद्यालय निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण :–

विद्यालय भवन शौचालय हैण्ड पम्प चहार दीवाद आदि का निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किये जायेंगे। निर्माण कार्यो का तकनीकी पर्यवेक्षण विकास खण्ड स्तर पर उपब्ध ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, लघु सिंचाई के अभियन्ताओं से कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था का विवरण अध्याय 10 में परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में दिया गया है।

सारणी — 7.1

6 से 8^+ वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चे

क्रमांक	विकास खण्ड	सामान्य			सामान्य			सामान्य			सामान्य			सामान्य		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	कबरई	124	112	236	614	482	1096	904	932	1836	38	28	66	1680	1554	3234
2	चरखारी	95	91	186	312	208	520	488	398	886	39	42	81	934	739	1673
3	जैतपुर	52	65	117	344	308	652	432	481	913	36	28	64	864	882	1746
4	पनवाड़ी	151	131	282	391	376	767	368	438	806	59	41	100	969	986	1955
5	नगर महोबा	19	24	43	222	98	32	148	151	299	101	105	206	490	378	868
6	नगर चरखारी	01	01	03	29	38	67	52	63	115	05	05	10	88	107	195
	योग	443	865	1307	1912	1510	3422	2392	2463	4855	278	249	527	5025	4646	9671

विकास खण्डवार विद्यालय न जाने वाले बच्चों का विवरण

11 से 14 वय वर्ग

क्रम संख्या	विकास खण्ड	सामान्य			अनु. जाति			अनु. जन जाति			पिछड़ी जाति			अल्प संख्यक			योग		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	कबरई	81	98	179	397	279	776	01	02	03	556	710	1266	25	76	51	1060	1165	2275
2	चरखारी	113	52	165	181	208	389	04	-	04	250	449	699	25	23	48	573	732	1305
3	जैतपुर	23	38	61	144	205	349	-	-	-	227	321	548	17	35	42	411	599	100
4	पनवाडी	35	23	58	147	193	340	01	02	03	251	308	559	45	37	72	479	563	1032
5	न. क्षे. महोबा	10	17	27	89	77	166	-	-	-	102	102	204	107	18	195	308	284	592
6	न. क्षे. चरखारी	02	02	04	25	28	53	-	-	-	38	35	73	15	10	25	80	75	155
	योग	264	230	494	983	990	1973	06	04	10	1424	1925	3349	234	130	433	2911	3348	6259

परिवार सवेक्षण के अनुसार 19292 बच्चें विभिन्न कारणों से विद्यालय नहीं जा रहे थे। सर्वे के अनुसार घरेलू कार्यो में लगे 8377 बच्चें, मजदूरी में लगे, 1568 बच्चें भाई बहनों की देख भाल में लगे होने के कारण 5112, विद्यालय दूर होने के कारण 621 बच्चें एवं अन्य कारणों से 3614 बच्चें स्कूल जाने से वंचित थे। जैसा कि निम्न सारणी से स्पष्ट है–

क्रमांक	कारण	बालक	बालिका	योग
1.	घरेलू कार्य	4147	4230	8377
2.	मजदूरी	878	690	1568
3.	भाई बहनों की देखभाल	2058	3054	5112
4.	विद्यालय का दूर होना	300	321	621
5.	अन्य कारण	2222	1392	3614

विद्यालय से बाहर इन बच्चों को विद्यालय में लाने हेतु विभिन्न रणनीतियों जिला परियोजना समिति द्वारा प्रस्तावित की गयी है।

घरेलू कार्य में लगे बच्चें:– इन बच्चों को विद्यालय में लाने हेतु ब्रिज कोर्स तथा समर कैम्प चलाये जायेगें। यह कोर्स इन बच्चों के घरों के पास इनकी सुविधा के अनुसार चलाये जायेगें।

क्रम	कार्यक्रम/कोर्स	2003–04		2004–05		2005–06		2006–07	
		संख्या	बच्चें	संख्या	बच्चें	संख्या	बच्चें	संख्या	बच्चें
1.	ब्रिज कोर्स एनपीआरसी स्तरीय	39	2340	39	2340	39	2340	39	2340
2.	विद्यालय केन्द्र/वैकल्पिक केन्द्र	100	4000	100	4000	100	4000	100	4000
3.	ब्रिज कोर्स	39	2037	39	2037	39	2037	39	2037

उक्त कोर्सइन बच्चों की आवश्यकताओं को देखते हुए इनको घरों के पास तथा इनकी सुविधा के अनुसार समय निर्धारित करके इन्हीं के ग्राम निवासी अनुदेशक/आचार्य द्वारा संचालित किये जायेंगे।

2.मजदूरी करना: कुछ बच्चें मजदूरी करने के कारण विद्यालय नही आ पाते है। यह समस्या 11 से 14 वर्ष के बच्चों की है। इन बच्चों की शिक्षा के लिए ए0आई0ई0 खोले जायेंगे। इन के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम है–

क्रम	कार्यक्रम/कोर्स	2003–04		2004–05		2005–06		2006–07	
		संख्या	बच्चें	संख्या	बच्चें	संख्या	बच्चें	संख्या	बच्चें
1.	ए0आई0ई0	12	432	12	432	12	432	12	432
2.	आवासीय ब्रिज कोर्स	3	180	3	180	3	180	3	180
3.	विद्या केन्द्र	100	956	100	956	100	956	100	956

3.भाई बहनों की देखभाल करना: छोटे भाई बहनों की देखभाल करने के कारण जपद में कुल 5112 बच्चें स्कूल नहीं जा पा रहे है। इन बच्चों की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ईसीसीई केन्द्रों एवं समर कैम्प की व्यवस्था की गई है।

क्रम	कार्यक्रम/कोर्स	2003–04		2004–05		2005–06		2006–07	
		संख्या	बच्चें	संख्या	बच्चें	संख्या	बच्चें	संख्या	बच्चें
1.	ईसीसीई	150	4500	150	4500	150	4500	150	4500
2.	समर कैम्प	40	1600	40	1600	40	1600	40	1600

विद्यालय से दूर होना– जनपद में 300 बालक एवं 321 बालिकाओं कुल

4.विद्यालय का दूर होना: ऐसी बस्तियाँ जहां मानक के अनुसार विद्यालय नहीं खुल सकता है वहा ईजीएस और एआईई खोले जायेंगे। बच्चें विद्यालय दूर होने के कारण विद्यालय नहीं आ पा रहे है इनके लिए असेवित क्षेत्रों में मानक के अनुरूप विद्यालय खोले जा रहे हैं तथा अन्य स्थानों पर वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की व्यवस्था उपलब्ध करायी जा रही है।

विद्यालय	वर्ष	नवीन विद्यालयों की संख्या
प्राथमिक स्तर	2003–2004	11
उच्च प्राथमिक स्तर	2003–2004	56

5.अन्य कारण: उक्त के अतिरिक्त गरीबी, धार्मिक तथा रूढ़ीवादिता के कारण कुछ बच्चें विद्यालय नहीं जा रहे है। इसके लिये स्कूल चलें अभियान चला कराकर, ग्राम शिक्षा समितियों को प्रेशिक्षित कर, विद्यालयों को आकर्षक बनाकर, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक तथा मिड डे मील आदि का वितरण कराकर अभिभावकों को अपने बच्चें विद्यालय भेजने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।

इस प्रकार उक्त सभी गतिविधियों द्वारा हाउस होल्ड सर्वे से चिन्हांकित स्कूल न जाने वाले बच्चो को प्राथमिक शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ लिया जायेगा।

अध्याय–7

शिक्षा की पहुँच का विस्तार

शिक्षा गारन्टी योजना वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा

अनौपचारिक शिक्षा :–

अनौपचारिक शिक्षा से आशय ऐसी शिक्षा व्यवस्था से है जो अस्थायी परिस्थिति आधारित तथा समय की माँग को देखते हुये हो। विगत वर्ष में सरकार द्वारा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के रूप में इस प्रकार की व्यवस्थाओं का प्राविधान किया जा रहा था एक अप्रैल, 2001 से सरकार ने अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को बन्द कर दिया है, जिसका स्थान जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत शिक्षा गारन्टी योजना वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों ने ले लिया है। सर्व शिक्षा अभियान ने नवाचार शिक्षकों को भी सामिल कर लिया गया है। अनौपचारिक शिक्षा का प्रारम्भ 1979–80 से सम्पूर्ण देश में एक साथ हुआ। इस शिक्षा के अन्तर्गत 6–11 वर्ष के ऐसे बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाता है जो कि किन्हीं विशेष कारणवश औपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित रह जाते है। ऐसे क्षेत्रों में जहाँ विद्यालय उपलब्ध नहीं थे। किसी कारणवश उन्हें विद्यालय छोड़ देना पड़ता है। यह शिक्षा मुख्य रूप से पिछड़े राज्यों में समस्या ग्रस्त क्षेत्रों एवं प्राकृतिक अवरोधों वाले क्षेत्रों में केन्द्रित की गई। सह शिक्षा वाले अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों हेतु केन्द्र तथा राज्य सरकार 60.40 एवं बालिकाओं के केन्द्रों के लिये 50–50 के अनुपात में वित्त व्यवस्था उपलब्ध कराती है। सम्पूर्ण देश में 2 लाख अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से 72 लाख 50 हजार बच्चों कों प्रतिवर्ष नामांकित किया जाता है, इन केन्द्रों में से 1 लाख अट्ठारह हजार केन्द्र बालिकाओं के लिये विशेष रूप से खोले गये थे। उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम सभी जनपदों में संचालित किया गया था, जिसके तहत 591 परियोजनायें चलाई जा रही थी। प्रत्येक केन्द्र 25 बच्चों का नामांकन कराया गया था। जनपद महोबा में विकास खण्ड पनवाड़ी एवं अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र चलाये जा रहे थे। प्रत्येक विकास खण्ड में 100 केन्द्र संचालित किये गये थे। इस प्रकार जनपद में 200 केन्द्र संचालित थे। इनमे से पाँच पास करने वाले बच्चों का नामांकन कक्षा 6 में कराया जाता था। इस प्रकार शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा गया।

परिवार सर्वेक्षण :–

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरा को पूरा करने के लिये जनपद के परिवार के बच्चों की शैक्षिक स्थिति की जानकारी अनिवार्य होती है। इसके लिये यह अनिवार्य हो जाता है

कि समय–समय पर प्रत्येक परिवार का शैक्षिक सर्वेक्षण कराया जाता रहे। ग्राम शिक्षा समिति प्रशिक्षण के समय प्रथम एवं द्वितीय चरण के साथ सम्पन्न कराये गये सूक्ष्म नियोजन के उपरान्त अप्रैल–मई, 2003 में नये सिरे से परिवार सर्वेक्षण का कार्य कराया गया।

परिवार सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य 6 से 14 वय वर्ग के ऐसे बच्चों को चिन्हित करना था, जो अब भी प्राथमिक स्तर की शिक्षा से वंचित है। सर्वेक्षण के दौरान ऐसे बच्चों को दो वर्गों में बाँटा गया। प्रथम वे जिन्होंने विद्यालय में प्रवेश लिया ही नहीं है। द्वितीय वे जिन्होनें विद्यालय में प्रवेश लेकर विद्यालय छोड़ दिया।

आयु वर्ग के आधार पर इन बच्चों को तीन वर्गों में बाँटा गया। प्रथम वर्ग में से 5 से 7 वर्ष के द्वितीयवर्ग में 7 से 11 वर्ष तथा तृतीय वर्ग में 11 से 14 वयवर्ग के बच्चे आते है। इसमें से प्रथम वर्ग के बच्चों के प्रवेश की सम्भावना और 2 में पूर्णतया रहती है। द्वितीय वर्ग ऐसी वर्ग है। इन्हें प्रवेश कराने के लिये विशेष रणनीति के तहत कार्य करना होगा। तृतीय में लगभग आधे से अधिक ऐसे बच्चे है, जो क्रमशः कक्षा 5 तक शिक्षा पूर्ण कर चुके है। इन्हें जूनियर में प्रवेश कराये जाने की आवश्यकता है। परिवार सर्वेक्षण के तहत ऐसे परिवारों का भी चिन्हांकन किया जाना है जो बच्चों को विद्यालय में रूचि नहीं दिखाते है। साथ ही बच्चों के विद्यालय न जाने का क्या कारण है। क्या किसी प्रकार की विकलांगता से ग्रसित तो नहीं है आदि तथ्यों का पता लगाया गया।

सर्वेक्षण के उपरान्त आंकलन करने पर ज्ञात हुआ कि मई माह में 6 से 8^{+} वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या 9671 थी इसमें से 5^{+} 6^{+} वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या 6889 थी जिनका लगभग शत प्रतिशत नामांकन विद्यालय/विद्या केन्द्र में करा दिया गया है, जो कुछ बच्चे अब भी बचे हुये है। उनका विद्या केन्द्रों में प्रवेश कराया जा रहा है। 9 से 14 वय वर्ग के कुल विद्यालय जाने वाले बच्चों की संख्या 9619 सर्वेक्षण के दौरान ज्ञात हुई। इनके प्रवेश के लिये औपचारिक व्यवस्थायें जैसे : नवीन प्राथमिक, नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अतिरिक्त अनेक वैकल्पिक व्यवस्थओं का भी प्रावधान किया जा रहा है। जैसे : वैकल्पिक केन्द्र (प्राथमिक स्तर) ए.आई.ई. केन्द्र बृजकोर्स (आवासीय एवं अनावासीय)।

<u>शिक्षा गारण्टी योजना</u> :–

इस योजना के अन्तर्गत विद्या केन्द्रों की स्थापना की जा रही है। ये केन्द्र ऐसे स्थानों पर स्थापित किये जाते है। जिनकी विद्यालय से न्यूनतम दूरी 1 कि.मी. से अधिक हो एवं न्यूनतम 30 बच्चे विद्या अध्ययन के लिये उपलब्ध हो, विशेष परिस्थितियों में यह संख्या 15 भी हो सकती है।

अनदेशक का चयन :–

अनुदेशक का चयन सम्बन्धित मजरों को एसे अभयर्थी का किया जाता है, जिसकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल हो एवं जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो।

ग्राम शिक्षा समिति सम्बन्धित मजरे में प्रचार–प्रसार के द्वारा उचित योग्यता वाले अभ्यर्थियों के आवेदन–पत्र एकत्र कर वरीयता क्रम में प्रथम स्थान वाले अभ्यर्थी का चयन करती है, जिसकी सूचना जिला परियोजना कार्यालय को प्रेषित कर दी जाती है।

आचार्य अनुदेशक का प्रशिक्षण :–

इन चयनित आचार्य अनुदेशकों का प्रशिक्षण जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान चरखारी में कराया जाता है। यह प्रशिक्षण 30 दिवसीय होता है। प्रशिक्षण संस्थान हेतु 1500 से प्रति अनुदेशक की दर से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को उपलब्ध कराया जाता है। इस समयावधि के कोई मानदेय देय नहीं होता है। यह प्रशिक्षण S.C.E.R.T. द्वारा विकसित आधार विधि पर आधारित होता है।

शिक्षण सामग्री :–

प्रत्येक शिक्षा केन्द्र को साज–सज्जा एवं शिक्षण सामग्री हेतु निर्धारित धनराशि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ग्राम शिक्षा समिति के खाते में सीधे स्थानान्तरित की जाती है, जिससे ग्राम शिक्षा समिति द्वारा नियमानुार सामग्री क्रय करके केन्द्रों को उपलब्ध करायी जाती है। इन केन्द्रों के नामांकित बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तके भी योजनान्तर्गत उपलब्ध कराई जाती है।

पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन :–

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के सफल संचालन हेतु अकादमिक सहयोग एवं निर्गम व पर्यवेक्षण का कार्य ए.वी.एस.ए./एस.डी.आई./वी.आर.सी./एन.पी.आर.सी. प्रभारियों द्वारा किया जाता है। इनकी मासिक गोष्ठियाँ/वी.आर.सी./एन.पी.आर.सी. द्वारा ली जायेगी। इसके साथ निकट के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय, इसके अतिरिक्त मुस्लिम समुदाय द्वारा चलाये जा रहे मकतबों में बालक/बालिकाओं को गुणवत्ता परक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इनके सुदृढ़ीकरण की भी व्यवस्था प्रस्तावित है। इन केन्द्रों/शिविरों के संचालन हेतु स्थल चयन के सम्बन्ध में जिला शिक्षा परियोजना समिति की बैठक में प्रस्ताव रखकर अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये। इन केन्द्रों के संचालन की प्रक्रिया निम्नवत् होगी।

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र की स्थापना :–

स्थानीय समुदाय की माँग तथा क्षेत्र विशेष एवं लाभार्थियों की आवश्यकता के अनुरूप वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोला जायेगा। मुख्य रूप से ऐसे स्थानों पर केन्द्र खोला जायेगा। जहाँ न्यूनतम 30 ऐसे बच्चे होंगे जो विशेष कारणों से विद्यालय न जा पाते है।

अनुदेशक का चयन :–

अनुदेशक का चयन को विधि एवं योग्यता विद्या केन्द्र दो के आचार्य के चयन के समान ही होगी। इनका ही चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा।

अनुदेशक का प्रशिक्षण :–

अनुदेशक के प्रशिक्षण के लिये सर्वप्रथम सन्दर्भ व्यक्ति/मास्टर ट्रेनर के रूप में डाइट प्रवक्ता, परियोजनाधिकारी ABSA/SDI योग्य अध्यापक का 10 दिवसय प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस टीम के द्वारा अनुदेशकों का 30 दिवसीय प्रशिक्षण, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चरखारी में कराया जायेगा। इस दौरान इन्हें किसी प्रकार का मानदेय देय नहीं होगा।

पर्यवेक्षण :–

इन वैकल्पिक केन्द्रों के सफल संचालन हेतु अकादमिक सहयोग एवं नियमित प्रभावी पर्यवेक्षण का कार्य न्याय पंचायत संस्साधन केन्द्र प्रभारी द्वारा किया जायेगा। नगर क्षेत्रो मे यह कार्य नर शिक्षा प्रभारी करेंगे। इसके अतिरिक्त इनका पर्यवेक्षण वी.आर.सी. समन्वयक एस.डी. आई./ए.बी.एस.ए. जिला समन्वयक वी.एस.ए. डाइट प्रवणता आदि भी करेंगे।

निःशुल्क सामग्री विवरण :–

प्रत्येक शिक्षा केन्द्र को साज–सज्जा एवं प्रशिक्षण सामग्री हेतु रू. 2350 जिला परियोजना कार्यालय द्वारा ग्राम शिक्षा निधि के खाते में स्थानान्तरित किया जायेगा। ग्राम शिक्षा समिति इसके द्वारा आवश्यक सामग्री क्रय करेगी पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था जिला परियोजना कार्यालय द्वारा की जायेगी।

छात्र–छात्राओं का मूल्यांकन :–

अनुदेशक द्वारा अध्ययनरत बच्चो का सतत एवं नियमित मूल्यांकन किया जायेगा। इसके लिये अनुदेशक द्वारा दैनिक डायरी तैयार की जायेगी। बच्चों का तिमाही, छमाही, वार्षिक

मूल्यांकन मौखिक एवं लिखित परीक्षा के द्वारा किया जायेगा। साथ ही अध्ययनरत बच्चों को औपचारिक प्रवेश हेतु प्रयास किया जायेगा जो बच्चे कक्षा 5 हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम पूर्ण कर लेंगे। उनकी वार्षिक परीक्षा बेसिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 द्वारा निर्धारित परीक्षा प्रणाली के आधार पर ए. बी.एस.ए. द्वारा कराई जायेगी तथा औपचारिक विद्यालयों में पढ़ रहे छात्र–छात्राओं की भाँति इन्हें प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

वित्तीय प्रावधान :–

प्रत्येक अनुदेशक को 1000 रूपया मासिक की दर से मानदेय प्रदान किया जायेगा साथ ही साथ नये खोले जाने वाले केन्द्रों को 2350 रू. प्रति केन्द्र साज–सज्जा हेतु धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी।

A.I.E. केन्द्र

स्थापना :–

ऐसी बस्तियाँ जो उ0प्र0 विद्यालयों से न्यूनतम 3 कि.मी. एवं न्यूनतम जहाँ 20 बच्चे उ0प्र0 स्तर की शिक्षा हेतु उपलब्ध हो।

अनुदेशक का चयन :–

अनुदेशकों का चयन सम्बन्धित बस्ती के ऐसे अभ्यर्थियों में से की जाती है, जिनकी न्यूनतम योग्यता स्नातक हो एवं जिनकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो। ग्रम शिक्षा समिति द्वारा प्रचार–प्रसार द्वारा प्राप्त आवेदन–पत्रों में से योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा जो वरीयता क्रम मे प्रथम स्थान पर आयेगा। प्रत्येक केन्द्र पर न्यूनतम दो अनुदेशकों का चयन किया जायेगा, जिनमें एक विज्ञान वर्ग का और एक अन्य वर्ग का होगा। साथ ही साथ प्रत्येक केन्द्र पर एक महिला और एक पुरूष अनुदेशक रखा जायेगा।

साज–सज्जा हेतु सामग्री :–

इन केन्द्रो पर दिये गये निर्देशों के अनुसार सामग्री एवं साज–सज्जा की व्यवस्था की जायेगी।

विद्या केन्द्र एवं वैकल्पिक केन्द्रों में आचार्या की संख्या

सत्र	स्वीकृत संख्या		संचालित संख्या		कार्यरत अनदेशक/आचार्य	
	विद्या केन्द्र	वैकल्पिक केन्द्र	विद्या केन्द्र	वैकल्पिक केन्द्र	विद्या केन्द्र	वैकल्पिक केन्द्र
2000–01	50	10	37	09	37	09
2001–02	100	100	50	10	50	10
2002–03	100	100	35	20	35	20
2003–04	100	100	82	85	82	85
2004–05	–	–	–	–	–	–

आगामी सर्वे हेतु वैकल्पिक केन्द्रों का प्रावधान

सत्र	प्राथमिक स्तर			उ.प्रा. स्तर
	विद्या केन्द्र	वैकल्पिक केन्द्र	मकतब/मदरसे	ए.आई.ई. केन्द्र
2003–04	80	105	15	75
2004–05	80	105	15	75
2005–06	80	105	15	75
2006–07	80	105	15	75

ब्रिंज कोर्स **(Bridge Coarse)**

उद्देश्य :–

ब्रिजकोर्स संचालन का मूलभूत उद्देश्य ऐसे बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है, जो किन्हीं विशेष कारणों से शिक्षा की मुख्य धारा में आने से वंचित रह जाते है। ब्रिजकोर्स ऐसे बच्चों को भी शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने में सहायक होता है जो किन्ही विशेष कारणों से अपने अभिभावक के साथ रहकर अध्ययन नहीं कर सकते। जैसे : अभिभवकों का शैक्षिक सत्र में आद्योगिक क्षेत्रों का पलायन कर जाना ऐसे बच्चों के लिये आवासीय ब्रिज केम्पों की स्थापना की जाती है। सामान्यता ब्रिजकेम्प दो प्रकार के होते है।

आवासीय ब्रिज कैम्प

अनावासीय ब्रिज कैम्प

स्थल चयन :–

आवासीय ब्रिज कैम्प हेतु ऐसे स्थल का चयन किया जाता है। जहाँ शिक्षा की मुख्य धारा से न जुड़ने वाले ऐसे बच्चों की बहुतायत हो जो अपने अभिभवाकों के साथ रहकर शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, ऐसा स्थल बच्चो के निवास हेंतु सुरक्षित हो वहाँ पर रहने हेतु समस्त सुविधायें उपलब्ध हो जैसे : पेयजल, शौचालय, स्नानागार आदि।

गैर आवासीय ब्रिज कोर्स का संचालन उन गाँवों में किया जायेगा जहाँ आऊट ऑफ स्कूल के बच्चों की संख्या अधिक है। एवं न्याय पंचायत के अन्य गाँव के स्कूल न जाने वाले बच्चे वहाँ सुगमता से पहुँच सकें। ऐसा गाँव सामान्यता असेवित गाँव होना चाहिए, स्थल चयन न्याय पंचायत प्रभारी द्वारा ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जाना चाहिये।

अनुदेशक का चयन :–

अनुदेशक चयन हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा 10 की होगी एवं न्यनतम आयु सीमा 18 वर्ष होगी।

आवासीय ब्रिज कैम्पो में अनुदेशकों का चयन स्वयं सेवी संस्था जो कि इसको संचालित कर रही है। इनके द्वारा किया जायेगा जबकि अनावासीय ब्रिज कोर्सो में छमाही ब्रिज कोर्स के अनुदेशकों का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा एवं द्विमासिक ब्रिज कोर्सो के चयन एक ब्लाक स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा जिसमें एन.पी.आर.सी. समन्वयक वी.आर.सी. समन्वयक एवं सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी होगा। अनुदेशक के लिये आवश्यक होगा कि वह सम्बन्धित मजरे का निवासी होगा।

ब्रिज कोर्स हेतु लाभार्थियों का चयन :–

ब्रिज कोर्स हेतु शिक्षा से वंचित 6 से 14 वय आयु वर्ग के बच्चों को निम्न प्राथमिकता के आधार पर चयन किया जायेगा।

1. शिक्षा से वंचित कामकाजी बच्चे।
2. सम्बन्धित वय वर्ग अधिक आयु वाले बच्चे।

3. धुमन्तू जाति एवं उपेक्षित बच्चे।

4. अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चे, अल्प संख्यक जाति के बच्चे।

अनुदेशकों का प्रशिक्षण :–

चयनित अनुदेशकों का चार दिवसीय प्रशिक्षण डाइट/वी.आर.सी. द्वारा किया जायेगा।

अकादमिक सहयोग :–

ब्रिज कोर्सो को अकादमिक सहयोग एन.पी.आर.सी. समन्वयक बी.आर.सी. समन्वयक एवं डाइट मेटर द्वारा किया जायेगा।

मानिटरिंग एवं पर्यवेक्षण :–

ब्रिज केम्पो के मानिटरिंग एवं पर्यवेक्षण एन.पी.आर.सी. समन्वय बी.आर.सी. समन्वयक जिला समन्वयक ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. उपबेसिक शिक्षा अधिकारी बेसिक शिक्षा अधिकारी, डाइट एवं मण्डलीय सहायक शिक्षा निर्देशक द्वारा की जायेगी।

अनुदेशक का मानदेय :–

आवासीय ब्रिज कोर्सो का भुगतान सम्बन्धित स्वयं सेवी संस्थानं के माध्यम से छमाही अनावासीय ब्रिज कैम्पों के अनुदेशकों के मानदेय का भुगतान ग्राम समिति के माध्यम से किया जायेगा।

वित्तीय प्रावधान

(क) आवासीय ब्रिज कैम्पों हेतु प्रावधानः–

60 बच्चों को 6 माह के आवासीय ब्रिज कैम्प हेतु निम्न प्रावधान किया जायेगा।

इकाई लागत 60 बच्चों के एक आवासीय कैम्प के लिये इकाई लागत निम्नानुसार होगी।

6 माह के लियें

मानदेय

केयर टेकर	1000 रूपया मासिक	6000 रूपया
अनुदेशक	1000 रूपया मासिक	6000 रूपया
चौकीदार	600 रूपया मासिक	3600 रूपया
रसोइया	600 रूपया मासिक	3600 रूपया

प्रशिक्षण :–

10 दिवसीय प्रशिक्षण केयर टेकर तथा अनुदेशक का 1200 रूपया

टी.एल.एम. 60 बच्चों के लिये 50*60 = 3000 रूपया

अध्यापन एवं अन्य उपकरण = 5000 रूपया

भोजन एवं निवास (रू. प्रति विधार्थी प्रति दिन) = 151.200 रूपया

कुल लागत = 179600 रूपया

या 3000 हजार रूपया प्रति विधार्थी छमाही।

(ख) आनावासीय ब्रिज कोर्स :–

अनुदेशक का मानदेय	–	1000 रूपया मासिक
कुक का मानदेय	–	600 रूपया मासिक
बच्चों को शिक्षण सामग्री	–	6500 रूपया मासिक
शिक्षा एवं अन्य सामग्री	–	1000 रूपया मासिक
आकस्मिक	–	2000 रूपया
मध्यान्ह स्वल्पाहार	–	7 रू. प्रति प्रति छात्र

ग्रीष्म कालीन शिविर

उद्देश्य :–

ग्रीष्म कालीन शिविर ऐसे स्थान पर आयोजित किये जायेंगे जहाँ पर ड्राप आउट बच्चों की संख्या न्यूनतम 30 हो। इन ग्रीष्म कालीन शिविरो में 9 से 14 वय वर्ग की बालिकाओं

कि समय–समय पर प्रत्येक परिवार का शैक्षिक सर्वेक्षण कराया जाता रहे। ग्राम शिक्षा समिति प्रशिक्षण के समय प्रथम एवं द्वितीय चरण के साथ सम्पन्न कराये गये सूक्ष्म नियोजन के उपरान्त अप्रैल–मई, 2003 में नये सिरे से परिवार सर्वेक्षण का कार्य कराया गया।

परिवार सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य 6 से 14 वय वर्ग के ऐसे बच्चों को चिन्हित करना था, जो अब भी प्राथमिक स्तर की शिक्षा से वंचित है। सर्वेक्षण के दौरान ऐसे बच्चों को दो वर्गों में बाँटा गया। प्रथम वे जिन्होंने विद्यालय में प्रवेश लिया ही नहीं है। द्वितीय वे जिन्होनें विद्यालय में प्रवेश लेकर विद्यालय छोड़ दिया।

आयु वर्ग के आधार पर इन बच्चों की तीन वर्गों में बाँटा गया। प्रथम वर्ग में से 5 से 7 वर्ष के द्वितीयवर्ग में 7 से 11 वर्ष तथा तृतीय वर्ग में 11 से 14 वयवर्ग के बच्चे आते है। इसमें से प्रथम वर्ग के बच्चों के प्रवेश की सम्भावना और 2 में पूर्णतया रहती है। द्वितीय वर्ग ऐसी वर्ग है। इन्हें प्रवेश कराने के लिये विशेष रणनीति के तहत कार्य करना होगा। तृतीय में लगभग आधे से अधिक ऐसे बच्चे है, जो क्रमशः कक्षा 5 तक शिक्षा पूर्ण कर चुके है। इन्हें जूनियर में प्रवेश कराये जाने की आवश्यकता है। परिवार सर्वेक्षण के तहत ऐसे परिवारों का भी चिन्हांकन किया जाना है जो बच्चों को विद्यालय में रूचि नहीं दिखाते है। साथ ही बच्चों के विद्यालय न जाने का क्या कारण है। क्या किसी प्रकार की विकलांगता से ग्रसित तो नहीं है आदि तथ्यों का पता लगाया गया।

सर्वेक्षण के उपरान्त आंकलन करने पर ज्ञात हुआ कि मई माह में 6 से 8^+ वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या 9671 थी इसमें से 5^+ 6^+ वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या 6889 थी जिनका लगभग शत प्रतिशत नामांकन विद्यालय/विद्या केन्द्र में करा दिया गया है, जो कुछ बच्चे अब भी बचे हुये है। उनका विद्या केन्द्रों में प्रवेश कराया जा रहा है। 9 से 14 वय वर्ग के कुल विद्यालय जाने वाले बच्चों की संख्या 9619 सर्वेक्षण के दौरान ज्ञात हुई। इनके प्रवेश के लिये औपचारिक व्यवस्थायें जैसे : नवीन प्राथमिक, नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अतिरिक्त अनेक वैकल्पिक व्यवस्थओं का भी प्रावधान किया जा रहा है। जैसे : वैकल्पिक केन्द्र (प्राथमिक स्तर) ए.आई.ई. केन्द्र बृजकोर्स (आवासीय एवं अनावासीय)।

<u>शिक्षा गारण्टी योजना</u> :–

इस योजना के अन्तर्गत विद्या केन्द्रों की स्थापना की जा रही है। ये केन्द्र ऐसे स्थानों पर स्थापित किये जाते है। जिनकी विद्यालय से न्यूनतम दूरी 1 कि.मी. से अधिक हो एवं न्यूनतम 30 बच्चे विद्या अध्ययन के लिये उपलब्ध हो, विशेष परिस्थितियों में यह संख्या 15 भी हो सकती है।

को सम्मिलित किया जायेगा। ये ग्रीष्म काल्लीन शिविर 10 दिवसीय होगें जिनका संचालन प्रशिक्षित अध्यापकों के माध्यम से किया जायेगा।

जनपद महोबा में इन केन्द्रों की संख्या प्रतिवर्ष 40 रखी जायेगी।

क्रम	क्रियाकलाप	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
1.	आवासीय ब्रिज कोर्स	–	03	–	03	03
2.	अनावासीय ब्रिज कोर्स	–	45	–	45	45
3.	ग्रीष्म कालीन शिविर	–	–	40	40	40

<u>विभिन्न समितियों की भूमिका</u> :–

प्रस्तावित वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा ए0आई0वी0ई0 के लिये ग्राम शिक्षा समिति के निम्नलिखित कर्तव्य एवं दायित्व निर्धारित किये जाते है।

1. 6–14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों की मैट्रो प्लानिंग के आधार पर सर्वेक्षण कर इनको चिन्हित करना।
2. कार्यक्रमों के संचालन हेतु वातावरण सृजत करना।
3. अनुदेशक का चयन करना।
4. केन्द्रों का समय निर्धारित करना।
5. केन्द्रों की साज सज़्जा हेतु शिक्षण सामग्री का बाजार के निर्धारित मूल्यों का नियमानुसार क्रय कर केन्द्रों के संचालन हेतु अनुदेशकों को उपलब्ध कराना।
6. अनुदेशकों को प्रशिणोपरान्त ही केन्द्रों का दायित्व सौपना।
7. अनुदेशकों की उपस्थिति बच्चों की उपस्थिति एवं केन्द्रों का प्रबन्धन उनको प्रतिदिन निरीक्षित करना।
8. केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों को औपचारिक विद्यालय में प्रवेश कराने के लिये लगातार प्रोत्साहित करना।
9. नियमित रूप से अनुदेशकों के मानदेय का भुगतान कराना।

विकास खण्ड स्तरीय समिति की भूमिका

1. ग्राम शिक्षा समिति से प्रस्ताव की संकलित करना।
2. ग्रामीण क्षेत्रों की माइक्रो प्लानिंग कराना तथ उपलब्ध माइक्रो प्लांनिंग का अध्ययन एवं समीक्षा करना तथा प्रस्तावों को तैयार कराना।
3. प्लस्टर रिसोर्स परसन सी.आर.पी. की सहायता से केन्द्रों/शिविरों का भ्रमण एवं पर्याप्त पर्यवेक्षण/अनुश्रवण की व्यवस्था कराना।
4. जनपद एवं विकास खण्ड स्तर पर उपलब्ध संदर्भ दाताओं की सहायता से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराना।

जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति के प्रमुख कर्तव्य एवं दायित्व

1. वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा हेतु सम्पूर्ण जनपद मे माइक्रो प्लानिंग कर आवश्यकतानुसार अपवंचन कर वर्ग के बच्चों के शिक्षित करने हेतु विभिन्न योजनाओ के प्रस्तावों के ग्राम स्तर/विकास खण्ड स्तर से तैयार कराकर जिला स्तर पर प्रतिमाह समीक्षा करना।
2. केन्द्र बृजकोर्स ग्रीष्मकालीन शिविर के प्रस्तावो को स्अैट सोसायटीज को प्रस्तुत करना।
3. कार्यक्रमों का कार्यान्वयन सुनिश्चित कराना।
4. अन्य विभागीय अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कन्वरजेन्सी कर कार्यक्रमों का संचालन कराना।
5. कार्यक्रमों का नियमित अनुश्रवण करना एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाओ का आयोजन कराना।
6. स्टे सोसायटी द्वारा उपलब्ध करायी गयी मदवार धनराशियो का विकास खण्ड स्तरीय समितियों के माध्यम से ग्राम शिक्षा समिति अथवा स्वैक्षिक संगठनो के कार्यक्रमों के संचालनार्थ अग्रीम रूप में उपलब्ध कराना।

स्वयं सेवी संगठनो का योगदान :–

राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा संस्तुत स्वयं सेवी संगठन कीसहभागिता सुनिश्चित करने तथा भारत सरकार की ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 योजना के तहत मानक के अनुरूप बजट स्वीकृत करने के अधिकार प्राप्त हैं उक्त समिति के अनुमोदन के पश्चात् जनपद

के चयनित स्वयं सेवी संगठन द्वारा एजूकेशन गारन्टी स्कीम वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जायेगा।

इसी प्रकार जो स्वयं सेवी संगठन वैकल्पिक शिक्षा के क्षेत्र मे पर्यवेक्षण एवं अनुदेशकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुभव रखते है उनका भी सहयोग ई0जी0एस0 एजूकेशन गारन्टी स्कीम व नवाचार शिक्षा योजना के क्षमता के विकास के लिये जनपद में लिया जायेगा इन स्वयं सेवी संगठनो/संदर्भ संस्थाओं के अनुमोदन की प्रक्रिया भी उपर्युक्तानुसार रखी गयी है।

सूक्ष्म नियोजन आँकड़ो का वार्षिक अद्यावधिकरण :–

माइक्रो प्लानिंग के अन्तर्गत परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से 6–11 व 11–14 वर्ष के बच्चों के बारे मे विवरण प्राप्त कर आउट ऑफ स्कूल बच्चो को चिन्हित किया जाता है। अन्दर ऐज ओवरऐज बच्चो को चिन्हित करने तथा आयु वर्ग के स्थान पर विशिष्ट आयुवार बच्चों का विवरण प्राप्त करने हेतु वर्तमान सर्वेक्षण प्राप्त संसोधित किया जायेगा ताकि वांछित अतिरिक्त सूचना प्राप्त हो सके। प्रतिवर्ष हाउस होल्ड सर्वेक्षण आँकड़ो को अदतन किया जायेगा। इस कार्य हेतु प्रतिवर्ष 50000 रू. की वित्तीय व्यवस्था रखेगी।

माइक्रों प्लानिंग के अन्तर्गत हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से 11 से 14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या के विवरण की व्यवस्था है। बेसिक शिक्षा परियोजना विकसित प्रपत्र के अनुसार परियोजना नियोजन में इस विवरण का प्रयोग किया गया है। इस आधार पर जनपद में 11 से 14 वय वर्ग के आउट ऑफ स्कूल बच्चे चिनिहत किये गये है। आगामी वर्षों के आँकड़े के वार्षिक अधतन के समय इस सूचना का अंकन भी किया जयोगा कि बच्चे द्वारा किस कक्षा में ड्राप आउट किया गया है। यह सूचना प्राप्त करने हेतु हाउस होल्ड सर्वे से सम्बन्धित वर्तमान प्रपत्र को पुनरीक्षित किया जायेगा ताकि वांछित सूचना का समावेष हो सके। परियोजना के द्वितीय वर्ष के उपरोक्त विवरण प्राप्त करने के लिये संसोधित प्रपत्र प्रयोग किया जायेगा।

अभिनव माडल्स 11–14 आयु वर्ग हेतु 11 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिये जो औपचारिक विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने मे किन्हीं कारणों से असमर्थ रहे है। उनके लिए नवाचार शिक्षा योजा के अन्तर्गत स्थानीय पर्यवेश बच्चों के विशिष्ट समूह की आवश्यकताओं तथा कलान्तर में तथा औपचारिकता विद्यालयों में समेकित किये जाने की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुये कतिपय इनवोटिव माडल्स विकसित किये जायेंगे। इस हेतु नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत अभिनव माडल्स विकसित करने के उद्देश्य जनपद में 50000 रूपया इनोवेटिव फण्ड रखा जायेगा। पहले दो वर्षो में इस आयु वर्ग हेतु कम से कम 2–3 माडल विकति किये जायेगे इस कार्य में वैकल्पिक शिक्षा के विशेषज्ञों शिक्षाविदों अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों आदि की सहायता प्राप्त की जायेगी।

स्कूल चलो अभियान :–

नामांकन हेतु स्कूल चलो अभियान सरकार द्वारा उठाया गया एवं अच्छा कदम है, जिसका प्रमुख उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों का शत प्रतिशत नामांकन है। शिक्षा सत्र 2003–04 में जनपद में इस अभियान की अवधि 21 मई से 31 मई तथा 1 जुलाई तक रही। जिसमें बाल गणना एवं वातावरण के सृजन के लिये एवं नामांकन का लक्ष्य रखा गया । जनपद में माननीय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में वातावरण सृजन एवं नामांकन हेतु रणनीति तैयार की गई, जिसमें माननीय पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी जिला विद्यालय निरीक्षक आदि के साथ लगभग विभागो के प्रमुख अधिकारियों ने भाग लिया। इस गोष्ठी में जनपद तहसील विकास खण्ड न्याय पंचायत एवं ग्राम स्तर की गतिविधियों पर की जाने वाली क्रियाओं एवं कार्यकलापों कीरणनीति का निर्धारण किया गयाइस तारतम्य के महोबा नगर क्षेत्र प्लान स्तर न्याय पंचायत स्तर ग्राम स्तर पर बच्चों द्वारा प्रभाव रैलियाँ निकाली गई, जिन्हें क्रमशः माननीय जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, मुख्य विकास अधिकारी, प्राचार्य डाइट एवं जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उप जिलाधिकारी द्वारा झण्डी दिखाकर रवाना किया गया। बच्चों के समूह के साथ इस रैली में जन समुदाय ने प्रतिभाग किया एवं शिक्षा की अलख जगाने हेतु नारों आदि का उपयोग किया गया बच्चों द्वारा स्कूल चलों अभियान के वैल्यू बैनर आदि का भी उपयोग किया गया इसके पूर्व नगर के विभिन्न स्थानों पर पम्पलेट, स्टीकर, वैनर आदि के द्वारा वातावरण सृजन किया गया। यह समस्त रैलियाँ एकत्र होकर अपने–2 स्थानीय मख्यालय में पहुँची। जहाँ माननीय जिलाधिकारी महोदय के अतिरिक्त अन्य अधिकारियों जनप प्रतिनिधियों एवं ग्राम प्रधानों मे बच्चों एवं जन समुदाय को सम्बोधित किया तथा सभी ने जनपद को शत प्रतिशत साक्षर बनाने के लिये साथ ही साथ समस्त बच्चों के प्रवेश के लिये शपथ ली। जनपद मुख्यालय के माननीय मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एवं जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया के मुख्य आथित्य में स्कूल चलो अभियान को सफल बनाने के लिये सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विद्वानों में अपने–2 विचार रखे। इसी प्रकार के आयोजन तहसील, विकास खण्ड, न्याय पंचायत मुख्यालय के साथ–2 समस्त ग्रामों में सम्पन्न कराये गय। जहाँ बच्चों द्वारा प्रभाव रैलियों के साथ–2 स्कूल चलो अभियान से सम्बन्धित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ग्रामवासियों ने बड़े उत्साह के साथ इस अभियान में प्रतिभाग किया। साथ ही साथ समुदय द्वारा लोक संस्कृति आधारित शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये। इन कार्यक्रमों मे विभिन्न जन प्रतिनिधियों ने विभिन्न उत्साह से कार्य किया वातावरण सृजन कार्यक्रम के पश्चात् नामांकन का कार्यक्रम चलाया गया एवं 31 जुलाई तक चलता रहा। जिसमें प्राथमिक एवं जूनियर स्तर के बच्चों का नामांकन में अभूतपूर्व वृद्वि हुई।

अध्याय–8

ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रम

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू होने एवं स्कूल चलो अभियान के कारण बच्चों का नामांकन तो विद्यालय में हो जाता है। परन्तु वर्तमान में प्रा.वि. की मूल शिक्षा बच्चों का ठहराव है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियों द्वारा ठहराव वृद्वि हेतु पूर्ण प्रयास किये जाने का प्राविधान किया गया है। इन प्रयासो मे प्रमुख निम्नवत् है।

1. निर्माण कार्य :–

प्राथमिक एवं उच्च प्रा.वि. में भौतिक संसाधनों की कमी ठहराव वृद्वि में एक महत्वपूर्ण बाधा है। जनपद के 521 प्रा.वि. में से 55 भवनहीन जीर्ण–शीर्ण विद्यालय एक कक्षीय है। विद्यालय में चाहर दीवारी, 143 में शौचालय का अभाव है। उच्च प्रा.वि. में 10 विद्यालय भवनहीन 81 विद्यालय चाहर दीवारी रहित है। विद्यालय की भौतिक सुविधा हेतु निम्न सारणी से मांग स्पष्ट हो जाती है।

सारणी 8.1

क्रम	मद	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
1.	भवनहीन जीर्ण–शीर्ण	55	10
2.	शौचालय	143	38
3.	पेयजल	123	15
4.	लघु मरम्मत	150	11
5.	वृहद मरम्मत	26	14
6.	अतिरिक्त कक्षा कार्य	–	–

विद्यालय पुर्ननिर्माण

जनपद में 55 प्राथमिक विद्याय एवं 10 उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनहीन एवं ध्वस्त है। इन्हें प्राथमिक विद्यालय का निर्माण 2.56 लाख रूपया प्रति विद्यालय की दर से 2.80 लाख रूपया उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु प्राविधानित किये जायेंगे।

विकास खण्ड : पनवाड़ी

क्रम	प्राथमिक विद्यालय का नाम	सत्र
1.	प्राथमिक विद्यालय कोटरा	
2.	प्राथमिक विद्यालय नकरा	
3.	प्राथमिक विद्यालय देवगनपुरा	
4.	प्राथमिक विद्यालय लौहर गाँव	
5.	प्राथमिक विद्यालय दादरी	
6.	प्राथमिक विद्यालय सलैया खालसा	
7.	प्राथमिक विद्यालय सिमरिया	
8.	प्राथमिक विद्यालय कुनाटा	भवनहीन
9.	प्राथमिक विद्यालय कर्रपहाड़िया	भवनहीन
10.	प्राथमिक विद्यालय परापाँतर	भवनहीन
11.	प्राथमिक विद्यालय रावतपुरा	भवनहीन
12.	प्राथमिक विद्यालय खैरोकलाँ	भवनहीन
13.	प्राथमिक विद्यालय कनकुवा	भवनहीन
14.	प्राथमिक विद्यालय रिदवारा	भवनहीन
15.	प्राथमिक विद्यालय जखा	भवनहीन
16.	कन्या प्राथमिक विद्यालय महुआ	भवनहीन
17.	प्राथमिक विद्यालय तुर्रामुहार	प्राकृतिक आपदा

विकास खण्ड : चरखारी

क्रम	प्राथमिक विद्यालय का नाम	सत्र
1.	प्राथमिक विद्यालय वरदा	1982
2.	प्राथमिक विद्यालय नवीन खुजा	भवनहीन
3.	प्राथमिक विद्यालय कीरतपुरा	भवनहीन
4.	प्राथमिक विद्यालय कुड़ार	1969
5.	प्राथमिक विद्यालय बमरारा	1961
6.	प्राथमिक विद्यालय राजमन्दिर चरखारी	1952

विकास खण्ड : कबरई

क्रम	प्राथमिक विद्यालय का नाम	सत्र
1.	प्राथमिक विद्यालय लिलवाही	1965
2.	प्राथमिक विद्यालय खम्हरिया	1965
3.	प्राथमिक विद्यालय रतौली	1981
4.	प्राथमिक विद्यालय गहरा	1970
5.	कन्या प्राथमिक विद्यालय गहरा	1970
6.	प्राथमिक विद्यालय सिंघनपुर बघारी	1970
7.	प्राथमिक विद्यालय बरातपहाड़ी	1970
8.	प्राथमिक विद्यालय चन्दपुरा	1970
9.	प्राथमिक विद्यालय खोड़ा मकरबई	1955
10.	प्राथमिक विद्यालय सलारपुर	1970
11.	कन्या प्राथमिक विद्यालय बिलई	1965
12.	प्राथमिक विद्यालय कोहारी	1981
13.	प्राथमिक विद्यालय सुनैचा	1970
14.	प्राथमिक विद्यालय भण्डरा	1970
15.	प्राथमिक विद्यालय भटेवर	1970
16.	प्राथमिक विद्यालय गुगौरा	1966
17.	प्राथमिक विद्यालय डहर्रा	1964

विकास खण्ड : कबरई

क्रम	प्राथमिक विद्यालय का नाम	सत्र
1.	प्राथमिक विद्यालय सतारी	1945
2.	प्राथमिक विद्यालय मवैया	1965
3.	प्राथमिक विद्यालय गुण्ड	1949
4.	प्राथमिक विद्यालय स्यावन	1946
5.	प्राथमिक विद्यालय बमनौरा	1978
6.	प्राथमिक विद्यालय ललौनी	1976
7.	प्राथमिक विद्यालय बछेछर खुर्द	1972
8.	प्राथमिक विद्यालय सीगौन	1975
9.	कन्या प्राथमिक विद्यालय आरी	1973
10.	प्राथमिक विद्यालय कमालपुरा	1960
11.	कन्या प्राथमिक विद्यालय लाड़पुर	1954

उच्च प्राथमिक विद्यालय

क्रम	ब्लाक का नाम	उच्च प्राथमिक विद्यालय का नाम	सत्र
1.	कबरई	उच्च प्राथमिक विद्यालय पिपरामॉफ	1965
2.	चरखारी	उच्च प्राथमिक विद्यालय खरेला	भवनहीन
3.	पनवाड़ी	उच्च प्राथमिक विद्यालय काशीपुरा	भवनहीन
		उच्च प्राथमिक विद्यालय नकरा	भवनहीन
4.	नगर क्षेत्र, महोबा	कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय छजमनपुरा, महोबा	भवनहीन

लघु मरम्मत :–

जनपद में 210 विद्यालय लघु मरम्मत योग्य है जहाँ सर्व शिक्षा अभियान के तहत मरम्मत के लिए प्राविधान किया जा रहा है। साथ ही साथ 100 विकलांग बच्चे बाहुल्य विद्यालयों में रैम्प्स के निर्माण हेतु भी लघु मरम्मत का प्राविधान सर्व शिक्षा अभियान के तहत किया जा रहा है, जिनका वर्षवार विवरण सारिणी में दिया गया है।

वृहद मरम्मत :–

जनपद में 81 विद्यालय वृहद मरम्मत के योग्य है, जिनका प्राविधान सर्व शिक्षा अभियान के तहत किया जा रहा है। वर्षवार प्राविधान सारिणी में दिग्रा गया है।

सारणी 8.2

सत्र	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय
2003–04	–	–
2004–05	30	–
2005–06	20	–
2006–07	–	–

अतिरिक्त कक्षा कक्ष :–

वर्तमान सत्र में जनपद मे प्राथमिक स्तर के कुल 1389 कक्षा कक्षों में शिक्षण कार्य चल रहा है, जबकि आवश्यकता 1:40 के अनुपात मे 1984 होगी। प्रतिकक्ष 40 बच्चे की दर से अतिरिक्त कक्षा कक्षो की आवश्यकता सारिणी 8.3 के अनुसार होगी।

वर्ष 2005-06 में 04 ..... प्राथमिक एवं 04 ..... उच्च प्राथमिक विद्यालयों का आकंलन प्रस्तावित है।

एम.आई.एस. एवं नवीन सर्वे के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शौचालय की आवश्यकता का प्रस्ताव निम्नवत् है।

वर्ष	प्रस्तावित लक्ष्य	
2004-05	200	
2005-06	143	
2006-07	0	
योग	343	

इस लक्ष्य 343 का है।

सारणी 8.3

अतिरिक्त कक्षा कक्ष का वर्षवार विवरण

सत्र	परिषदीय नामांकन	1:40 के अनुपात में आवश्यकता	सत्र में कक्षों की उपलब्धता
2003–04	83408	2085	1389
2004–05	85344	2134	1514
2005–06	88427	2211	1637
2006–07	91586	2289	1637
2007–08	93939	2348	1637
2008–09	96341	2408	1637
2009–10	98798	248	1637

प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को तीन कक्ष देने के लिये निम्नलिखित कक्षों की आवश्यकता होगी, जिन्हें निम्नवत् सत्रों के आधार पर दिया जायेगा।

क्रियाकलाप	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
अतिरिक्त कक्षा कक्ष	–	125	123	–

उच्च प्राथमिक विद्यालयों मे अतिरिक्त कक्षा कक्षों आवश्यकता नहीं है।

शौचालय निर्माण :–

जनपद के कुल 591 प्राथमिक विद्यालयो मे हो कुल 448 विद्यालयों में शौचाल की व्यवस्था के अवशेष 143 विद्यालयो में शौचालय दिया जाना आवश्यक है। 126 अन्य प्राथमिक विद्यालयो में से 88 विद्यालयो मे शौचालय की व्यवस्था है। अवशेष विद्यालयो में शौचालय का प्रावधान किया जा रहा है।

सारणी 8.4

क्रियाकलाप	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
शौचालय प्रा. वि.	–	100	43	–
शौचालय उ.प्रा.वि.	–	20	18	–

पेयजल व्यवस्था :–

जनपद में 591 प्राथमिक विद्यालयों में 486 विद्यालयो में पेयजल की व्यवस्था है। अवशेष 123 विद्यालयों में पेयजल हेतु प्रावधान आगामी वर्षो में किया जायेगा। इसी प्रकार 126 उ0प्रा0वि0 में से 111 उ0प्रा0 विद्यालयों मे पेयजल की सुविधा है। अवशेष विद्यालयो में पेयजल की व्यवस्था आगामी वर्षो में की जायेगी।

सारणी

क्रियाकलाप	2003--04	2004–05	2005–06	2006–07
पेयजल प्रा. वि.	–	75	48	–
पेयजल उ.प्रा.वि.	–	10	05	–

अतिरिक्त शिक्षकों की व्यवस्था :–

सत्र 2003–04 में 31 अगस्त, 03 तक परिषदीय नामांकन 83408 था। इस सत्र मे अध्यापको के श्रजित पद 1421 इसके विरूद्व यहाँ पर परिषदीय अध्यापकों की संख्या 1236 थी। इस प्रकार कुल रिक्त पदो की संख्या 185 है। जबकि इस समयावधि मे कुल अध्यापकों की संख्या 2085 थी। अर्थात् 40:1 के अनुपात में अध्यापकों की कमी 849 थी। इसमें 235 शिक्षा मित्रों के द्वारा पूर्ति की जायेगी जो कि पूर्व में स्वीकृत थे। इस स्थिति मे भी 614 अध्यापकों की आवश्यकता होगी। श्रजित पदों के अतिरिक्त रिक्त पद ही पूर्ण कालिक अध्यापको के द्वारा भरे जोगे। अवशेष 464 अध्यापकों की आवश्यकता मे से 332 शिक्षा मित्रों द्वारा एवं 332 पद पूर्ण वेतनिक अध्यापकों द्वारा भरे जायेंगे।

सन 2001 की जनगणना के आधार पर गांववार विस्तृत आंकडें प्राप्त नहीं हुए है। आंकड़ें प्राप्त होने पर आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों (यथा वार्ड, टाउन एरिया, नगर पालिका एवं नगर महापालिकाओं) में एवं जनसंख्या वृद्धि के कारण आगामी वर्षो में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का प्रावधान वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में किया जायेगा।

अतिरिक्त शिक्षकों की व्यवस्था प्राथमिक स्तर

सत्र	कुल नामांकन	परिषदीय नामांकन	1:40 अनुपात में अध्यापक	सृजित पद	अतिरिक्त शिक्षको की व्यवस्था		
					कुल शिक्षक	पूर्ण वेतनिक	शिक्षा मित्र
2003–04	118814	83408	2085	1421	664	332	—
2004–05	121921	85344	2134	2085	49	25	356
2005–06	126325	88427	2211	2134	77	39	38
2006–07	130838	91586	2289	2211	78	39	39
2007–08	134199	93939	2348	2289	59	30	29
2008–09	137630	96343	2408	2348	60	30	30
2009–10	141140	98798	2470	2408	62	31	31

उच्च प्रा० स्तर :–

जनपद में संचालित 126 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 8 विद्यालय 5 की दर से 630 अध्यापकों की आवश्यकता होगी, जिसमें सत्र 2003–04 में 269 अध्यापक कार्यरत है। इस प्रकार 361 पद अब भी रिक्त है। इन पदों को प्राथमिक विद्यालय मे से अध्यापक के प्रमोसन के द्वारा भरा जायेगा। प्रत्येक विद्यालय में न्यूनतम एक गणित/विज्ञान के अध्यापक को अनिवार्य रूप से रखा जायेगा तथा विद्यालय मे 50 प्रतिशत पद अनिवार्यता महिलाओ के द्वारा भरे जायेंगे।

विद्यालय अनुदान एवं रख–रखाव :–

जनपद को प्रत्येक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक परिषदीय राजकीय सहायतित मान्यता प्राप्त (जिनमें उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक कक्षायें सम्मिलित है। विद्यालयों की रंगाई–पुताई हेतु रूपा 2000 की दर से एवं रख–रखाव एवं मरम्मत हेतु रूपया 5000 की धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी।

सत्र 2003 में इस प्रकार 593 प्राथमिक विद्यालय एवं 191 उच्च प्राथमिक विद्यालय होंगे।

रख–रखाव

सत्र	परिषदीय / राजकीय / सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालय			रंगाई–पुताई हेतु संख्या	रख–रखाव हेतु प्रस्तावित
	प्राथमिक	उ0 प्राथमिक	योग		
2003–04	593	151	744	744	744
2004–05	604	207	811	811	811
2005–06	604	222	826	826	779
2006–07	604	222	826	826	779
2007–08	604	222	826	826	779

बालिका शिक्षा

पृष्ठ भूमि :–

जनपद महोबा बुन्देलखण्ड की परिधि में आता है। यहाँ समुदाय के लिो गनिवास करते हैं जो बालिका के पैदा होती ही उसे हीन दृष्टि से देखते है और यही भावना उनके हृदय में बालिका की शादी होने तक अपना स्थान बनाये रखती है। परिणाममतः बालको की अपेक्षा माता–पिता बालिका के खान–पान हनावा शिक्षा आदि में भिन्नता दर्शाते है। फलतः प्रारम्भ से ही बालिका के हृदय में भिन्नता की भावना ऐसे स्थायी भाव बनाती है जो उनकी शैक्षिक प्रगति में बाधक बनती है। दूसरे ग्राम के सम्भ्रान्त परिवारें के कुछ ऐसे पिछड़े परिवार के है जो अपनी बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण करा लेते हें इसके बाद उच्च प्राथमिक शिक्षा हेतु विद्यालय भेजना अपनी मर्यादा के प्रतिकूल मानते है। इसी प्रकार बालकों की शादी उपरान्त दूसरे परिवार की कन्यायें जो वधू होती है। वे आज भी मौजूद पर्दा प्रथा जैसी रूढ़वादिता की शिकार बनती है। जिससे उनका शारीरिक विकास तो हो जाता है किन्तु शैक्षिक विकास में पठार आ जाता है। फलतः आगे गति असम्भावित हो जाती है। यही कारण नजर आता है कि इस जनपद को विकास खण्ड में पुरूषों की अपेक्षा महिलाओ की साक्षरता दर निम्न स्तर की है, जैसा कि अध्याय 2 की सारिणी सं. 2.2 से स्पष्ट होता है। सन् 2001 की जनगणना के आधार पर जनपद महोबा में यहाँ पुरूषों की साक्षरता दर 66.83 प्रतिशत है। वहीं महिलाओं की साक्षरता दर 39.57 प्रतिशत है।

समस्यायें व विशलेषण :–

जनपद महोबा बालिका शिक्षा के प्रति रूढ़ि वादिता मर्यादा पर्दा प्रथा आदि परम्परागत संकीर्णताओं से जकड़ा होने के परिणाम स्वरूप उनकी शैक्षिक प्रगति में वांछित प्रगति नहीं कर पा रहा है। इसके साथ–साथ बालिका शिक्षा की प्रगति में बाधक निम्न समस्यायें है, जिनका विश्लेषण किया जा रहा है।

असुरक्षा की भावना :–

जनपद महोबा का घनत्व 249 व्यक्तिप्रति वर्ग कि.मी. है। इस आधार पर हम कह सकते है कि जनपद के ग्राम काफी विरले बसे हुये है। एक कि.मी. से अधिक दूरी पर प्राथमिक स्तर की छोटी बालिकायें तथा 3 कि.मी. 0 से अधिक दूरी पर जूनियर स्तर की बालिकायें जाने में स्वयं को असुरक्षित महसूस करती है। दूसरे बुन्देलखण्ड के कुछ निवासियों की अपराधिक पृवृत्ति इस असुरक्षा की भावना की अधिक बल प्रदान करती है, में पर्याप्त आर्थिक उपार्जन नहीं हो पाता है। अतः महिला एवं पुरूष दोनों मजदूरी करने के लिये घर से बाहर निकलते है तथा छोटे बच्चों की जबाबदारी लड़कियों पर रहती है। कुछ लड़कियाँ आर्थिक उपार्जन में परिवार का सहयोग भी करती है। इस कारण पढ़ाई से वंचित रह जाती है।

गृह कार्य में लगाना :–

जैसे ही बालिका कुछ बड़ी होती है। वैसे ही माँ बालिका को अपने सहयोगी बनाने लगती है, जिससे बालिका को विद्यालय न भेजकर माँ अपने साथ गृह कार्यों में समायोजित किये रहती है। परिणाम स्वरूप बालिका को अपनी शैक्षिक प्रगति की अभिचि नहीं रह जाती है और यह शिक्षा की मुख्य धारा से अलग हो जाती है। दूसरे कतिपय परिवार बच्चियो को चिट्ठी पत्री के पढ़ने व लिखने की लालसा से ही प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा दिलाकर बन्द कर देते हैं और उन्हें पराया धन समझकर उनके प्रति और अधिकार खर्च करने का औचित्य नहीं समझते है।

बालिकाओं के लिए सुविधाओ का अभाव :–

महोबा जनपद में कुछ बस्तियाँ ऐसी है जिनमे निवास कर रहे समुदायों को शिक्षा हेतु दूसरी बस्तियों में भेजना पड़ता है, जिनमें आने–जाने की व्यवस्था नहीं होती है, जिससे ऐसी

बस्त्यों की बालिकायें आगे की शिक्षाधारा से विलग हो जाती है। दूसरे माता–पिता की बालिका–बालिका के प्रति भिन्न विचारधारा होने के कारण माता–पिता बालक जैसी सुविधायें बालिकाओं को नहीं देते। जो बालिका शिक्षा की प्रगति में अवरोधक बनती है और महिला साक्षरता के प्रतिशत को प्रभावित करती है।

सह शिक्षा :–

जन समुदाय में आज भी जेन्डर भेद की भावना व्याप्त है, जिसके कारण जिन बस्तियों में बालिका शिक्षा की व्यवस्था बालकों के साथ–साथ उन बस्तियों के अभिभावक अपनी बालिकओं को विद्यालय को भेजकर शिक्षा प्राप्त कराना उचित नहीं मानते। जिसे उनकी मानसिक अवधारणा ही कहा जा सकता है। इसके प्रतिशोध में जन समुदाय को जागरूक करना आवश्यक ही हनी अनिवार्य प्रतीत होता है। यदि जन समुदाय के लोगों में जेण्डर भेद की भावना समाप्त हो जाये तो बालिकाओं को शिक्षा की धारा से जोड़कर बालिका शिक्षा की प्रगति की जा सकती है।

महिला शिक्षकों की कमी :–

जनपद महोबा में पुरूष अध्यापकों की तुलना में महिला अध्यापकों की संख्या कम है, जिससे प्रत्येक विद्यालय मे महिला अध्यापक उपलब्ध करा पाना असम्भावित प्रतीत होता है। जैसाकि लोगों की धारणा हे कि बालिकायें महिला अध्यापक से अपनी समस्याओ को जिस प्रकार उजागर कर सकती हैं उस प्रकार पुरूष अध्यापक से नहीं। पुरूष अध्यापक बालिकाओं की समस्यओं को कारगर ढ़ंग से निष्पादित भी नहीं कर पाते है। अभिभावक भी अध्यापक के रूप में अपनी बालिकाओ के लिये महिलाओं को वरीयता देते है। इस कारण विद्यालय में महिला अध्यापक का होना आवश्यक हैं।

मजदूरी के लिये औद्योगिक क्षेत्रों का पलायन :–

जनपद मे रोजी–रोटी का साधन न होने के कारण कुछ परिवार इस हेतु औद्योगिक नगरों को पलायन कर जाते हैं जो सितम्बर–अक्टूबर में पलायन कर मार्च–अप्रैल मे वापस आते हैं जो कि शिक्षा का सत्र होता है। इन परिवारों के बच्चे मुख्य रूप से बालिकायें पढ़ने से वंचित रह जाती हैं। कुछ परिवार पढ़ाई हेतु लड़कों को तो रिश्तेदारों के यहाँ छोड़ देते है परन्तु लड़कियों

को रिश्तेदारों के यहाँ नहीं छोड़ा जाता हैं और इन्हें साथ में ले जाया जाता है। जहाँ इनका प्रवेश विद्यालयो में नहीं दिलवाया जाता हैं। खेती किसानी के समय भी इन लड़कियों को विद्यालय नहीं भेजा जाता है। बल्कि कृषि कार्य में लगा दिया जाता है, जिस कारण लड़कियों का ड्राप आउट बढ़ जाता है।

रणनीति एवं कार्यक्रम

क. सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम

1. मीना कैम्पेन :–

मीना एक यूनीसेफ द्वारा की गयी फिल्म है जो बालिका शिक्षा ठहराव बालक बालिका भेद काम के महत्व आदि बिन्दुओं को दर्शाती है, जिसके प्रदर्शन से गाँव के लोग बालिका शिक्षा के प्रति एवं उनकी समानता के प्रति संवेदनशील होते है बालिकायें भी विद्यालय जाने के प्रति उत्सुक होती है।

प्रदर्शन एवं पूर्व तैयारी :–

फिल्म प्रदर्शन के पूर्व गाँव एवं स्थान का चयन करना होता है इसके चयन को उन गाँवों को वरीयता दी हाती है जहाँ बालिकाओं के प्रति भेदभाव अधिक है तथा बालिकाओं का नामांकन एवं ठहरव कम है। इन गाँवो का चयन करके गाँव वासियों के साथ सम्पर्क किया जात है उन्हें दिन तथा कार्यक्रम की जानकारी दी जाती है गोष्ठी में बालिकाओं के प्रति उनकी विचारधारा की जानकारी ली जाती है तथा उसे मीना केम्पेन पूव प्रश्नावली में भरा जाता है साथ ही साथ प्रदर्शन के पूर्व पूरी ग्राम सभा का वातावरण सृजन किया जाता है।

प्रदर्शन :–

फिल्म का प्रदर्शन सामुदायिक स्थान पर किया जाता है स्थान इस प्रकार चयनित किया जाता है जो कि सुरक्षित एवं विवाद रहित हो वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में समुाय आ सके फिल्म प्रदर्शन के पूर्व गाँव वालों को संक्षिप्त जानकारी दी जाती है। बाद में फिल्म का प्रदर्शन किया जाता है। प्रत्येक कहानी बाद गाँव वालों से उसकी समीक्षा करायी जाती है।

अनुश्रवण :–

प्रदर्शन के बाद फिल्म समीक्षा एवं अनुश्रवण किया जायेगा जिसमें गाँव वालों से मीना कैम्पेन पश्चात् प्रश्नावली भरवायी जायेगी तथा इस बात का अनुश्रवण किया जायेगा कि क्या गाँव वालो की विचारधारा में परिवर्तन आ रहा हैं अथवा नहीं।

आयोजन का समय :–

फिल्म दिखाने का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव में वृद्वि करना है। अतः इसके प्रदर्शन के लिये जून–जुलाई एवं नवम्बर–दिसम्बर के माह सर्वोत्तम होते हैं क्योंकि इन्हीं महीनो में क्रमशः नामांकन एवं ठहराव का कार्यक्रम सर्वोत्तम होता है।

2. माँ–बेटी मेला :–

माँ–बेटी मेला माताओ एवं बेटियों को एक मंच पर लाकर उनकी बीच की दूरियों को समाप्त करवाता है। इसका आयोजन भी ऐसे स्थलों पर किया जाता है जहाँ महिला साक्षरता दर कम हो क्योंकि जहाँ एक निरक्षर माँ अपनी बेटी विद्यालय भेजने के बजाय गृह कार्य में लगाना चाहती हैं वहीं बेटी पढ़ने के इच्छुक रहती है। इस मेले मे सामूहिक रूप से पढ़ाई के बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया जाता है तथा विद्यालय जाने में आने वाली समस्याओं पर एक दूसरे के सुझाव लिये जाते है।

आयोजन पूर्व प्रक्रिया :–

आयोजन के पूर्व गाँवो में वातावरण का सृजन किा जाता है व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाता है। ऐसे स्थलों को चयन किया जाता है। जहाँ आने–जाने में सुविधा हो स्थल सार्वजनिक एवं विवाद रहित हो तथा जहाँ पर्याप्त मात्रा में मातायें एवं बेटियाँ एक साथ हो सके।

आयोजन प्रक्रिया :–

माताओं द्वारा उनके अनुभवों के प्रस्तुतीकरण के साथ प्रस्तुतिकरण किया जाता है। तदोपरान्त बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से बालिकाओं की शिक्षा को मुख्य बिन्दु बनाया जाता है। मेले के दौरान उन बालिकाओं को सम्मिलित किया जाता है जो पढ़ाई, उपस्थिति विशेष गतिविधियों संगीत खेल आदि में अग्रिम रहती हैं साथ ही साथ मेले के दौरान स्वल्पाहार की व्यवस्था की जाती है।

अनुश्रवण :–

अनुश्रवण में इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि महिलाओं में बालिका शिक्षा के प्रति जागरूकता हो बालिकाओं का नामांकन एवं ठहराव लक्ष्योन्मुख हो साथ ही साथ शत–प्रतिशत सम्प्राप्ति का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

आयोजन अवधि :–

मेले का उद्देश्य नामांकन एवं ठहराव अतः इसे सम्पूर्ण सत्र में क्रमशः संचालित किया जायेगा।

3. विभिन्न समितियों का गठन एवं बैठकें

ग्राम शिक्षा समिति :–

ग्राम शिक्षा समिति का गठन ग्राम सभा स्तर पर किया जाता है जिसमें गाम प्रधान अध्यक्ष वरिष्ठ प्रधान अध्यापक सचिव तथा तीन अभिभावक सदस्य होते है जिसमें एक महिला अभिभावक का होना अनिवार्य है। ग्राम शिक्षा समिति के गठन का प्रमुख उद्देश्य जन समुदाय को शिक्षा से जोड़ना है। ग्राम शिक्षा समिति की प्रत्येक महिला गोष्ठी का आयोजन किया जाना अनिवार्य है। इमें ग्राम शिक्षा समिति को शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलापों से अवगत कराया जाता है। साथ ही साथ शिक्षा सम्बन्धी समस्यों ज्ञात की जाती है। ग्राम शिक्षा समिति का प्राविधान पंचायत राज अधिनियम के अन्तर्गत किया गया है। ग्राम सभा स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम एवं सर्व शिक्षा अभियान की विभिन्न गतिविधियों को संचालित करने उनका अनुश्रवण करनेएवं पर्यवेक्षण करने की जबाबदारी ग्राम शिक्षा समितियों की है। जनपद महोबा में समस्त 231 ग्राम शिक्षा समितियों का गठन कर लिया गया है। साथ ही साथ उनका प्रशिक्षण भी करा लिया गया है। कुछ ग्राम सभा में इनकी नियमितत बैठके भी प्रारम्भ हो गयी हैं परन्तु फिर भी अभिप्रेरण की आवश्यकता है। अतः सर्व शिक्षा अभियान में इनके दो दिवसीय अभिप्रेरण प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है।

महिला प्रेरक समूह :–

गाँव स्तर जहाँ महिला साक्षरता दर कम हैं एवं बस्तियों की दूरी विद्यालय से अधिक है वहाँ महिला प्रेरक समूहों का गठन किया गया है। इनमे ऐसी महिलाओं का चयनित किया गया है

जो समर्पित हों एवं सशक्त हों इन महिलाओं का कार्य बालिओं के समूह को एकत्र कर विद्यालय तक भेजना होगा साथ ही साथ महिलाओं का अभिप्रेरण करना भी इनका कार्य होगा। प्रत्येक महिला प्रेरक समूह में 10 से 12 महिलायें होगी। इन समूहों का गठन सतत तीन वर्ष तक होता रहेगा तथा सम्पूर्ण जनपद में समूहों का गठन कर लिया जायेगा, जिनका प्रशिक्षण भी करवाया जायेगा। वर्तमान में जनपद में लगभग 100 समूहों का गठन कर लिया गया है।

माता शिक्षक संघ/अभिभावक शिक्षक संघ :–

माता शिक्षक संघ/अभिभावक शिक्षक संघ में ऐसी माताओं/अभिभावकों को सम्मिलित किया जायेगा जिनके बच्चे विभिन्न वर्गों से या जिनके बच्चे विभिन्न क्षेत्रों की योग्यता रखते हैं इनमें 9 माताओं/अभिभावकों को सम्मिलित किया जायेगा तथा एक शिक्षक भी इसका सदस्य रहेगा। इनका गठन प्रत्येक विद्यालय में कयिा जोयगा अभी समस्त आदर्श शंकुल के विद्यालयों में इनका गठन कर लिया गया है। इन संघों के गठन का प्रमुख उद्देश्य अभिभावकों एवं माताओं तथा अध्यापको के मध्य की दूरियो को कम करना एवं बच्चों की समस्याओ से एक दूसरे को अवगत कराना है। तदोपरान्त इस प्रकार का माहोल बनाना जिससे कि बच्चो की समस्याओं को दूर किया जा सके एवं अध्यापन के दौरान उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो। इन संघों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत की जा रही है।

4. विशेष नामांक अभियान :–

जनपद की मूल समस्या शैक्षिक सत्र में बच्चों के द्वारा नाम कटा लेना है इन बच्चों को विद्यालय से पुनः जोड़ने के लिये एवं ऐसे बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के लिये जिन्होनें सितम्बर तक नाम नहीं लिखवाया विशेष नामांकन अभियान चलाया जायेगा। इसके तहत ऐसे बचों के अभिभावकों से डोर–टू–डोर सम्पर्क किया जायेगा तथा बीच सत्र में ही अनौपचारिक रूप से इनका नामांकन करवाया जायेगा।

5. कला जत्था :–

जनपद में औपचारिक रूप से किसी भी कला जत्था का गठन नहीं किया गया है परन्तु अनौपचारिक रूप से विद्यालय स्तर पर बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न कराये

जा रहे है। इनका मुख्य थीम बेटी हो स्कूल में रहता ह। इसेक साथ–साथ गाँव वालों द्वारा नुक्कड़ नाटको का प्रयोग किया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 15–15 प्रस्तुतियो का प्राविधान विकास खण्ड स्तर पर करवाया जायेगा जिससे कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिल सके।

6. <u>रैलियाँ एवं नारे लेखन</u> :–

स्कूल चलो अभियान के समय के अतिरिक्त अन्य समयों पर भी ग्रम सभा स्तर पर रैलियाँ एवं नारे लेखन का आयोजन किया जाता है, जिसका प्रमुख विषय बालिका शिक्षा बनाया जाता है इस हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 5000 रूपये प्रति विकास खण्ड की दर से प्राविधान किया जा रहा है।

7. <u>ठहराव परिक्रमा</u> :–

नामांकन के बाद प्रमुख उद्देश्य विद्यालय में बालिकाओं के ठहराव की होती है। इस हेतु अभिभावकों ग्राम शिक्षा समिति सदस्यों शिक्षकों तथा बच्चों को साथ लेकर उन स्थ्ज्ञानों पर परिक्रमायें निकाली जाती है, जिन स्थानें के बच्चे विद्यालय नहीं आते या जिनकी उपस्थिति कम रहती है। ऐसे बच्चों को उनके दरवाजे के सामने नाम लेकर पुकारा जाता है, जिससे वे विद्यालय जाने के लिये अभिप्रेरित हो साथ ही साथ अभिभावक के अन्दर बच्चे को विद्यालय भेजने की उत्सुकता जाग्रत होती है। इन परिक्रमाओं में नारों तथ गीतों का प्रयोग किया जाता है। ये परिक्रमायें परिस्थितियों के अनुसार साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक सम्पन्न करायी जा सकती है।

8. <u>अन्य कार्यक्रम</u> :–

बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव के लिये प्रत्येक पंचायत स्तर पर वर्ष बार मेले का आयोजन किया जायेगा साथ ही साथ प्रतिवर्ष आडियों एवं वीडियो टेप्स का भी निर्माण बालिकाओं की शिक्षा की जाग्रति के लिये किया जायेगा, जिसके लिये प्रतिवर्ष 10–10 हजार रूपये का प्राविधान सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत किया गया है।

ख. बालिका शिक्षा हेतु क्षमता संवर्धन

1. जिला संदर्भ समूह, ब्लाक संदर्भ समूह का गठन एवं प्रशिक्षण :–

बालिका शिक्षा के क्षेत्र में जाग्रति लाने हेतु जिला संदर्भ समूह एवं ब्लाक संदर्भ समूहों का गठन किया गया है। इसमें विभिनन शिक्षविदों जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को सदस्य बनाया गया है। जिला संदर्भ समूह की प्रत्येक तीन माह मे गोष्ठी आयोजित की जाती है। इसी प्रकार ब्लाक संदर्भ समूहों की गोष्ठियों का आयोजन भी सतत किया जाता हे। इन गोष्ठियों में बालिका शिक्षा से सम्बन्धित कई विषयों पर चर्चा की जाती है एवं समस्याओं और रणनीतियों पर विस्तृत प्रकाश डाला जाता है। इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत की गयी है।

2. बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. एवं अध्यापकों का प्रशिक्षण :–

जनपद के समस्त बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. तथा अध्यापकों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण जेन्डर संवेदीकरण हेतु कराया जायेगा जिसमें अनन्त, असीम आदि मोडयूल का प्रयोग किया जायेगा। इस प्रशिक्षण में मूलतः बालिकाओं की शैक्षिक समस्याओं उनके प्रति अभिभावकों एवं अध्यापकों द्वारा किये जाने वाले भेदभाव आदि पर विस्तृत चर्चा की जायेगी।

3. ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण :–

जनपद की समस्त 231 ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण सम्पन्न करा लिया गया है। जिसमे प्रयास एवं संकल्प मोडयूल का उपयोग किया गया है। इस तीन दिवसीय प्रशिक्षण में डेढ़ दिन का कार्यक्रम केवल बालिका शिक्षा से सम्बन्धित रखा गया था। जनपद मे इस प्रशिक्षण में 25 सदस्यों की जगह औसत 50 व्यक्तियों ने प्रतिभग किया साथ ही साथ बालिका शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों में प्रतिभाग किया। प्रत्येक प्रशिक्षण को ग्राम सभा स्तर पर सम्पन्न कराया गया था। इनका प्रशिक्षण ब्लाक संदर्भ के सदस्यों द्वारा सम्पन्न कराया गया।

4. महिला प्रेरक समूह/एम.टी.ए./पी.टी.ए. का प्रशिक्षण :–

जेण्डर संवेदीकरण हेतु इन सघों का दो दिवसीय प्रशिक्षण गाँव स्तर पर सम्पन्न कराया जाना। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राविधानित किया गया है। इसमें प्रत्येक डब्लयू.एम.जी./

एम.टी.ए./पी.टी.ए. का प्रशिक्षण राज्य स्तर से प्रशिक्षित मास्तर ट्रेनर्स द्वारा सम्पन्न कराया जायेगा। इन प्रशिक्षणों का मुख्य् उद्देश्य महिलओं को माताओं को, अभिभावकों को बालिका शिक्षा के प्रति अभिप्रेरित करना है।

ग. अन्य रणनीतियाँ

1. असेवित बस्तियों में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना :-

बालिकाओं को शिक्षा की पहुँच बनाने के लिये असेवित बस्तियों में 18 प्राथमिक विद्यालय 84 उच्च प्राथमिक विद्यालय 100 विद्या केन्द्र, 1110 ज्ञानशाला, 95 ज्ञानकेन्द्र की स्थापना की जायेगी। 18 प्राथमिक विद्यालयों में से 5 प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत की जायेगी जबकि 13 प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत की जायेगी। इन विद्यालयों के स्थापना का वर्षवार विवरण सारिणी 6.3 में दिया गया है, जबकि वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो की स्थापना का वर्षवार विरण सारिणी 7.4 में दिया गया है।

2. शौचालय की व्यवस्था :-

बालिकाओं के विद्यालय न जाने का एक कारण विद्यालय मे शौचालय का अभाव भी होता है। अतः जनपद में 369 असेवित प्राथमिक विद्यालयो में एवं 11 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय का प्राविधान किया गया है, जिसमें से 266 विद्यालयों में शौचालय निर्माण जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत करवाया जायेगा जबकि अवशेष 174 विद्यालयों में शौचालय सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत करवाया जायेगा। इनका वर्षवार विवरण सारिणी मे किया गया है।

3. शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना :-

लड़कियों के विद्यालय न आने का एक प्रमुख कारण छोट बच्चो की देखभाल करना होता है। इस बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुये सर्व शिक्षा अभियान 270 शिशु शिक्षा केन्द्रो की स्थापना प्राथमिक विद्यालय प्रांगण में की जा रही है।

शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है।

1. 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य की स्थिति सुधारना।
2. बीमारी, कुपोषण और स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या व बाल मृत्यु दर में कमी लाना।
3. बाल विकास को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न विभागों मे नीति और उनके अमल में लाने के उपायों के कार्यान्वयन में प्रभावकारी समन्वय स्थापित करना।
4. उचित पोषण आहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य और पौष्टिक आवश्यकताओं की देख–रेख के लिए माताओं को योग्य बनाना एवं 11–18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं का चयन एवं उन्हें आंगनबाड़ी केन्द्रों की सेवाएं प्रदान करना।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण :–

जनपद मे बच्चो द्वारा शिक्षा न ग्रहण करने का कारण अभिभावकों का आर्थिक पिछड़ापन है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये जिला प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के बालकों एवं समस्त बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रावधानित किया जा रहा है।

सत्र 2003–04 से सत्र 2004–05 तक प्राथमिक स्तर के राजकीय परिषदीय एवं सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयो के लिये जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम द्वारा एवं आगामी वर्षो में सर्व शिक्षा द्वारा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का प्रावधान किया जा रहा है। राजकीय परिषदीय एवं सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयो में अनुसूचित जाति के बालकों एवं समस्त बालिकाओं के लिये निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का प्रावधान सर्व शिक्षा अभिान के अन्तगत किया जा रहा है।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तक हेतु संख्या राजकीय/परिषदीय एवं सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के बच्चों हेतु।

सत्र	प्राथमिक स्तर			उच्च प्राथमिक स्तर		
	कुल बालिका	अनु.जा.बालक	योग	कुल बालिका	अनु.जा.बालक	योग
2003–04	–	–	–	14484	3582	
2004–05	–	–	–	14787	3659	
2005–06	54048	16551	75599	15116	3738	
2006–07	55094	18140	73234	15443	3819	
2007–08	58372	19882	78254	15777	3902	
2008–09	60942	21791	82733	16117	3986	
2009–10	67266	23882	87148	16465	4072	

उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु कम्प्यूटर शिक्षा का प्रावधान :–

सत्र 2003–04 मे जनपद में 126 परिषदीय विद्यालय संचालित है तथा 56 विद्यालय सत्र में स्वीकृत हो चुके है। इस प्रकार उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 82 हो जाती है। इस प्रकार आगामी सत्र हेतु 15 अतिरिक्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों का प्रावधान रखा गया है। इस प्रकार कुल उच्च प्राथमिक विद्यालय की संख्या 197 हो जाये। इन 197 विद्यालयो में से 100 विद्यालयो में कम्प्यूटर शिक्षा का प्रावधान सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत किया जा रहा है।

क्रियाकलाप	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
उ.प्रा.विद्यालय हेतु कम्प्यूटर	–	40	30	30

शिशु शिक्षा केन्द्रो की स्थापना

क्रियाकलाप	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
E.C.C.E. केन्द्र	–	200	70	–

मार्डन क्लिस्टर डिवलबमेन्ट एप्रोच

क्रियाकलाप	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
M.C.D.A.	35	39	39	39

विकलांग बच्चों का विवरण :–

परिवार सर्वेक्षण के दौरान कराये गये जनपद में कुल विकलाँग बच्चो की संख्या 1403 आंकलित की गई है। इनमें सर्वाधिक बच्चे शारीरिक अक्षमता से सम्बद्व थे। विभिन्न वय वर्ग के विकलाँग बच्चो की गणना निम्नानुसार है।

जातिवार विकलाँग बच्चो का विवरण

वर्ग	बालक		बालिका	
	6 से 11	11 से 14	6 से 11	11 से 14
सामान्य	79	35	38	10
अनु.जा.	157	95	102	48
पिछड़ी जाति	342	151	158	65
अल्पसंख्यक	43	20	14	8
योग	651	309	312	131

विकलाँगता के प्रकार के आधार पर वर्गीकरण

कारण	बालक		बालिका	
	6 से 11	11 से 14	6 से 11	11 से 14
1. दृष्टि	55	16	35	15
2. सुनना	70	21	16	14
3. बोलना	43	24	24	11
4. अधिगम अक्षमता	31	11	15	08
5. मानसिक मन्दता	78	42	34	15
6. शारीरिक अक्षमता	331	157	161	66
7. अन्य	43	38	27	02

अध्यापक अनुदान :–

परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के समस्त अध्यापकों एवं शिक्षामित्रों एवं राजकीय तथा सहायतित मान्यता प्राप्त प्रत्येक विद्यालय के तीन–2 अध्यापकों को सहायक शिक्षण सामग्री तैयार करने हेतु रूपया 500 सौ की दर से प्रति वर्ष उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे अध्यापक सहायक सामग्री के माध्यम से व्यवहारिक उपयोग कराते हुये बच्चो को, उचित शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध कराये।

घ. विशेष क्षेत्रों हेतु रणनीतियाँ

जनपद महोबा मध्य प्रदेश से लगा हुआ जिला है। यहाँ कई क्षेत्र ऐसे है जो बालिका शिक्षा में विशेष रूप से पिछड़े हुये हैं। इस क्षेत्र में बालिका शिक्षा की जाग्रति लाने के लिये कई कार्यक्रम चलाये जाने प्राविधान सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत किया गया है। जनपद मे मूलरूप से जैतपुर, पनवाड़ी एवं कबरई विकास खण्ड के कुछ क्षेत्र विशेष रूप से बालिका शिक्षा की समस्याओं से ग्रसित है। इनके लिये निम्न कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राविधानित किये जा रहे है।

1. माडल क्लस्टर डवलपमेन्ट एप्रोच :–

माडल क्लस्टर डवलपमेन्ट एप्रोच का उद्देश्य मानक में आने वाली न्याय पंचायतों को शिक्ष के क्षेत्र मे आगे लाना है। इन न्याय पंचायतों में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ सम्पन्न करायी जाती है। जिससे कि अभिभावकों की जागरूकाता बढ़े बालिकाओं एवं बालकों का शत–प्रतिशत नामांकन एवं ठहराव हो साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में गुड़वत्ता वृद्वि हो।

चयन :–

एम.सी.डी.ए. हेतु ऐसी न्याय पंचायतों का चयन किया जाता है जो निम्न मानकों को पूरा करें।

1. न्यून महिला साक्षरता दर।
2. बालिकाओं का ठहराव एवं नामांकन कम।
3. एस.सी.एस.टी. बाहुल्य।
4. सक्रिय ग्राम शिक्षा समितियाँ।
5. शैक्षिक पिछड़ापन।

सदस्य :–

एन.सी.डी.ए. के निम्न सदस्य होते है।

1. विशेषज्ञ बेसिक शिक्षाधिकारी।
2. जिला समन्वयक बालिका शिक्षा/सामुदायिक सहभागिता।
3. न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयक।
4. विशेष वर्गों के सदस्य/जन प्रतिनिधि।
5. जागरूक महिलायें।

2. ग्रीष्म कालीन शिविर :–

जन क्षेत्रों में बालिकाओं का ड्राप आउट अधिक होता हैं वहाँ पर ग्रीष्म कालीन शिविर चलाये जाते है। इन शिविरों में ड्राप आउट वाली बालिकाओं का प्रवेश दिलाया जाता है। जिनकी न्यूनतम संख्या 30 होती है। इनमें मुख्य रूप से 9–14 वय वर्ग की बालिकायें सम्मिलित की जाती है। शिविरि का मुख्य उद्देश्य इन बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ना है। शिविर के उपरान्त इन बालिकाओं के नामांकन की जबाबदारी शिविर चलाने वाले शिक्षकों की होती है। जनपद महोबा में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रतिवर्ष 40 शिविरों का प्राविधान किया गया है।

3. विशेष आवासीय शिविर :–

जिन बच्चों के अभिभावक व्यवसाय हेतु गाँव से पलायन कर जाते हैं या जिन गाँवो

में विद्यालय सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे गाँव के बच्चों हेतु आवासीय शिविर/ब्रिज कोर्सों की स्थापना की गयी है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद मे प्रतिवर्ष ऐसे दो शिविरों का आयोजन किया जायेगा। जिन्हें ब्लाक मुख्यालय पर सम्पन्न किया जायेगा। जनपद के चारों विकास खण्ड इन शिविरों से आच्छादित किये जायेगें। इन शिविरों का प्रमुख उद्देश्य पहुँच से दूर वाली बालिकाओं को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना है।

4. उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए कार्यानुभव :-

जनपद की विशेष स्थिति को देखते हुए उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के शत –प्रतिशत नामांकन एवं ठहराव के लिए करके सीखने की विधि पर जोर दिया जायेगा। इसके अन्तर्गत बालिकाओ को विभिन्न गतिविधियों के आधार पर शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करायी जायेगी। इसमे बालिकाओं की रूचि के साथ–साथ उनके भविष्य को देखते हुए उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए भी शिक्षित करने की व्यवस्था सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत की जोयगी। इसके अन्तर्गत खिलौने बनाना, ग्रीटिंग बनाना, कला चित्रण, कुटीर उद्योग आधारित शिक्षा रंगाई, सिंलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि विभिन्न गतिविधियों में शिक्षित करने की व्यवस्था का प्रावधान सर्वशिक्षा मे किया जा रहा है। इसके साथ–साथ बालिकाओं को आत्मरक्षा हेतु मार्शल आर्ट्स सिखाने की व्यवस्था का भी प्राविधान किया जा रहा है। इस प्रकार बालिकायें कृषि पशुपालन, पुस्तक कला, धातुकला आदि से सम्बन्धित विधाओं में पारंगत होंगी।

क्रियाकलाप	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
S.U.P.W.	08	08	08	08

5. जेन्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण :-

बालिकाओं की शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए जनपद के समस्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर के अध्यापकों को जेन्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसमें से प्राथमिक स्तर के केवल उन्हीं अध्यापकों को सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिन विद्यालयों की स्थापना सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत की गई है। अन्य प्राथमिक स्तर के अध्यापकों का प्रशिक्षण जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत दिया जायेगा।

उच्च प्राथमिक स्तर के समस्त अध्यापकों का प्रशिक्षण सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत किया जाना प्राविधानित है, जिससे कि उनकी विचारधारा में बालक–बालिकाओं के प्रति कोई भेद न हरे, साथ ही साथ ग्राम शिक्षा समितियों माता अध्यापक संघ, अभिभावक अध्यापक संघ, महिला प्रेरक समूह आदि के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी सर्वशिक्षा अभियान के अन्तगत की जायेगी। इनका प्रशिक्षण सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण के साथ कराया जायेगा।

समेकित एवं सम्मिलित शिक्षा :–

देश की लगभग 10 प्रतिशत जनता किसी न किसी विकलांगता से ग्रसित है, जिसका कारण इन बच्चों के अभिभावक ऐसे बच्चों का विद्यालय नहीं भेजते, कुछ अभिभावक इन्हें विद्यालय में प्रवेश दिला भी देते है तो इन बच्चों को अध्यापकों एवं सहपाठियों की उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है, जिससे इन बच्चों में हीन भावना आ जाती है तथा ये विद्यालय जाने से दूर भागने लगते है। परिणाम ये होता है कि शिक्षा के सार्वजनिकरण का लक्ष्य अपूर्ण रह जाता है जबकि ऐसा देखने मे आया है कि एक अक्षमता के बावजूद ऐसे बच्चे किसी विशेष क्षेत्र में आगे होते है।

सर्वेक्षण :–

जिला प्राथमिक योजना के अन्तर्गत जनपद में कक्षा 1 लेकर कक्षा 8 तक के समस्त बच्चों का चिकित्सीय प्रशिक्षण 2000–01 में कराया गया, जिसमें परिषदीय विद्यालय मेंपढ़ने वाले 728 बच्चे विकलांग बच्चों के रूप में चिन्हित किये। इसी योजना के तहत जनपद में एक जिा समन्वयक समेकित शिक्षा का पद भी स्थापित किया गया। जनपद में विकास खण्ड कबरई एवं चरखारी को योजनान्तर्गत लाया गया है। जहाँ से दो ए.बी.आर.सी. समन्वयकों तथा दो एन.पी.आर. सी. समन्वयकों द्वारा 45 द्विवीय प्रशिक्षण इस क्षेत्र में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा सम्पन्न कराया गया। प्रशिक्षण के बाद बच्चों का सर्वेक्षण कर चिन्हीकरण किया गया। सूक्ष्य नियोजन के अन्तर्गत विकलांग बच्चों का सवेक्षण प्रमुख रूप से कराया जा रहा है।

विकलांगता के प्रकार व एसेसमेंट :–

विकलांगता अक्षमता निम्न प्रकार की मानी जाती है।

1. दृष्टि विकलांगता।
2. श्रवण सम्बन्धी विकलांगता।
3. मांसिक मन्दता।
4. अधिगम अक्षमता।
5. अस्थि विकलांगता।

जनपद में इन विकलांगों की पहचान करने हेतु मेडिकल एसेसमेट कैम्प भी लगाये जा रहे है। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए अधिकतम 5 कैम्प प्रति विकास खण्ड एवं उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए एक कैम्प प्रति विकास खण्उ का प्राविधान किया गया है। इन कैम्पों में चिकित्सा अधिकारी से सहयोग प्राप्त करके एक नेत्र सर्जन एक आर्थोपैडिक सर्जन तथा एक ई.एन.टी. को बच्चों के परिक्षण हेतु बुलाया जाता है, किन्तु जनपद महोबा में नाक, कान, गला विशेषज्ञ के अलावा आर्थोपैडिक सर्जन की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिससे परीक्षण में ब्यवधान पैदा होता है।

विशलेषण :–

विकलांगता पैदा होने के दो प्रकार होते है।

1. जन्म से विकलांगता।
2. जन्म के बाद किसी दुर्घटना होने के कारण विकलांगता।

शिक्षकों का सम्वेदीकरण प्रशिक्षण

जनपद के दो विकास खण्डों के समस्त अध्यापकों का पाँच दिवसीय प्रशिक्षण डायट में कराया जायेगा। प्रत्येक बैच में 37 सदस्य हांगे तथा प्रति बैच की दर से रूपये 17200 का प्राविधान किया जायेगा। जनपद के इन अध्यापकों को प्रशिक्षित करते हुये मास्टर टेनर्स का समूह तैयार किया गया है, जिसका 10 दिवसीय प्रशिक्षण बरूआ सागर डायट जनपद झांसी का सम्पन्न करा लिया गया है। इस सप्रशिक्षण के दौरान अध्यापकों को विकलांग बच्चों के प्रति सहानतुभूति एंव उनकी शिक्षा की विधियों पर प्रकाशा डाला जोगा। इसके लिए जनपद में माडयूल का प्रकाशन भी करा लिया गया है।

उपकरण/संयत्रों का वितरण :–

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत बच्चों को सीधे उपकरण उपलब्ध कराने की व्यवस्था ही है। फिर भी रूपये 1200 प्रति छात्र के हिसाब से प्राविधान किया जा रहा है। उपकरण उपलब्ध कराने के लिये मूलतः सहभागिता पर जोर दिया गया है, जिन प्रमुख संस्थाओं का प्रयोग बच्चों को उपमरण/संयंत्र दिलानये जाने हेतु प्राप्त किया जा सकता है वे निम्न है।

1. जिला कल्याण विकलांग विभाग।
2. रेडक्रास सोसायटी।
3. डिस्ट्रक अरबन डवलपमेन्ट एजेन्सी।
4. जिला ग्राम्य विकास अभिकरण।
5. कम्पोजिट फिटनेस सेन्टर।
6. एल्मिको (आर्टीफिसियल लिम मेनुफेक्चिरिंग कारपोरेशन)

उपर्युक्त संस्थाओं द्वारा विकलांग बच्चों को उपकरण करवाये जाते है। जिसमें डी. आर.डी.ए. एपिक स्कीम द्वारा बच्चों का उपकरण उपलब्ध करवाती है जबकि उपकरण उपलब्ध करवाने हेतु एलिम को 60 प्रतिशत एवं सर्वशिक्षा अभियान के तहत 40 प्रतिशत का प्राविधान किा जायेगा। जनपद महोबा एक नवसृजित जिला है, जिसके कारण यहाँ पर कोई भी जनपद स्तरीय अस्पताल नहीं है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ही जनपद स्तर पर चिकित्सीय कार्य कर रहा है। इसमें किसी भी प्रकार की उपकरण सुविधायें उपलब्ध नही है। इसलिये सर्वशिक्षा अभियान में बजट का प्राविधान किया गया है। चिकित्सीय विशेषज्ञो में ई.एन.टी. विशेषज्ञ छोड़ के अन्य किसी विशेषज्ञ की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग :–

इन बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिये उपकरण संयंत्र उपलब्ध करवाने हेतु ऐसी स्वयं सेवी संगठनो का सहयोग लिया जा सकता है जो विशेष आवश्यकता बच्चों के लिये कार्य कर सकती हो, साथ निम्न योग्यतायें पूरी रखती हो।

1. संस्था सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत कम से कम 3 वर्ष पूर्ण रजिस्टर्ड हो तथा नवीनीकरण हुआ हो।
2. संस्था के पास विकलांगता के क्षेत्र में विशेषज्ञ की उपलब्ध्ता।
3. विकलांगता के क्षेत्र में काम कने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो।
4. संस्था विकलांगता उप अधिनियम 1955 की धारा 05 के अधीन पंजीकृत हो।

यद्यपि संस्थाओं का योगदान विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए विशेष महत्व का हो सकता है, परन्तु जनपद महोबा में इस प्रकार की कोई भी संस्था कार्यरत नहीं है।

छात्र स्वास्थ्य परीक्षण :–

सन् 2000–01 में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक में पढ़ने वाले समस्त बच्चों का स्वास्थ्य परभ्क्षण जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में द्वारा मेडीकल विभाग के सहयोग से कराया गया इसमें बालक तथा बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। स्वास्थ्य परीाण हेतु 4 प्रकार के कार्ड छपवाये गये इसमें स्वेत कार्ड निरोगी बच्चों के लिय हरे कार्ड सामान्य रोगी के बच्चों के लिए पीले कार्ड गम्भीर बच्चों के लिए तथा लाल कार्ड अति गम्भीर रोगी बच्चों के लिये किये गये।

साथ ही साथ अभिभावकों को बच्चों को स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी दी गयी एवं प्रत्येक विद्यालय में एक रजिस्टर में इसका विवरण रखा गया है।

सत्र 2000–01–02 मे जिला प्राथमिक कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है। इस बार प्रत्येक विद्यालय मे बच्चों के विवरण हेतु एक–एक पंजिका का प्राविधान किया गया है।

सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रमः–

किसी भी योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उस योजना से समुदाय कितना जुड़ा हुआ है और योजना समुदाय के लिये ही की जा रही हो तब इस स्थिति में उद्देश्य प्राप्ति के लिए समुदाय को योजना का प्रमुख अंग बनाना अनिवार्य हो जाता है।

प्री प्रोजेक्ट एक्टीविटीज :–

अप्रैल, 2000 से जनपद में संचालित जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत नियुक्ति जिला समन्वयक सामुायिक सहभागिता के सहयोग से विभिन्न आयामों के आधार पर समुदायों को गतिशील बनाया गया है। इन क्रियाकलापों का मुख्य उद्देश्य समुदाय में योजना विद्यालय इत्यादि के प्रति अपना पन का भाव पैरा करना तथा एवं आम नागरिकों में इस विचार को विकसित करना है कि योजना एव शिक्षा उने बच्चों के लिए लाभान्वित एवं अनिवार्य है, रहा है। इस योजना के अन्तर्गत निम्न क्रियाकलाप सम्पन्न कराये गये।

1. प्रशिक्षण ग्राम शिक्षा समिति :–

डी.पी.ई. के अन्तर्गत जनपद की 231 ग्राम सभाओं की ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षणं सम्पन्न करा लिया गया है। इस प्रशिक्षण में ग्राम शिक्षा समिति के अतिरिक्त ग्राम कोर कमेटी एम.टी.ए./पी.टी.ए. के सदस्य महिला प्रेरक दल` सदस्यों को भी शामिल किया गया है।

ग्राम कोर कमेटी इस जनपद की एक विशेष व्यवस्था है जिनमें प्रत्येक गाँव के प्रत्येक वार्ड के एक महिला एवं एक पुरूष का चयन किया गया है, जिसमें एक वार्ड मेम्बर सामिश रहता है। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को इसका सचिव सदस्यनामित किया गया है। साथ ही साथ ग्राम से सम्बन्धित एवं जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है। इस प्रकार प्रत्येक ग्राम में 25–30 सदस्यों का एक समूह ग्राम कोर कमेटी का निर्माण करती है।

प्रशिक्षण के पूर्व ग्राम में दीवार लेखन किया गया एवं जागरूकता रैलीनिकाली गयी। प्रशिक्षण के अन्तिम दिन मुख्यतया उन अभिभावकों को आवश्यक रूप से आमंत्रित किया गया जिनके बचे मुख्य रूप से पढ़ने नहीं आते है तथा पाठ्यक्रम आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न कराया गया अधिक्तर प्रशिक्षण में 50 से ऊपर प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। सर्व शिक्षा अभियान के अनतर्गत प्रत्येक दो वर्ष में पुर्नवोधात्मक प्रशिक्षण एवं 5 वर्ष के अन्तराल पर नवीप चयनित शिक्षा समितियों का संदर्भ प्रशिक्षण रखा जायेगा। जनपद में नगर शिक्षा समितियों काी गठन किया जा रहा है एवं इनके प्रशिक्षण हेतु राज्य परिनियोजना का भी अनुमति मांगे जाने का भी अनुमति का भी पत्रावली प्रस्तुत की जा रही है।

2. माइक्रो प्लानिंग :–

ग्राम शिक्षा समितियो में प्रशिक्षण के बाद डोर–टू–डोर सर्वे करके ग्राम सभा स्तर पर सूक्ष्य नियोजन किया जा रहा है। साथ ही साथ ग्राम शिक्षा योजना तैयार की जा रही है। प्राथम चक्र के समस्त प्रशिक्षण की समस्त 150 ग्राम सभाओं का सूक्ष्म नियोजना एवं ग्राम शिक्षा योजना तैयार की जा चुकी है। नगरो के सूक्ष्म नियोजन की अनुमति हेतु राज्य परियोजना कार्यालय को पत्रावली प्रेषित की जा रही है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रतिवर्ष इन आंकड़ों को अत्यतन किया जायेगा।

3. वातावरण सृजन :–

वातावरण सृजन हेतु जनपद मे लगभग प्रत्येक ग्राम सभा स्तर पर गोष्टियां आयोजित की गयी है। माननीय जिलाधिकारी को दिया निर्देशन सत्र 2000–01 में जनपद स्तर पर तीन बार विभिन्न शिक्षा विदों के साथ विचार विमर्श किया गया। माननीय मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर क्षेत्र पंचायत सदस्य समस्त गाम प्रधान ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं प्रधान अध्यापकों की गोष्ठियाँ आयोजित की गयी, जिसमें विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता ए.बी.एस.ए./एस.डी.आई. आदि के साथ–साथ अन्य विभाग के अधिकारियों ने भी प्रतिभाग किया एवं योजना एवं शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला गया। स्कूल चलो अभियान के समय भी गोष्ठी व प्रभात फेरी दीवाल लेखन होल्डर पम्पलेट वैच आदि के द्वारा विशाल स्तर पर वातावरण सृजन का कार्य किया गया इसी दौरान

सर्व शिक्षा अभियान में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समुदाय का सक्रिय सहयोग अति **आवश्यक है। पंचायतीराज** व्यवस्था के अन्तर्गत विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न स्तरों **पर समितियों का गठन** किया जा चुका है एवं सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत ब्लाक शिक्षा **समितियों को सुदृढ़ीकृत** एवं क्रियाशील बनाने पर जोर दिया जायेगा। शैक्षिक गोष्ठियों, **नामांकन, ठहराव परिक्रमा** सूक्ष्म नियोजन, शैक्षिक नियोजन एवं क्रियान्वयन आदि शिक्षा से **संबंधित समस्त विकास** कार्यो एवं एस.एस.ए. के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु **पंचायतीराज समितियों** का सहयोग लिया जायेगा।

ए.बी.एस.ए./एस.डी.आई. एवं अध्यापक के सहयोग से बच्चे द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराये गये।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वातावरण सृजन का विशेष जोर देने हेतु प्रतिवर्ष 1000 रूप्या प्रति ग्राम सभा की दर से खर्च करने का प्राविधान किया जायेगा।

4. विद्यालय उन्नति में समुदाय का सहयोग :–

जनपद महोबा मे विद्यालय के विकास मे भी समुदाय का अच्छा सहयोग रहा है। ग्राम वासियों को नोटीबेसन द्वारा 4–5 ग्राम सभाओं ग्राम प्रधानों एवं जन सहयोग विद्यालयो मे चाहर दीवारी का निर्माण कराया गया विकास खण्ड पनवाड़ी में जन सहयोग से विद्यालय भवन के निर्माण में 60 प्रतिशत का भुगतान कर विद्यालय निर्माण कराया तीन जगह गाम सभा की भूमि उपलब्ध करायी गयी सत्र 2000–01 मे 23 विद्यालयों सामुदायिक शिक्षकों द्वारा अध्ययन कार्य किया गया। कुछ विद्यालय में ग्राम वासियों द्वारा बागवानी का कार्य भी सम्पन्न किा गया। कई जगह ग्राम वासियों द्वारा विद्यालय की सुरक्षा का निश्चय किया गया।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जन समुाय को विद्यालय मे भौतिक एवं मानसिक सहयोग देने हेतु प्रेरित किया जायेगा। इससे जहाँ एक ओर विद्यालय को भौतिक सहायता प्रदान होगी वहीं दूसरी ओर जन समुदाय मे विद्यालय के प्रति अपने पन का भाव जाग्रत होगा यथा सम्भव खेल सामग्री ग्राम वासियों के सहयोग से प्राप्त की जायेगी। गरीब बच्चों के लिये आवश्यक शिक्षण सामग्री ही समुदाय के सहयोग से प्राप्त हो जायेगी।

5. स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता :–

समुदाय को गतिशील बनाने के लिये स्वयं सेवी संगठनों का भी सहयोग लिया जायेगा। इन संगठनों का सहयोग ग्राम शिक्षा समिति प्र0 परिवार सर्वेक्षण सूक्ष्म नियोजन ग्राम शिक्षा योजना शैक्षिक मानचित्रण आदि के मिर्नाण के समय किया जायेगा। स्वजल जेसी स्वं सेवी संगठनों द्वारा विद्यालयों द्वारा बागवानी तार फेसिंग आदि के लिये सहयोग प्राप्त किया जायेगा इस विभिन्न प्रकार के सहयोग लेने हेतु स्वयं सेवी संगठनों का चिन्हीकरण जनपद स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया एवं पारदर्शी व्यवस्था द्वारा किया जायेगा, जिसमे ख्याति प्राप्त एवं अनुभवी स्वयं सेवीसगठनों के प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेंगे। इनका डेस्क टाप अप्रेजल तथा फील्ड प्रेजल स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा और संस्तुति प्रदान की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनों के चयन का निर्णय माननीय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला परियोजना।

अध्याय–9
गुणवत्ता सम्बर्धन

1. शैक्षिक योग्यता :–

महोबा जनपद शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ जनपद है। 1991 की जनगणना के आधार पर महोबा जनपद की साक्षरता दर 36.50 प्रतिशत थी यद्यपि 2001 की जनगणना के आधार पर यह बढ़कर 54.23 प्रतिशत हो गयी परन्तु फिर भी महिला साक्षरता दर 39.57 प्रतिशत है, जिससे जैतपुर विकास खण्ड की साक्षरता दर 1991 में मात्र 12.6 प्रतिशत थी एवं पनवाड़ी साक्षरता मात्र 13.4 प्रतिशत थी। इसके आधारपर यह कहा जा सकता है कि यहाँ पर महिला साक्षरता दर बहुत कम है। सन् 1995 के पूर्व जनपद मुख्यालय हमीरपुर था जो कि यहाँ के प्रत्येक गाँव से न्यूनतम 60 कि.मी. की दूरी पर स्थित था जिसके कारण यहाँ पर शैक्षिक सुविधाओं का पर्याप्त विकास न हो सका।

अ. शैक्षिक सुविधायें :–

वर्तमान मे शैक्षिक सुविधाओं की व्याख्या निम्नानुार है :–

सारणी सं. 9.1

क्र.	विद्यालय का प्रकार	परिषदीय/शासकीय			मान्यता प्राप्त विद्यालय			कुल योग		
		ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग
1.	परिषदीय प्राथमिक वि.	586	16	602	45	81	126	631	97	728
2.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	178	04	182	27	35	62	205	39	244
3.	केन्द्रीय वि. पद्वति से	–	03	03	–	–	–	–	03	03
4.	नवोदय विद्यालय	–	01	01	–	–	–	–	01	01
5.	हाईस्कूल	02	01	03	12	02	14	14	03	17
6.	इंटरमीडिएट	04	02	06	05	03	08	09	05	14
7.	डिग्री कालेज	–	01	01	–	–	–	–	01	01
8.	स्नातकोत्तर महाविद्यालय	–	01	01	–	–	–	–	01	01

अध्यापकों की संख्या :–

जनपद में वर्तमान में चल रहे 602 प्राथमिक विद्यालयों में 45 विद्यालय में डी.पी.ए. पी. द्वारा स्वीकृत हुये हैं तथा 11 विद्यालय एस.एस.ए. द्वारा स्वीकृत है। कुल 1236 अध्यापक कार्यरत है, जिससे स्पष्ट है कि यहाँ पर अध्यापकों क संख्या बहुत कम ही सारणी 2.1 से स्पष्ट है कि यहाँ पर अध्यापक छात्र अनुपात 1.57 है उच्च प्राथमिक 126 विद्यालयो में कार्यरत अध्यापकों की संख्या मात्र 231 है, जिससे स्पष्ट है कि प्रति विद्यालय अध्यापकों की संख्या 3 भी नहीं है।

ब. अध्यापक शैक्षिक योग्यता :–

जनपद में कार्यरत कुल 1281 प्राथमिक अध्यापकों में से 5 अध्यापको की योग्यता हाईस्कूल से कम है तथा 152 अध्यापक मात्र हाईस्कूल पास है। 4 अध्यापक ऐसे भी है जो अभी तक प्रशिक्षित नहीं है निम्न सारणी से अध्यापकों की योग्यता स्पष्ट होती है।

सारणी 9.2

क्र.	शैक्षिक योग्यता	प्राथमिक विद्यालय			उच्च प्राथमिक विद्यालय		
		प्रशिक्षित	अप्रशिक्षित	योग	प्रशिक्षित	अप्रशिक्षित	योग
1.	हाईस्कूल से कम	05	–	05	–	–	–
2.	हाईस्कूल	152	–	152	05	–	05
3.	इंटरमीडिएट	356	–	356	70	–	70
4.	स्नातक	408	04	412	87	–	87
5.	परास्नातक	356	–	356	107	–	107

अध्यापक अनुभव :–

जनपद मे प्राथमिक स्तर में 185 ऐसे अध्यापक है जिनका कार्यानुभव 5 वर्ष से कम है तथा 38 अध्यापक ऐसे है, जिनका कार्यानुभव 30 वर्ष से अधिक है, स्पष्ट है कि जहाँ नये अध्यापकों को शिक्षण की विधाओं की जानकारी देना आवश्यक नहीं पुराने अध्यापकों को नयी विधियों से अध्यापक कराने की विधाओं का ज्ञान कराना आवश्यक है निम्न सारिणी के आधार पर अध्यापकों का शिक्षण अनुभव देखा जा सकता है।

सारणी 9.3

क्रम	शिक्षण अनुभव	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
1.	5 वर्ष से कम	185	55
2.	5 वर्ष से 10 वर्ष	189	75
3.	10 वर्ष से 15 वर्ष	187	35
4.	15 वर्ष से 20 वर्ष	258	12
5.	20 वर्ष से 25 वर्ष	208	17
6.	25 वर्ष से 30 वर्ष	167	25
7.	30 वर्ष से अधिक	38	12
	योग	1232	231

स. भवन स्थिति :–

सारणी 2.5 एवं 2.6 से स्पष्ट है कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के लिये शैक्षिक भौतिक सुविधाओं का पर्याप्त अभाव है। प्राथमिक स्तर के 49 एव उच्च प्राथमिक सतर के 7 विद्यालय जीर्ण–शीर्ण अवस्था में ही मानक के आधार पर प्राथमिक स्तर की 18 तथा उच्च प्राथमिक स्तर की 84 बस्तियाँ असेवित है। दोनो विद्यालयों मे मिलाकर 380 विद्यालय शौचालय रहित है तथा 489 विद्यालय चहार दीवारी विहीन है।

बेस लाइन सर्वेक्षण :–

वर्ष 1999–2000 में किये गये बेस लाइन सर्वेक्षण के आँकड़ों से स्पष्ट है कि कक्षा–2 में भाषा विषय के बच्चों का अधिगम स्तर 59.90 है जबकि मानक विचलन 31.56 है इनमें से जहाँ 31.4 बालक तथा 36.3 प्रतिशत बालिकाओं का अधिगम स्तर 40 प्रतिशत से कम है। वहीं 37.1 प्रतिशत बालकों तथा 23.3 प्रतिशत बालकों का अधिगम स्तर 80 प्रतिशत से अधिक है। कक्षा–2 गणित विषय में अधिगम स्तर का मध्यमा 64.79 प्रतिशत है जबकि मानक विचलन 30.33 है। 40 प्रतिशत अधिगम स्तर से कम लड़कों का प्रतिशत 24.2 एवं लड़कियों का प्रतिशत 35.7 है। 80 प्रतिशत से अधिक अधिगम स्तर वाले लड़के 44.7 प्रतिशत तथा लड़कियां 29.4 है। कक्षा–5 में भाषा विषय में बच्चों का मध्यमान अधिगम स्तर 46.12 है जिसमे 40 प्रतिशत तथा से कम अधिगम वाले लड़के 36.7 जबकि लड़कियां 38.4 है। इस प्रकार 80 प्रतिशत से अधिक अधिगम स्तर वाले लड़के 4.5 प्रतिशत जबकि लड़कियों का प्रतिशत 2.5 है। इसी कक्षा के गणित विषयों मे कक्षा के बच्चों का अधिगम स्तर 21.72 है। जिसमें 40 प्रतिशत से कम अधिगम वाले लड़के 79.9 तथा लड़कियां 80.5 है। जबकि 80 प्रतिशत से अधिक अधिगम वाले लड़कों का प्रतिशत 1 और लड़कियों का प्रतिशत 0 है।

सारणी 9.4

कक्षा	विषय	मध्यमान	मानक विचलन
कक्षा–2	भाषा	59.9	31.56
कक्षा–2	गणित	64.79	30.33
कक्षा–5	भाषा	46.12	13.63
कक्षा–5	गणित	21.72	14.23

अधिगम स्तर

सारणी 9.5

कक्ष	विषय	न्यूनतम अधिगम स्तर 40 प्रतिशत से कम		बौद्धिक अधिगम स्तर 80 प्रतिशत से अधिक	
		बालक	बालिका	बालक	बालिका
कक्षा–2	भाषा	31.4	36.3	37.1	23.3
कक्षा–2	गणित	24.2	35.7	44.7	29.4
कक्षा–5	भाषा	36.7	38.4	4.5	2.5
कक्षा–5	गणित	79.9	80.5	1.00	00

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि भाषा एवं गणित जैसे महत्वपूर्ण विषयों में कक्षा–5 के बच्चों का अधिगम स्तर बहुत कम है। 80 प्रतिशत से अधिक अधिगम वाले बच्चों की स्थिति नगन्य है जबकि 40 से अधिक अधिगम वाले बच्चों की स्थिति अधिक है। यद्यपि कक्षा–2 के बच्चों के साथ यह स्थिति तुल्नात्मक दृष्टि से ठीक है परन्तु उसे संतोषजनक नहीं का जा सकता है। इसमें सुधार के उपाय करना उचित है।

2. विद्यालय श्रेणीकरण :–

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जुलाई, 2001 से नवम्बर 2001 के मध्य 496 विद्यालयों के सर्वेक्षण के आधार पर निम्न विवरण प्राप्त हुआ।

सारणी 9.6

क्रम	विकास खण्ड का नाम	स्कूलों की सं. जिनका निरीक्षण हुआ	श्रेणी			
			A	B	C	D
1.	कबरई	178	27	110	41	–
2.	चरखारी	101	00	77	24	06
3.	जैतपुर	94	08	57	23	–
4.	पनवाड़ी	123	–	70	53	–
	योग	496	35	314	141	06

3. आँकड़ों का विश्लेषण :–

उपर्युक्त आँकड़ों का विश्लेषण करने से स्पष्ट है कि A श्रेणी के विद्यालयों की संख्या 35 है जो कि सर्वेक्षण कराये गये कुल विद्यालय की संख्या का 5 प्रतिशत से कम है। सर्वाधिक श्रेणी के इन विद्यालयों की श्रेणी कम होने का प्रमुख कारण इन विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं का अभाव है साथ ही साथ अध्यापकों की कमी अध्यापकों पर काम का बोझ तथा अध्यापकों की अध्यापन के प्रति उदासीनता भी इसका एक महत्वूपर्ण कारण है।

बेस लाइन स्टडी के अध्ययन से एक बात और स्पष्ट उभर कर आती है कि जहाँ कक्षा–2 में भाषा एवं गणित में शैक्षिक उपलब्धि 60 प्रतिशत से अधिक है। वहीं कक्षा–5 की भाषा में जनपद के बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि 50 प्रतिशत से कम है। गणित में तो जनपद के बच्चे न्यूनतम अधिमान स्तर 40 प्रतिशत से भी नीचे है।

4. गुणवत्ता सुधार के उपाय :–

गुणवत्ता सुधार प्रत्येक योजना का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। जहाँ प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में गुणवत्ता सुधार पर विशेष बल दिया गया। वहीं सर्व शिक्षा अभियान में भी गुणवत्ता सुधार पर विशेष जोर दिया जा रहा है। गुणवत्ता सुधार हेतु न केवल जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) के सहयोग की आवश्यकता ही नहीं बल्कि अन्नेक संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिन संस्थानों की प्रमुख भूमिका गुणवत्ता संवर्धन में हो।

1. डायट की भूमिका

डायट की स्थिति :–

जनपद महोबा उ.प्र. के दक्षिण में तथा मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित बुन्देलखण्ड का एक केन्द्र बिन्दु है। इसके पूर्व में जनपद बाँदा पश्चिम में झांसी उत्तर में जनपद हमीरपुर तथा दक्षिण में छतरपुर म0प्र0 स्थित है।

जनपद महोबा का धरातल लगभग 60 प्रतिशत पठारी/पहाड़ी तथा 30 प्रतिशत मैदानी एवं 10 प्रतिशत जंगली क्षेत्र के अन्तर्गत आता हे। जनपद में कुल 3 तहसीलें है चरखारी, महोबा, कुलपहाड़। महोबा जनपद मे पत्थर तोड़ने का कार्य लकड़ी एवं पान की खेती का प्रमुख धन्धा है। यह संस्थान जनपद महोबा के चरखारी नगर में स्थित है। नगर चरखारी की भौगोलिक

स्थिति सुन्दर है। बिनध्याचल पर्वत की ऊँची नीची पर्वत श्रृखला एवं आकर्षक स्वर्ण कमलों से आच्छादित है तथा सरोवरों से घिरा है। वर्ष 1988–89 में इसी नगर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हुई थी जो 1993–94 में अपनी कार्यवृत्ति में परिवर्तित हुआ तबसे लगातार वर्तमान समय तक डायट के सभी उद्देश्यों एवं कार्यों की पूर्ति में संलग्न है। डायट चरखारी को निम्नांकित मूलभूत सुविधायें उपलब्ध है।

महोबा से चरखारी की दूरी	–	21 कि.मी. बस द्वारा
रेलवे स्टेशन चरखारी रोड	–	11 कि.मी.
रेलवे स्टेशन, महोबा	–	16 कि.मी. बस द्वारा
मुख्यालय लखनऊ से दूरी	–	235 कि.मी. बस द्वारा
निकटतम डाकघर	–	स्थानीय

संस्थान का निर्माण हो जाने के बाद शासन द्वारा अनेक शैक्षिक कार्यक्रम तैयार किये गये संस्थान के पाठ्यक्रम में विभाग एवं शासन द्वारा निम्नांकित विभाग स्थापित किये गये।

1. सेवा पूर्व प्रशिक्षण विभाग।
2. सेवारत प्रशिक्षण विभाग।
3. तकनीकी विभाग।
4. कार्यानुभव विभार्ग
5. नियोजन एवं प्रबन्धन विभाग।
6. पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन विभाग।
7. जिला संसाधन इकाई।

उक्त सभी विभागों के संचालन में प्राथमिक शिक्षा के विकास एवं उत्थान को गति प्रदान करना है, जिसके आधार पर संस्थान की निम्नलिखित भूमिका है।

1. <u>सेवा पूर्व प्रशिक्षण विभाग</u> :–

क : सेवा पूर्व प्रशिक्षण को प्रभावी एवं उपादेय पूर्ण बनाना।

ख : सेवा पूर्व प्रशिक्षण के अनुसार कुशल एवं प्रभावी निष्ठावान, कर्तव्यनिष्ठ तथा योग्य अध्यापक एवं प्रयोगात्मक पाठ्य सहगामी क्रियायें तैयार करना।

2 <u>सेवारत प्रशिक्षण विभाग</u> :–

सेवारत अध्यापकों में प्रेरणादायक प्रशिक्षण देकर जिले की शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ाकर स्तरीय बनाया जाता है, जिसके लिये निम्नलिखित प्रक्रियाओं को विकसित किया जाता है।

1. प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण एवं सर्व सुलभता हेतु कार्य योजना का क्रियान्वयन।
2. सीखने की दक्षता का विकास करना।
3. शिक्षण प्रक्रियाओं में बच्चों की सक्रिय भागीदारी।
4. प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना।
5. सेवारत शिक्षकों के शिक्षण की नयी विधियों बाल केन्द्रित नई जानकारियों तथा शिक्षकों की कार्यकुशलता को बढाना है।
6. जनपद को शैक्षिक संस्थाओं शिक्षकों बच्चों आदि की सेवा शर्तो में सुधार करना।
7. रूचि पूर्ण शिक्षा विधाओं का नियोजन एवं क्रियान्वयन।
8. सेवारत प्रशिक्षण विधाओं का नियोजन एवं क्रियान्वयन।
9. बालिका शिक्षा।
10. अपवंचित छात्र।
11. छात्रों में बर्तनी एवं सुलेख का सुधर करना।
12. विकलांग बच्चे।
13. ह्रास/अवरोध।
14. प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण।

3. <u>तकनीकी विभाग</u> :–

प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों को रूचि के अनुसार विषय विशेष में तकनीक का अनुभव के आधार पर तकनीकी शिक्षा का विकास करना।

1. विज्ञान में नवीन उपकरणों द्वारा प्रयोग का प्रशिक्षण देना, जिसके आधार पर कठिन पाठों को वातावरण के अनुसार सरल पद्यति का विकास करना।
2. ग्रामीण परिवेष के आधार पर अभिभावकों की स्थिति के अनुसार बच्चों को कैसे अधिकतम अधिगम समप्राप्ति की तकनीक का विकास करना।
3. दूरस्थ शिक्षा द्वारा अध्यापक को प्रभावी प्रशिक्षण देना।

4. कार्यानुभव विभाग :–

अध्यापकों के लम्बे कार्यकाल के अनुभव का बच्चों को अधिकतम लाभ दिलाना जैसे सामाजिक आर्थिक परिवेश के आधार पर खेल द्वारा शिक्षा को कैसे रूचिपूर्ण बनाना। संस्थान में प्रशिक्षण के दौरान अपने–अपने अनुभवों के आधार पर नवीन उपकरण तैयार करने की जानकारी समय–समय पर अध्यापकों को कार्यानुभव विभाग द्वारा प्रदान की जाती है।

5. नियोजन एवं प्रबन्धन विभाग :–

जनपद स्तर पर कितने प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय 300 आबादी एवं 800 की आबादी के अनुसार विद्यालयों का जिले में आंकलन करना तथा शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिये क्या–क्या प्रबन्ध किये जा सकते है। उनके आंकड़ों को तैयार करना।

6. पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन विभाग :–

1. सतत् एवं मापक मूल्यांकन की व्यवस्थ करना।
2. शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करना।
3. मूल्यांकन एवं उनके हेतु टूल्स तैयार करना।

जिला संसाधन इकाई

1. साक्षरता में वृद्वि एवं गुणोत्तर में विकास।
2. अनौपचारिक शिक्षा एवं साक्षरता के उद्देश्य की सम्प्राप्तियों को पूरा करने हेतु शैक्षणिक सहयोग एवं माग निर्देशन करना।
3. शिक्षा में विभिन्न समुदाओं एवं शैक्षिक संस्थाओं के सहभागिता का निर्धारण एवं क्रियान्वयन करना।

सारणी 9.7

डायट में प्राप्त सुविधायें एवं आवश्यकतायें

क्रम	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत
1.	प्राचार्य	01	01
2.	उपप्राचार्य	01	01
3.	वरिष्ठ	06	01
4.	प्रवक्ता	17	02
5.	कार्यानुभव एल.टी.	01	01
6.	तकनीशियन	01	00
7.	सांख्यिकी	01	00
8.	कार्यालय अधीक्षक	01	—
9.	आशुलिपिक	01	—
10.	कनिष्ठ लिपिक	09	03
11.	प्रयोगशाला सहायक	02	—
12.	पुस्तकालय अधीक्षक	01	—
13.	परिचायक	05	03

गुणवत्ता संवर्धन में डायट द्वारा किये जा रहे कार्य :–

डायट द्वारा शैक्षिक प्रबन्धक के आधार पर वार्षिक कार्य योजना विकसित की गयी है। न्याय पंचायत विकास खण्ड तथा जनपद स्तर पर नियोजन एवं क्रियान्वयन के आधार पर प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा। विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के साथ–साथ प्रशिक्षार्णियों की क्षमता का विकास सोध मूल्यांकन नवाचार कार्यक्रमों का संचालन तथा अनुश्रवण सामग्री विकास ई.एम.एस. आंकड़ों का विश्लेषण उपयोग आदि प्रमुख दायित्वो का डायट द्वारा जनपद स्तर पर निर्वाह किया जायेगा।

इन कार्यक्रमों का समग्र लक्ष्य होगा कि शिक्षकों का कर्मस्थल पर सहयोग समर्थन प्राप्त करने की उपर्युक्त रणनीतियों का विकास करने हेतु क्षमता संवर्धन करना इस हेत डायट द्वारा निम्नवत् कार्यवाही की जायेगी।

क्षमता विकास करना :–

जनपद स्तर पर डायट की आकस्मिक नेतृत्व प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका होगा प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षकों को विषय वस्तु तथा शिक्षण विद्या आधारित पशिक्षण प्राप्त करने बी.आर.सी./एम.पी.आर.सी. समन्यवको को पर्यवेक्षक के लिये प्रशिक्षित करने वैकल्पिक शिक्षा वी.ई.सी. प्रशिक्षण ई.सी.जी. प्रशिक्षण समेकित शिक्षा हेतु प्रशिक्षण आदि मुख्य दायित्यों के निर्वाहन हेतु डायट की क्षमता का विकास करने हेतु संस्थागत क्षमता विकास कार्यक्रम लागू किया जायेगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों तथा स्वयं सेवी संगठनों से रिसोर्सनेट वर्किंग भी की जायेगी। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में किये जा रहे न्यूनतम शोध – मूल्यांकनों का उपयोग कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सुनिश्चित किया जायेगा। डायट द्वारा ए.बी.एस. ए./एस.डी.आई. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान अध्यापक एवं सहायक अध्यापक बी. आर.सी., समन्वयक एम.पी.आर.सी. समन्वयक की क्षमता का विकास विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से कराया जायेगा। राज्य स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों में डायट के सदस्यों को प्रशिक्षित कराकर क्षमता में वृद्वि की जायेगी। वाह्य वार्ता आख्यान का आयोजन करके सहायक अध्यापकों में क्षमता का विकास किया जायेगा। उनमे नेतृत्व की क्षमता प्रबन्धन एवं नियोजन की क्षमता, शैक्षिक सपोर्ट की क्षमता का विकास किया जायेगा।

डायट के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के तहत निम्न प्रकार के प्रशिक्षण सम्पन्न कराये जायेंगे।

1. शिक्षा मित्रों का अभिप्रेरण प्रशिक्षण :–

जनपद में विभिन्न वर्षा में कुल 664 शिक्षामित्रों का चयन किया जायेगा, जिसमें से 2004–05 तक कुल 333 शिक्षामित्रों का चयन जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत किया जायेगा। अवशेष शिक्षामित्रों का चयन सर्व शिक्षा अभियान के तहत होगा, जिनका 30 दिवसीय प्रशिक्षण होगा जिन पर 70 रूपया प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति के हिसा से धनराशि खर्च की जायेगी।

2. सहायक अध्यापकों का अभिप्रेरण प्रशिक्षण :–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत समस्त चयनित प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर के सहायक अध्यापकों को 30 दिवसीय अभिप्रेरण प्रशिक्षण 30 रू. प्रतिदिन की दर से व्य करके

कराया जायेगा। सत्र 2002–03 में प्राथमिक स्तर के 282 अध्यापकों की नियुक्ति प्राथमिक स्तर में तथा 80 सहायक अध्यापकों की (20×4) की नियुक्ति उच्च प्राथमिक स्तर में सर्व शिक्षा के तहत की जायेगी। सत्र 2003–04, 2004–05, 2005–06 में उच्च प्राथमिक स्तर के क्रमशः 20,20,24 नये विद्यालय असेवित विद्यालय में खोले जायेंगे, जिनमें प्रति विद्यालय 4 सहायक अध्यापक नियुक्ति होगे। सहायक अध्यापकों की गणना सारणी संख्या 8.2 से की जायेगी। इस प्रकार वर्षवार विवरण सारणी सं. 9.8 में दिया गया है।

3. <u>उच्च प्राथमिक/प्राथमिक स्तर के प्रधान अध्यापकों का अभिप्रेरण प्रशिक्षण</u> :–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत असेवित बस्तियों में खोले गये प्राथमिक स्तर के 13 तथा उच्च प्राथमिक स्तर के 84 प्रधान अध्यापकों का 20 दिवसीय अभिप्रेरण प्रशिक्षण डायट में सम्पन्न कराया जायेगा, जिसमें 70 रूपया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसा ब से व्य किया जायेगा, जिसका वर्षवार विवरण सारिणी 9.8 में दिया गया है।

4. <u>सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण</u> :–

समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के सेवारत अध्यापकों का 20 दिवसीय प्रशिक्षण सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राविधानित किया गया है, जिसमें 2004–05 तक प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों का प्रशिक्षण जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत कराया जायेगा। शेष वर्षों का प्रशिक्षण सर्व शिक्षा अभियान में कराया जायेगा। जिसमें 70 रूपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से धनराशि प्राविधानित की गयी है।

5. <u>सेवारत शिक्षामित्रो का प्रशिक्षण</u> :–

सेवारत शिक्षामित्रों का प्रशिक्षण 2004–05 तक जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम से तथा 2005–06 से इनका प्रशिक्षण सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कराया जायेगा। यह प्रशिक्षण 20 दिवसीय होगा, जिसमें 70 रूपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के दर से व्यय हेतु प्राविधानित किया जायेगा।

6. आचार्य एवं अनुदेशकों का अभिप्रेरणी प्रशिक्षण :–

शिक्षा गारन्टी योजनान्तर्गत शिक्षा घरों में कार्य करने वाले प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर के एवं बैक टू स्कूल कैम्प मे काम करने वाले आचार्य एवं अनुदेशकों का 30 दिवसीय अभिप्रेरण प्रशिक्षण डायट के निर्देशन में सम्पन्न कराया जायेगा, जिसमे 70 रूपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की दर से प्राविधानित किया जायेगा।

7. पुर्नवोधात्मक कोर्स :–

शिक्षा मित्रो का 20 दिवसीय पुर्नवोधात्मक कोर्स योजना अवधि में दो बार सम्पन्न कराया जायेगा। इसी प्रकार आचार्य/अनुदेशको का भी पुर्नवोधात्मक कोर्स योजना अवधि में दो बार सम्पन्न कराया जायेगा, जिसमें 70 रूपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की दर से व्यय प्राविधानित किया जायेगा।

8. बी.आर.सी./एन.पी.आर.सी. का पुर्नवोधात्मक प्रशिक्षण :–

शिक्षा सत्र 2005–06 एवं 2006–07 में बी.आर.सी./एन.पी.आर.सी. समवकों का पुर्नवोधात्मक प्रशिक्षण सम्पन्न कराया जायेगा, जिसमें सत्तर रूपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की दर से व्यय किया जायेगा। यह प्रशिक्षण 20 दिवसीय होगा।

9. सन्दर्भ व्यक्तियों का प्रशिक्षण :–

जनपद के चारों विकास खण्डो में प्रति विकास खण्ड से तीन व्यक्तियों के आधार पर 12 संदर्भ वयिक्तयों का प्रशिक्षण डायट में सम्पन्न कराया जायेगा, जो 20 दिवसीय होगा, जिसमें 70 रूपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की दर से व्यय किया जायेगा।

10. ए.बी.एस.ए./एस.डी.आई. प्रशिक्षण :–

सत्र 2005–06 से सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत तथा इसके पूर्व जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत ए.बी.एस.ए./एस.डी.बी.आई. का 5 दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न कराया जायेगा, जिसमें 70 रूपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की दर से प्राविधानित किया जायेगा।

11. उच्च प्राथमिक स्तर के अध्यापकों की कम्प्यूटर ट्रेनिंग :—

योजना अवधि में प्रतिवर्ष 15 उच्च प्राथमिक विद्यालय मे कम्प्यूटर शिक्षा प्राविधान किया गया, जिसमें अध्यापकों का प्रशिक्षण डायट द्वारा सम्पन्न कराया जायेगा, जिस पर 1500 रूपये प्रति व्यक्ति की दर से खर्च किया जायेगा।

12. ग्राम शिक्षा समितियों का पुर्नवोधात्मक प्रशिक्षण :—

जनपद की समस्त 231 ग्राम शिक्षा समितियों का 2 दिवसीय पुर्नवोधात्मक प्रशिक्षण प्रतिवर्ष कराया जायेगा, जिस पर 30 रूपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पर खर्च किया जायेगा।

13. समेकित शिक्षा सम्बन्धी अध्यापकों का पुर्नवोधात्मक प्रशिक्षण :—

जनपद के समस्त अध्यापकों का 0.5 दिवसीय समेकित शिक्षा सम्बन्धी पुर्नवोधात्मक प्रशिक्षण प्रतिवर्ष कराया जायेगा, जिसमें 70 रूपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की दर से व्यय किया जायेगा।

सेमीनार/कार्यशाला

गुणवत्ता सम्वर्धन के विभिन्न आयामों पर विस्तृत चर्चा करने हेतु डायट में सेमीनार का आयोजन प्रति वर्ष किया जायेगा, जिसमें विभिन्न विधाओं के महारथ शिक्षा विदों को आमंत्रित किया जायेगा। इन विद्ववानों द्वारा प्राप्त सुझावों को अध्यापकों तक पहुँचने की व्यवस्था की जायेगी। इस हेतु प्रतिवर्ष 2 लाख रूपये व्यय का प्राविधान किया जायेगा।

जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय की भूमिका

1. प्रशासनिक व्यवस्था :—

गुणवत्ता संवर्धन में जहाँ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की प्रमुख भूमिका है वहीं सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं प्रति उप विद्यालय निरीक्षक की भी गुणवत्ता संवर्धन में एक प्रमुख भूमिका का निर्वहन करते है। इसी बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुये जहाँ जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सर्व शिक्षा अभियान में जनपद स्तरीय समिति का सदस्य/सचिव नामित किया गया है। वहीं विकास खण्ड स्तर पर विकास खण्ड स्तरीय समिति का सदस्य/सचिव सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति विद्यालय निरीक्षक को रखा गया है। सहायक बेसिक शिक्षा

अधिकारी को पदेन विकास खण्ड परियोजना अधिकारी बनाया गया है तथा विकास खण्ड स्तरीय क्रिया कलापो का उत्तर दायित्व ए.बी.एस.ए./एस.डी.आई. को सौंपा गया है।

शैक्षणिक समय बढ़ाने के उपाय

विद्यालय सांख्यकी प्रपत्र से प्राप्त आंकाड़ों के आधार पर विद्यालय के कुल कार्य दिवस की संख्या का औसत 223 दिन रहा है, जिसमें से कम से कम 189 दिनो में शिक्षण कार्य सम्पन्न कराया गया साथ ही साथ ग्रीष्मवधि मे विद्यालय का समय सामान्यतः 6.30 बजे से 11.30 बजे तक रहता है, जिसमें अध्यापन कार्य मात्र 7 बजे से 11 बजे तक चलता है जिसे बढ़ाये जाने की आवश्यकता है, जबकि शिक्षण दिवसों की संख्या न्यूनतम 220 होनी चाहिए। इस हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को आवश्यक अवकाशो की कटौती करने के साथ–साथ शिक्षण घंटों को भी बढ़ाये जाने की ओर ध्यान देना चाहिए। विद्यालय कार्य दिवसों का विवरण निम्नानुसार है :–

सारणी 9.8

कार्य का विवरण	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
शिक्षण दिवस	179	179
परीक्षा	15	20
अन्य कार्य	15	15
नष्ट हो जाने वाले दिन	04	04
समुदाय से सम्पर्क	10	05
योग	223	223

जिला परियोजना कार्यालय की भूमिका

गुणवत्ता संवर्धन हेतु जिला परियोजना कार्यालय को कई महत्वपूर्ण जबाबदारियाँ सौपी गयी है, जिसमें इनकी प्रमुख जबाबदारी, शिक्षण अधिगम सामग्री की व्यवस्था करने की है, इसके साथ–साथ जिला परियोजना कार्यालय की प्रमुख भूमिका निम्नानुसार है।

1. प्रबन्धन :–

जिला परियोजना कार्यालय में एक परियोजना अधिकारी (जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी)

एक सहायक जिला परियोजना अधिकारी (उप बेसिक शिक्षा अधिकारी) चार समन्वयक, 2 सलाहकार एक ई.एम.आई.एस. अधिकारी तीन कम्प्यूटर आपरेटर एक सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, लिपिक, परिचालक, आदि कार्यरत रहेंगे। गुणवत्ता संवर्धन में इन सबका सहयोग लिया जायेगा। विकास खण्ड स्तर पर एक बी.आर.सी.एस. प्रभारी तथा दो ए.बी.आर.सी. समन्वयक एवं न्याय पंचायत स्तर पर एक एन.पी.आर.सी. समन्वयक गुणवत्ता संवर्धन हेतु कार्य करेगे।

2. <u>भौतिक सुविधायें</u> :–

जिला परियोजना कार्यालय का एक प्रमुख कार्य विद्यालयों को एवं अध्यापकों को भौतिक सुविधायें उपलब्ध कराना है। जिला परियोजना कार्यालय द्वारा जो भौतिक सुविधायें गुणवत्ता संवर्धन हेतु उपलब्ध करायी जा रही हैं, वह निम्न प्रकार है :–

<u>अध्यापक अनुदान</u> :–

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर के प्रत्येक अध्यापक को एवं शिक्षा मित्र को 500 रूपये प्रतिवर्ष की दर से अध्यापक अनुदान शिक्षण अधिगम सामग्री के विकास हेतु दिया जायेगा। वर्तमान में जनपद में 1421 एवं सत्र 2003–04 में अनुमानित प्राथमिक अध्यापकों की संख्या 1984 होगी। साथ ही साथ जूनियर हाईस्कूल में अनुमानित कुल अध्यापकों की संख्या 655 होगी, जिनके लिये अध्यापक अनुदान की व्यवस्था सर्व शिक्षा अभियान के प्रथम वर्ष में की जायेगी। अन्य वर्षो में भी सारणी 8.2 के आधार पर प्राथमिक शिक्षकों के लिये तथा प्रति विद्यालय 5 अध्यापकों के आधार पर उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिये अध्यापक अनुदान की व्यवस्था की जायेगी।

<u>निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण</u> :–

जनपद मे बच्चो द्वारा शिक्षा न ग्रहण करने का कारण अभिभावकों का आर्थिक पिछड़ापन है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये जिला प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के बालकों एवं समस्त बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रावधानित किया जा रहा है।

सत्र 2003–04 से सत्र 2004–05 तक प्राथमिक स्तर के राजकीय परिषदीय एवं सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयो के लिये जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम द्वारा एवं आगामी वर्षो

में सर्व शिक्षा द्वारा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का प्रावधान किया जा रहा है। राजकीय परिषदीय एवं सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयो में अनुसूचित जाति के बालकों एवं समस्त बालिकाओं के लिये निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का प्रावधान सर्व शिक्षा अभिान के अन्तगत किया जा रहा है।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तक हेतु संख्या राजकीय/परिषदीय एवं सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के बच्चों हेतु।

सारणी 9.9

सत्र	प्राथमिक स्तर			उच्च प्राथमिक स्तर		
	कुल बालिका	अनु.जा.बालक	योग	कुल बालिका	अनु.जा.बालक	योग
2003–04	–	–	–	14484	3582	
2004–05	–	–	–	14787	3659	
2005–06	54048	16551	75599	15116	3738	
2006–07	55094	18140	73234	15443	3819	
2007–08	58372	19882	78254	15777	3902	
2008–09	60942	21791	82733	16117	3986	
2009–10	67266	23882	87148	16465	4072	

पुस्तकालय :–

गुणवत्ता उन्नयन हेतु प्रत्येक विद्यालय में 150 रूपये प्रतिवर्ष की दर से पुस्तकें उपलब्ध कराकर पुस्तकालय की स्थापना की जायेगी, जिसका विवरण निम्नवत् है :–

सारणी 9.10

सत्र	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10
प्रा. विद्यालय	562	570	570	570	570	570	570	570
उच्च प्रा. वि.	131	161	185	185	185	185	185	185

मुद्रण :–

विभिन्न गतिविधियों को संचालित करने एवं उनकी व्यवस्था करने हेतु विभिन्न प्रकार की मुद्रण की जायेगी, जो निम्न प्रकार होगी।

1. प्रति विद्यालय पाठ्यक्रम प्रिंटिंग।
2. अध्यापक का प्रशिक्षण माडियूल।

3. प्रति प्रशिक्षिक ट्रेनिंग गाइड।

4. प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक के प्रत्येक अध्यापक हेतु शिक्षण संदर्शिका।

5. आचार्य अनुदेशक हेतु प्रशिक्षण माडयूल।

अधिगम अनुश्रवण :–

योजना के दौरान तीन बार प्राथमिक स्तर पर एवं तीन बार उच्च प्राथमिक स्तर पर सम्बन्धित समस्त विद्यालयों के बच्चों का अधिगम कराया जायेगा, जिसमें 15000 रूपये प्रति विद्यालय की दर से व्यय किया जायेगा। यह अनुश्रवण प्राथमिक स्तर पर 2002–03, 2005–07 एवं 2007–08 में कराया जायेगा तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर यह अनुश्रवण 2003–04, 2006–07 तथा 2009–10 में कराया जायेगा।

पुरूस्कार :–

गुणवत्ता सुधारने हेतु प्रोत्साहन की व्यवस्था की गयी है। इसके लिये प्रतिवर्ष सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाले जनपद के एक विद्यालय को पुरूस्कृत किया जायेगा, जिसमे जिला स्तर से 25000 रूपया का पुरूस्कार प्रदान किया जायेगा।

सेमीनार वर्कशाप :–

जनपद के प्रत्येक विद्यालय पर प्रति विद्यालय की दर से 300 रूपये का प्राविधान सेमीनार एवं वर्कशाप हेतु रखा जा रहा है।

निरीक्षण पर्यवेक्षण

विभिन्न गतिविधियों के संचालन का पर्यवेक्षण जिला परियोजना कार्यालय अपने विभिन्न सहयोगियों के सहयोग से करायेगा, जिसमें जिला परियोजना अधिकारी, सहायक जिला परियोजना अधिकारी, जिला समन्वयक, सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. , बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. आदि होगे।

समन्वयकों की भूमिका :–

सर्व शिक्षा योजना अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर समन्वयको की व्यवस्था की गयी है।

जनपद में वर्तमान में जिला स्तर पर जिला समन्वयक, बालिका शिक्षा, जिला समन्वयक, प्रशिक्षण जिला समन्वयक समेकित शिक्षा, तथा जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता कार्यरत है तथा जिला समन्वयक वैकल्पिक शिक्षा का पद रिक्त चल रहा है। इसके अतिरिक्त विकास खण्ड स्तर पर तथा न्याय पंचायत स्तर पर भी समन्वयको की व्यवस्था की गयी है। सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत भी विभिन्न स्तरो पर समन्वयकों का चन किया जाना प्रावधानित है। विभिन्न स्तरों के समन्वयकों की भूमिका निम्न प्रकार होगी।

जिला स्तरीय समन्वयकों की भूमिका :–

गुणवत्ता संवर्धन के लिए जनपद में जिला समन्वयक प्रशिक्षण कार्यरत है, जिसका प्रमुख कार्य विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों में समन्वय स्थापित करना है। अध्यापकों एवं विद्यालय की श्रेणीकरण में डायट को सहयोग प्रदान करना। सहायक अधिगम सामग्री के निर्माझा में सहयोग प्रदान करना। साथ ही साथ अध्यापकों से समन्वयव स्थापित करते हुये विभिन्न योग्यता वाले अध्यापकों का समूह तैयार करके समस्त अध्यापकों की सहायता प्रदान कराना।

जिला समन्वयक बालिका शिक्षा केवल बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव के लिये ही उत्तरदायी नहीं है बल्कि बालिकाओं की शैक्षणिक गुणवत्ता के प्रति भी उत्तरदायी है। बालिकाओं की ओर अध्यापक का ध्यान अभिभावक का ध्यान दिलाते हुये भी मीना कैम्पज जैसे प्रोग्राम कराने का उत्तरदायित्व भी जिला समन्वयक बालिका शिक्षा का है।

विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिये एवं गुणवत्ता व आवश्यकताओ को सुनिश्चित करने के लिये जिला समन्वय समेकित शिक्षा कार्यरत है। बच्चो की शिक्षा व्यस्था सुनिश्चित राने हेतु विभिन्न उपकरण हेतु 1200 रूपये प्रति विकलांक बच्चों की दर से धनराशि का प्राविधान सर्व शिक्षा योजना के अन्तर्गत किया जा रहा है, जिससे कि बच्चे अध्ययन हेतु सजग रहें।

गुंणवत्ता संवर्धन में जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता का भी महत्वपूर्ण कार्य है। विभिन्न विभागों का सहयोग एन.टी.ए., पी.टी.ए., का प्रशिक्षण वी.ई.सी. प्रशिक्षण द्वारा समुदाय को सजग करना आडियों एवं वीडियो कैसेट का निर्माण कराकर विभिन्न प्रकार की शिक्षा विधाओं से अध्यापक को परिचित कराना। सबसे अच्छे शिक्षा मित्र एवं आचार्य व ग्राम शिक्षा समिति को पुरूस्कार वितरण कराना, उच्च प्राथमिक विद्यालय में कम्प्यूटर एवं बुक बैंक आदि के द्वारा जिला

जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता गुणवत्ता संवर्धन के लिए कार्य करते है।

जिला समन्वयक वैकल्पिक शिक्षा ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था कराते है जो किन्हीं कारणों से पढ़ने से वंति रह जाते है। मानक में न आने वाली बस्तियों में विद्या केन्द्रो की स्थापना करना व वैकल्पिक शिक्षा का है।

बी.आर.सी. समन्वयकों की भूमिका :–

गुणवत्ता संवर्धन में ब्लाक संसाधन केन्द्र समन्वयकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवारत अध्यापकों का प्रशिक्षण कराने के साथ–साथ अन्य प्रकार के प्रशिक्षणों की जबाबदारी भी बी.आर.सी. समन्वयक की होती है। रूचिपूर्ण शिक्षा गतिविधि आधारित शिक्षा के द्वारा शिक्षा को व्यवहारिक आधार पर लाया जाता है। स्पष्ट है कि इन प्रशिक्षणों का मुख्य उद्देश्य बच्चों के अधिगम स्तर को बढ़ाने की दिशा में प्रशिक्षण देना है। साथ ही साथ बी.आर. सी. समन्वयक से यह अपेखा की जाती है कि वह विद्यालय भ्रमण के दौरान आदर्श पाठ का प्रस्तुतीकरण कर अध्यापकों को पढ़ाई के तरीकों से अवगत करायें।

विकास खण्ड स्तर पर एक ब्लाक सन्दर्भ समूह प्रशिक्षण का गठन भी किया गया है, जिसमें विकास खण्ड के विभिन्न विषयो के योग्य अध्यापकों का चयन किया गया है, जिसका उद्देश्य अध्यापकों को अध्यापन के दौरान आने वाली विभिन्न परेशानियों का निदान करना है। यह सन्दर्भ समूह न्याय पंचायत स्तर से आने वाली अधपन की समस्याओ का भी निदान करेगा।

न्याय पंचायत समन्वयकों की भूमिका :–

न्याय पंचायत केन्द्र समन्वयक गुणवत्ता संवर्धन का मूल्य है। इससे अपेक्षा की जाती है कि यह एक सप्ताह में 3 विद्यालयों का भ्रमण कर वहाँ न्यूनतम दो दिन तक आदर्श पाठ प्रस्तुत करें, साथ ही साथ अध्यापकों की अध्यापन विधि का भी पर्यवेक्षण करें। शिक्षण के दौरान आने वाली उनकी समस्याओं का निदान करें एवं नयी विधियों से अध्यापकों को अवगत कराये न्याय पंचायत स्तर पर भी एक अध्यापकों का संदर्भ समूह गठित किये जाने का प्राविधान है। जिला स्तर पर भी एक अध्यापकों का संदर्भ समूह गठित किये जाने का प्राविधान है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत माह के अन्तिम शनिवार को अध्यापकों की एक गोष्ठी करायें जाने का प्राविधान है, जिसमें अध्यापकों द्वारा शिक्षण से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाता है।

ग्राम शिक्षा समितियों की भूमिका :–

ग्राम शिक्षा समितियों के गठन का मुख्य उद्देश्य योजना की गतिविधियों को मूर्त रूप प्रदान करना है इसमें तीन छात्र अभिभावकों को सदस्य बनाने का मूल उद्देश्य भी यही है कि वह विद्यालय की शिक्षण पर अपना ध्यान केन्द्रित करें एवं जरूरत पढ़ने पर सामुदायिक शिक्षक की व्यवस्था करें, जिससे की बच्चों की शिक्षण कार्य में व्यवधान उत्पन्न न हो।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2002 से 2007 तक प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना

	वर्ष 2002–03	वर्ष 2003–04	वर्ष 2004–05	वर्ष 2005–06	वर्ष 2006–07
कार्यशाला/सेमिनार प्राइमरी	आवयकताओं का आंकलन टी.एल.एम. कार्यशाला	आवयकताओं का आंकलन टी.एल.एम. कार्यशाला	1. आवश्यकताओं का आंकलन 2. गणित के कठिन स्थलों का चयन एवं प्राविधान 3. टी.एल.एम. कार्यशाला	आवश्यकताओं का आंकलन टी.एल.एम. कार्यशाला	आवश्यकताओं का आंकलन टी.एल.एम. कार्यशाला
अपर प्राइमरी	आवयकताओं का आंकलन टी.एल.एम. कार्यशाला	आवयकताओं का आंकलन टी.एल.एम. कार्यशाला	1. आवश्यकताओं का आंकलन 2. गणित के कठिन स्थलों का चयन एवं प्राविधान 3. टी.एल.एम. कार्यशाला	आवश्यकताओं का आंकलन टी.एल.एम. कार्यशाला	आवश्यकताओं का आंकलन टी.एल.एम. कार्यशाला
प्रशिक्षण प्राइमरी	मुख्य अध्यापक प्रशिक्षण गणित अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण, अनुश्रवण मूल्यांकन	मुख्य अध्यापक प्रशिक्षण गणित अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण, अनुश्रवण मूल्यांकन	1. मुख्य अध्यापक प्रशिक्षण 2. रोस्टर ट्रेनिंग 3. आवश्यकतानुसार आधारित प्रशिक्षण माड्यूल	मुख्य अध्यापक प्रशिक्षण अंग्रेजी अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	मुख्य अध्यापक प्रशिक्षण अंग्रेजी अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन
अपर प्राइमरी	पर्यावर्णीय अध्ययन अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण, अनुश्रवण मूल्यांकन	अंग्रेजी अध्यापक प्रशिक्षण संस्कृत अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण, अनुश्रवण मूल्यांकन	1. गणित अध्यापक प्रशिक्षण 2. विज्ञान अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण मूल्यांकन	हिन्दी एवं व्यायाम स्काउट एवं गाइड प्रशिक्षण मूल्य आधारित प्रशिक्षण पर्यवेक्षक अनुश्रवण मूल्यांकन	पूर्व प्रशिक्षण का वृहद मूल्यांकन एवं अनुश्रवण
क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण	एस.डी.आई./ए.बी. एस.ए. का प्रशिक्षण क्षमता सम्र्धन में में अनुभूत समस्याओं पर	एस.डी.आई./ए.बी. एस.ए. का प्रशिक्षण क्षमता सम्र्धन में में अनुभूत समस्याओं पर	एस.डी.आई./ए.बी. एस.ए. का प्रशिक्षण क्षमता संवर्धन हेतु वी.आर.सी.सी. समन्वयक का	एस.डी.आई./ए.बी. एस.ए. का प्रशिक्षण समस्याओ का निराकरण तथा अन्य सुझाव	एस.डी.आई./ए.बी. एस.ए. का प्रशिक्षण समस्याओ का निराकरण तथा अन्य सुझाव
	वी.आर.सी./एन.पी. आर.सी. समन्वयक का प्रशिक्षण (विद्यालयों में समस्याओं के आंकलन पर)	वी.आर.सी./एन.पी. आर.सी. समन्वयक का प्रशिक्षण (विद्यालयो में समस्याओं के आंकलन पर)	प्रशिक्षण श्रेणीकरण अनुदेशक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	वी.आर.सी./एन.पी. आर.सी. समन्वयक का श्रेणीकरण का प्रभाव का आंकलन	वी.आर.सी./एन.पी. आर.सी. समन्वयक का श्रेणीकरण का प्रभाव का आंकलन
	अनुदेशक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	अनुदेशक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन		अनुदेशक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	अनुदेशक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन
	डायट संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण	डायट संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण	डायट संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण	डायट संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण	डायट संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण

	श्रेणीकरण	श्रेणीकरण	श्रेणीकरण	श्रेणीकरण	श्रेणीकरण
शोध	क्रियात्मक शोध प्रस्ताव 1. बी.आर.सी./एच. पी.आर.सी. स्तर पर 2. डायट स्तर पर	क्रियात्मक शोध प्रस्ताव 1. बी.आर.सी./एन. बी.आर.सी. स्तर पर 2. डायट स्तर पर	क्रियात्मक शोध प्रस्ताव 1. बी.आर.सी./एन. पी.आर.सी. स्तर पर 2. डायट स्तर पर	क्रियात्मक शोध प्रस्ताव 1. बी.आर.सी./एन. पी.आर.सी. स्तर पर 2. डायट स्तर पर	क्रियात्मक शोध प्रस्ताव 1. बी.आर.सी./एन. पी.आर.सी. स्तर पर 2. डायट स्तर पर
जनपद स्तरीय प्रतियोगिताएं	जनपद स्तर पर 1. सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 2. विज्ञान प्रतियोगिता	जनपद स्तर पर 1. कला पतियोगिता 2. टी.एल.एम. प्रतियोगिता 3. विज्ञान प्रतियोगिता	जनपद स्तर पर 1. टी.एल.एम. प्रतियोगिता का आयोजन 2. कक्षा शिक्षण प्रतियोगिता	जनपद स्तर पर 1. टी.एल.एम. प्रतियोगिता 2. सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता	जनपद स्तर पर 1. विज्ञान प्रतियोगिता 2. टी.एल.एम. प्रतियोगिता

अध्याय 10

परियोजना कियान्वयन एवं अनुश्रवण

सत्र 2002 से 2007 तक चलने वाली सर्व शिक्षा योजना वर्तमान में चल रहे जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के सम्पूरक योजना जिसका कार्यकाल जनपद महोबा में सत्र 2000 से 2005 तक है। सर्व शिक्षा योजनान्तर्गत 6-11 आयुवर्ग के समस्त सम्वर्ग के बालक बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने की संकल्पना की गई है। सभी कार्यक्रमों का प्रवन्धन उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। सत्र 2007 तक पर्याप्त क्षमता एवं प्रवन्धन कौशल विकसित कर लिया जाने का लक्ष्य निर्धारित कर लिया गया है।

यद्यपि परियोजना का प्रबन्धन टीम भावना पर आधारित है, परन्तु व्यक्तिगत पहल के लिये पर्याप्त अवसर उपलब्ध होगे। प्रवन्धन एवं अनुश्रवण के लिये लोकतान्त्रिक पद्धति का विकास कर लिया गया है जिससे जन समुदाय सहभागिता सुनिश्चित की जा सके इसके लिये ग्राम स्तर ,न्याय पंचायत स्तर,विकास खण्ड स्तर,तथा जनपद स्तर पर विभिन्न प्रकार के संगठनों का निर्माण किया गया है जिसमें विभिन्न वर्गो के मुलतः अपवंजित वर्ग के व्यतियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है , जिसका उददेश्य सूक्ष्मतम स्तर पर ही योजना की विभिन्न गतिविधियो की सफलता एवं उनका कियान्वयन, अनुश्रवण,एवं उत्तरदायित्व का निर्धारणकिया जा सके ।

प्रबन्धनतन्त्र सम्वेदनशील और लचीली प्रणाली-

सर्व शिक्षा अभियान की समस्त प्रकियो में सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करते हुये विकेद्रीकृत शैक्षिक प्रवन्धन प्रणाली स्थापित कर प्रारभिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना है। इस व्यापक कार्य को सम्पादित के लिये प्रशानिक कार्यो के निष्पादन में उच्च कोटि का लचीलापन लावे जवावदेही सुनिश्चित की प्रणाली स्थपित करने वित्तीय निवेशों को इवाध प्रवाह प्रदान करने और सदाचारात्मक विधि ायों के साथ प्रयोग की सुविधा निर्मित करने के साथ उ0प्र0 सर्व शिक्षा अभियान ने एक प्रवन्धतन्त्र तैयार यिा है जो निम्नवत दर्शाया जा सकता है ।

संगठनात्मक ढांचा -

सर्व शिक्षा अभियान की गतिविधियों के कियान्वयन एवं अनुश्रवन के लिये विभिन्न स्तरो पर संगठनो का निर्माण किया गया है जो निम्न लिखित है।

1- ग्रम स्तर पर - जनपद महोबा में ग्रम स्तर पर दो प्रकार के संगठनो का निर्माण किया जा चुका है। जो निम्नवत है।

(अ) गाम शिक्षा समिति - ग्राम स्तर पर वेसिक शिक्षा सम्बन्धी समस्त कार्यो को पूर्ण करने हेतु वेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 तथा संशेधित वर्ष 2000 के अन्तरगत ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है, जिसका स्वरूप निम्नवत है ।

अध्यक्ष - ग्राम पंचायत प्रधान।

सचिव - ग्राम पंचायत के वेसिक विद्यालय के वरिष्ठ प्रधानाध्यापक ।

सदस्य - वेकि विद्यालयो में अध्यनरत तीन बच्चों के अभिभावक जिसमें एक महिला होगी तथा सहायक वेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित होगें।

समिति के अधिकार एवं दायित्व-

(क) पंचायत क्षेत्र में बेसिक विद्यालयो के कार्यो के निष्पादन हेतु प्रसाशन नियंत्रण, प्रवन्धन करना।

(ख) ऐसे बेसिक विद्यालयो के लिये विकाय प्रसार और सुधार के लिये योजनाये तैयार करना।

(ग) पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा, प्रौढ शिक्षा, की अभिवृद्धि एवं विकास करना।

(घ) पंचायत क्षेत्र के सीमाओं के भीतर किसी बेसिक विद्यालय के किसी अध्यापक व अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति में जिसे निहित की जाय लघु दण्ड देने की सिफारिस करना ।

(ड.) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक विद्यालयो के अध्यापकों व कर्मचारियों के समय पालन एवं उपस्थित सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक समझे जाय।

(च) बेसिक विद्यालयो के भवनों एवं उपकरणो के सुधार के लिये जिला पंचायत को सुझाव देना ।

(ड.) बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यो को करना जिन्हे राज्य सरकार द्वारा उसे सौपे जाय।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना यह समिति नीति निर्धारण के साथ साथ मुख्य कार्यदाई संस्था के रूप में कार्य कर रही है, जिसमें विद्यालय भवनों का निर्माण एवं मरम्मत , वातावरण सृजन ,शैक्षिक उपकरणो की पूर्ति आदि सम्मिलत है। इसके साथ ही साथ ग्राम शैक्षिक योजना एवं माइको प्लानिंग एवं शैखिक मानचित्रण हेतु प्रशिक्षण इन्हे सक्षम बना दिया गया है। इसके अन्य कार्यो में शिक्षा गारन्टी योजना केंन्द्र / वैकल्पिक शिक्षा केंन्द्र की मांग शिक्षामित्रों ,आचार्यो, अनुदेशकों, चयन एवं इनके मानदेय का भुगतान , छात्रवृत्तियों का वितरण,पोषाहार वितरण, निःशुल्क पाठय पुस्तक वितरण , साज सज्जा हेतु विद्यालय अनुदान ,का उपयोग आदि का पर्वेक्षण कार्य भी ग्राम शिक्षा समितियों का है।

(ब) ग्राम कोर कमेटी-

जनपद महोबा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम एवं सर्व शिक्षा अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करने के लिये ग्राम पंचायत प्रधान की अध्यक्षता में एक ग्राम कोर कमेटी का गठन किया गया है। जिसमें ग्राम पंचायत ग्राम विकास अधिकारी को सदस्य तथा सचिव बनाया गया है जिसमें ग्राम पंचायत के समस्त बार्ड सदस्यो ग्राम कोंर कमेटी का सदस्य बनाया गया है साथ ही साथ प्रत्येक बार्ड में बार्ड सदस्य के साथ साथ एक विपरीत जेण्डर वाले योग्य कर्मठ व्यक्ति को सहयोगी के रूप में रखा गया है जिससे इसमें महिला एवं पुरूष का अनुपात 1:1 हो गया है एवं प्रत्येक बार्ड में दो व्यक्तियों की टीम तैयार हो गई है ।

कार्य एवं दायित्व-

क- ग्राम शिक्षा समिति को विभिन्न कार्यो हेतु सहयोग प्रदान करना ।

ख- अपने बार्ड से संबंधित समस्त बच्चों का नामांकन कराना एवं उनकी उपस्थिति सुनिश्चत कराना

ग- योजनांतर्गत विभिन्न प्रकार की क्रियाओं कार्यो एवं गतिविधियों को सफल संचालन हेतु वातावरण सृजन करना एवं इसमें होने वाली कमियों को संबंधित अधिकारियों को अवगत कराना।

घ- उद्देश्य पूर्ति हेतु विभिन्न प्रकार के सुझाव जिला परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराना।

2- न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र-

जनपद समस्त उन न्याय पंचायतों में न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र प्रभारी की नियुक्ति की जा चुकी है उन्हें उनके कार्यो से अवगत कराने के लिये सक्रिय एवं क्रियाशील बनाने के लिये उनका प्रशिक्षण कराया जा चुका है उनमें से 20 केन्द्रों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है शेष 17 केन्द्रों के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है।

एन0 पी0आर0सी0 के कार्य एवं दायित्व :-

क- न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों का अकादमिक निरीक्षण करना ।

ख- अध्यापकों की मासिक गोष्ठी महिने के अंतिम शनिवार के दिन करना । गोष्ठी में शैक्षिक कठिनाइयों पर विचार विमर्श एवं उसका निवारण करना ।

ग- ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित करना ।

घ- ग्राम शिक्षा समिति के सहयोग से न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों में गुणवत्ता के सुधर परिवेश निर्माण आदि की योजना तैयार करना ।

इ- न्याय पंचायत स्तरीय शैक्षिक सूचनाओं का संकलन एवं सूक्ष्म नियोजन ।

च- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा जिला परियोजना कार्यालय द्वारा हस्तान्तरित किये गया बेसिक शिक्षा सुधार से सम्बंधित अन्य कार्यो को सम्पादित करना ।

3- क्षेत्र पंचायत स्तरीय संगठन/संस्था-

<u>अ- क्षेत्र पंचायत स्तर की समिति-</u> प्रत्येक विकासखंड में सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रमों को कियान्वयन/अनुश्रवण करने के लिये एक क्षेत्र पंचायत स्तरीय समिति का गठन किया गया है जिसमें निम्न पदाधिकारी सम्मिलत हैं ।

अध्यक्ष	-	ब्लाक प्रमुख
सदस्य/सचिव-		सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक
सदस्य	-	विकासखंड का एक ग्राम प्रधान एवं विकासखंड का वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक ।

अधिकार एवं दायित्व

इस समिति का मुख्य कार्य ब्लाक संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के कार्यो में समन्वय स्थापित करना जिला परियोजना समिति के निर्णयों का अनुपालन सुनिशचित करना तथा क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत विभिन्न कार्यकर्मो का प्रभावी कियान्वयन एवं अनुश्रवण करना इसका मुख्य दायित्व होगा । यह समिति ग्राम शिक्षा समितियों एवं जिला शिक्षा परियोजना समिति के बीच सम्पर्क सूत्र का कार्य करेगी तथा सुनिश्चत रोजगार योजना/जे0जी0एस0वाई के लिये आवंटित धनराशि में से प्राथमिकता के आधार पर धन उपलब्ध कराने में यह विशेष सहायक होगी । इस समिति की महीने में बैठक एक बार अवश्य होगी ।

ब- प्रशासनिक संगठन-

प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक कार्यरत हैं जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियंत्रण में परियोजना के कार्यकर्मों को कियान्वित करायेंगे तथा नियमित रूप से उनका पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेंगे तथा ये परियोजना के कियान्वयन एवं प्रगति हेतु उत्तरदायी होंगे । इनका दायित्व ग्राम शिक्षा समितियों न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र तथा ब्लाक संसाधन केन्द्र के मध्य समन्वय स्थापित करना होगा जिसके लिये आवश्यक अधिकार एवं सुविध ायें प्रदान की जायेगी ।विकासखंड के विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्रों को समय से एकत्रित करना एवं जिला परियोजना समिति को उपलब्ध कराया जाना भी इनका कार्य है । सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन विकासखंड परियोजना अधिकारी होंगे । इनके प्रमुख उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं ।

क- सर्व शिक्षा अभियान की नीतियों को कियान्वयन पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण

ख- विद्यालय भवनों के निर्माण का पर्यवेक्षण एवं आने वाली समस्याओं को दूर करना ।

ग- ग्राम शिक्षा समितियों को प्रभावी बनाना ।

घ- ब्लाक परियोजना समिति की बैठक कराना एवं उनके निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।

ङ- विकासखंड स्तर पर शैक्षिक आंकड़े एकत्र कर संकलित कराना ।

च- समस्त प्रकार की छात्रवृत्तियों का वितरण पोषाहार वितरण निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण सुनिश्चित कराना एवं संबंधित सूचनाओं को संकलित कर जिला परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराना ।

छ- विद्यालयों का निरीक्षण करना तथा गुणवत्ता में सुधार लाना ।

ज- विद्यालय में मानक के अनुसार अध्यापक छात्र अनुपात बनाये रखना । आवश्यकतानुसार शिक्षामित्रों के चयन की संस्तुति देना ।

झ- अध्यापकों के वेतन बिल प्रस्तुत करना एवं भुगतान सुनिश्चित कराना ।

ट- अध्यापकों की चरित्र पंजिका भरना ।

ठ- ग्राम शिक्षा समितियों एवं ब्लाक शिक्षा समितियों से समन्वय स्थापित करना ।

ड- इसके अतिरिक्त ई0जी0एस0 ए0आई0ई0 को संचालन पर्यवेक्षण,अनुश्रवण का कार्य भी सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/उप विद्यालय निरीक्षक द्वारा किया जायेगा ।

समिति का गठन निम्नवत है ।

जिलाधिकारी	-	अध्यक्ष
मुख्य विकास अधिकारी	-	उपाध्यक्ष
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	-	सदस्य-सचिव
प्राचार्य डायट	-	सदस्य
जिला श्रम अधिकारी	-	सदस्य
जिला समाज कल्याण अधिकारी	-	सदस्य
वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा	-	सदस्य
अधिशाषी अभियंता(आर0ई0एस0)	-	सदस्य
अधिशाषी अभियंता(पी0डब्ल्यू0डी0)	-	सदस्य
जिला विद्यालय निरीक्षक	-	सदस्य
दो शिक्षा विद(विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय से)जिलाधिकारी द्वारा नामित	-	सदस्य
दो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष(वर्णमाल कम से) एक वर्ष के लिये	-	सदस्य
दो शिक्षक(राष्ट्रीय/राज्य पुरुस्कार प्राप्त)	-	सदस्य
स्वैच्छिक संगठन के दो प्रतिनिधि (जिलाधिकारी द्वारा नामित)	-	सदस्य

जिला शिक्षा परियोजना समिति के अधिकार एवं दायित्वः-

यह समिति सर्व शिक्षा अभियान हेतु जिले की सर्वोच्च नीति नियामक समिति है जिले स्तर पर उत्तर प्रदेश वेसिक शिक्षा परियोजना के द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत रहते हुये किसी जनपद स्तर परी आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार है रणनीतियों में परिवर्तन से लेकर निर्माण, कार्य गुणवत्ता में सुधार एवं जन सहभागिता सुनिश्चित करने रणनीति निर्धारण के सम्बंध में इसके निर्णय प्रभावी होंगे । प्रवेश धारण ,गुणवत्ता संवर्धन निर्माण के लिये तकनीकि पर्यवेक्षण के लिये संस्थाओं का निर्धारण एवं प्रचार प्रसार के लिये सभी कार्य इसी समिति द्वारा निर्धारित किये जायेंगे यह समिति जिले के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान संरचना संचालन एवं निर्देश के लिये जनपद स्तर की सर्वोच्च समिति होगी । जनपद में ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 से सम्बंधित प्रस्तावों का अनुमोदन तथा कार्यक्रम के संचालन का पूर्व दायित्व भी इसी समिति को होगा ।

ब- जिला बेसिक शिक्षा समितिः

उ0प्र0वेसिक शिक्षा परियोजना परिषद अधिनियम 1972 के अंतर्गत प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्र के लिये जिला बेसिक शिक्षा समिति गठित की गई है जिसकी सदस्यता निम्न प्रकार है ।

1- जिला पंचायत अध्यक्ष	-	अध्यक्ष
2- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	-	सदस्य-सचिव
3- अपर जिला मजिस्ट्रेट(नियोजन)	-	पदेन सदस्य
4- जिला समाज कल्याण अधिकारी	-	पदेन सदस्य
5- जिला विद्यालय निरीक्षक	-	पदेन सदस्य

6- अपर बेसिक शिक्षा अधिकारी(महिला)यदि कोई हो
और उनकी अनुपस्थिति में विद्यालय उप निरीक्षक - पदेन सदस्य

7- तीन व्यक्ति जो जिला पंचायत के सदस्यों में से
राज्य सरकार द्वारा नाम निर्निष्ट किये जायेंगे । - सदस्य

8- विद्यालय उप निरीक्षक(पदेन) जो समिति का
सहायक सचिव होगा - सदस्य

जिला बेसिक शिक्षा समिति परिषद अधीक्षण और निर्देशों के अधीन रहते हुये निम्नलिखित कृत्यों का संपादन करेगी ।

(क) जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बेसिक स्कूलों का प्रशासन करना ।

(ख) नये बेसिक स्कूल स्थापित करना ।

(ग) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास,प्रसार-सुधार के लिये योजनायें तैयार करना ।

अतः उपरोक्त समिति नये स्कूलों तथा असेवित क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु विद्यालय के लिये स्थल चयन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन करेगी ।

स- प्रशासनिक तंत्र-

जिला परियोजना कार्यालयः

जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपदीय परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे । राज्य परियोजना समिति तथा जिला परियोजना समिति द्वारा निर्धारित नीति एवं कार्यक्रमों का प्रभावी कियान्वयन उसका दायित्व होगा । जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति के निर्देशन व मार्गदर्शन में कार्यक्रमों का कियान्वयन करेंगे । इस कार्य में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की सहायता हेतु जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की जायेगी । जिसमें आवश्यक स्टाफ के पद उ0प्र0सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के नियमों के अनुसार सृजित कर उसमें तैनाती की जायेगी ।

जिला परियोजना कार्यालय में निम्नलिखित अधिकारी व कर्मचारी होंगे -

1- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	पदेन जिला परियोजना अधिकारी
2- उप बेसिक शिक्षा अधिकारी (ई0जी0एस0/ए0आई0ई0)	एक प्रति नियुक्ति पर
3- समन्वयक	चार प्रतिनियुक्ति अथवा नियत वेतन पर
4- सलाहकार	दो रू010,000/- नियत वेतन प्रति पद
5- ई0एम0आई0एस0अधिकारी	एक रू010,000/- नियत वेतन प्रति पद
6- कंप्यूटर आपरेटर/सांख्यिकी सहायक	तीन रू07,000/- नियत वेतन प्रति पद
7- सहायक लेखाधिकारी	एक प्रतिनियुक्ति पर
8- आशुलिपिक	एक नियत मानदेय पर
9- लिपिक	एक नियत मानदेय पर
10- परिचारक	दो नियत मानदेय पर

उपरोक्त में से उ0प्र0सभी के लिये शिक्षा परियोजना के सस्टेनिविल्टी प्लान के अंतर्गत कोई भी पद सृजित नहीं है । उपर्युक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला

परियोजना अधिकारी के नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे तथा परियोजना कार्यक्रमों के कियान्वयन में उसके प्रति उत्तरदायी होंगे । जनपद के कार्यरत सभी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन उप जिला परियोजना अधिकारी होंगे तथा अपने क्षेत्र से सम्बंधित सभी प्रकार के परियोजना कार्यक्रमों के कियान्वयन हेतु उत्तरदायी होंगे ।

उपरोक्त स्टाफ के अतिरिक्त,अन्य उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप विद्यालय निरीक्षक तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सहायक स्टाफ का यह दायित्व होगा कि वे सर्व शिक्षा अभियान का कार्य अपने सरकारी कर्तव्य की तरह करेंगे । परियोजना के कियान्वयन हेतु पूर्ण लिपिकीय समर्थन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कर्मियों द्वारा प्रदान किया जायेगा ।

(द) एजूकेशनल मेनेजमेन्ट इन्फोरमेंशन सिस्टम (ई0एम0आई0एस0)

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत संचालित कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु जिला परियोजना कार्यालय में एक सुदृढ एवं कियाशील एम0आई0एस0 स्थापित किया जायेगा । बेसिक शिक्षा परियाजना जनपद में पूर्व मे डाटा कैप्चर प्रणाली व प्राथमिक स्तर का डायस स्थापित है तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर भी उपलब्ध है । वर्ष 2000-2001 के आंकडे. उपलब्ध है। उच्च प्राथमिक स्तर के लिए साफवेयर डाब वेस तथा आवश्यकता नुसार कत्पयूटर हार्ड वेयर को उच्चीकुत कराने की व्यवस्था की जायेगी इसके अतिरिक्त जनपद में अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत एक कम्प्यूटर उपलब्ध है। उससे शिक्ष गारन्टी योजना बै0 शिक्षा योजना तथा नवाचार शिक्षा योजना सम्बन्धी गति विधियों का अनुश्रवण आकडों का संकलन एवं विशलेषण किया जायेगा । इन दोनो कम्प्यूटर सिसटम को संकलित कर एक अध्यावधिक एवं उपर्युक्त ई0एम0आई0एस0 तथा प्रोजेक्ट मांनिटरिंग यूनिट उपलब्ध हो सकेगा ।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की औपचारिक शिक्षा एवं वैकल्पिक / नवाचार शिक्षा योजना की प्रतिवर्ष शैक्षिक सांख्यिकी के व्यापक कार्य को संपादित करने के लिये स्थापित कम्प्यूटराइज्ड ई. एम. आई. एस. के संचालनार्थ एक ई0एम0आई0एस0अधिकारी एवं तीन कंप्यूटर आपरेटर/सांख्यिकी सहायक रखे जायेंगे जिससे इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित हो सके कि विभिन्न प्रकार के शैक्षिक डाटा की रिपोर्ट व विश्लेशण तत्परता से उपलब्ध हो सके और जिला परियोजना कार्यालय अपने स्तर पर ही ई0एम0आई0एस0 के विभिन्न महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स पर रिपोर्ट तैयार कर सके । वस्तुतः जिल परियोजना कार्यालय विभिन्न शैक्षिक आंकड़ों के एक संसाधन के रूप में विकसित हो सकेगा जिसक उपयोग शैक्षिक नियोजन एवं अनुश्रवण में अधिक से अधिक किया जायेगा ।

<u>ई0एम0आई0एस अधिकारी के कार्य एवं दायित्व-</u>

जिला परियोजना कार्यालय में स्थापित कम्प्यूटराइज्ड सूचना प्रबंध प्रणाली में तैनात ई0एम0आई0एस0 अधिकारी के निम्नलिखित कार्य एवं दायित्व होंगे ।

- विद्यालयों हेतु सांख्यिकी प्रपत्रों का मुद्रण व वितरण कराना
- समय से फील्ड स्टाफ(बी0आर0सी0समन्वयक,एन0पी0आर0सी0 समन्वयक,प्रधानाध्यापक,अध्यापकों का प्रशिक्षण आयोजित कराना ।
- माह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में विद्यालय से भरे हुये प्रपत्रों का एकत्रीकरण कराना
- भरे हुये प्रपत्रों की सेम्पुल चेकिंग संपादित कराना तथा परिवर्तन यदि कोई हो तो अभिलिखित करना
- समय बद्ध रूप में दिसम्बर,2001 के अंत तक डाटा इंट्री पूर्ण कराना तथा रिपोर्ट तैयार करकर

राज्य परियोजना कार्यालय को भेजना

- संकुलवार व विकासखंडवार जनपद की ई0एम0आई0एस0रिपोर्ट का विश्लेषण तैयार कराना तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी प्राचार्य जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान जिला समन्वयकों तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराना ।
- सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना कार्यालय में सभी प्रकार की शैक्षिक सांख्यिकी के लिये नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करना तथा राज्य स्तरीय बैठकों/कार्यशालाओं में प्रतिभाग करना ।
- माइक्रोप्लानिंग डाटा का कंप्यूटरीकरण,विश्लेषण तथा रिपोर्ट तैयार कर सभी संबंधित को प्रस्तुत/प्रेषित करना
- ई0एम0आई0एस0अधिकारी की शैक्षिक योग्यता कंप्यूटर आपरेटर के समतुल्य होने के साथ ही सांख्यिकी विश्लेषण प्रक्षेपण तकनीकि आदि में अभीष्ठ जानकारी व अनुभव रखना आवश्यक होगा ।

<u>प्रशिक्षण</u>

विद्यालय सांख्यिकी सम्बन्धी कार्य हेतु कम्प्युटर आपरेटर, प्रधानाध्यापक ,संकुल प्रभारी, बी0आर0सी0 समन्वयक , सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों का जनपद स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा । और उन्हें ई0एम0आई0एस0 सम्बन्धी प्रपत्र तथा उन्हें भरने, संकलन, विश्लेषण आदि की जानकारी दी जायेगी। इसके अतिरिक्त विद्यालय सम्बन्धी आंकड़ों के दो प्रतिशत सेम्पल चेकिंग के लिए भी फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जायेगा जिससे आंकड़ों की शुद्धता की जांच हो सकेगी ।

1- ई0एम0आई0एस0 का प्रशिक्षण (जिला स्तर पर)

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा इसमें जिला परियोजना अधिकारी,सभी समन्वयक,स्टाफ,कंप्यूटर आपरेटर लेखा स्टाफ प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे ।

2- ई0एम0आई0एस0का प्रशिक्षण(ब्लाक स्तर पर)

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी,प्रति उप विद्यालय निरीक्षक एवं बी0आर0सी0समन्वयक,सह समन्वयक आदि प्रतिभाग करेंगे ।

3- ई0एम0आई0एस0 का प्रशिक्षण(न्याय पंचायत स्तर पर)

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें एन0पी0आर0सी0 समन्वयक /सह समन्वयक तथा सभी विद्यालयो के प्रधानाध्यापक प्रतिभाग करेंगें।

4- ई0एम0आई0एस0 का प्रशिक्षण (प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट स्तर पर)

एस0पी0ओ0/सीमेट द्वारा आयोजित यह प्रशिक्षण एक सप्ताह का होगा। इसमे डी0पी0ओ0 एवं बी0आर0सी0 के कम्प्यूटर आपरेटर भाग लेगे। प्रथम तिन दिन ई0एम0आई0एस0 प्रबन्धन एवं दूसरे तीन दिन में प्रोजेक्ट मैनेजमैन्ट का प्रशिक्षण दिया जायेगा ।

आकड़ों का एकत्रीकरण तथा शुद्धता की जांचः-

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर दोनो के लिये नीपा , दिल्ली द्वारा तैयार किया गया विद्यालय संख्यिकी प्रपत्र उपलब्ध हो गया है जिस पर प्रतिवर्ष विद्यालय स्तर से 30 सितम्बर की स्थिति के अनुसार आकड़ो को इकत्रित किया जायेगा एवं कम्प्यूटर पर डाटा इन्टी के पश्चात ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट तैयार की जायेगी। प्रति वर्ष विद्यालयों से भरे हुए प्राप्त प्रपत्रो का कम्प्यूटर प्रिन्ट आउट जिला परियोजना कार्यालय द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक को भेजा जायेगा ताकि प्रधानाध्यापक को यह जानकारी हो सके कि उसके द्वारा जो सूचना भरकर भेजी गई थी, वह सही है। अप्रत्यक्ष रूप से यह सूचना की पुष्टि स्वरूप होगा और यदि कोई त्रुटि हो गई तो उसे शुद्ध करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा।

आकड़ों का उपयोगः-

ई0एम0आई0एस के आकड़ो के विश्लेषण से महत्वपूर्ण इन्डीकेटर्स जैसे जी0ई0आर0,एन0ई0आर0,डाप आउट दर ,रिपीटीशन दर छात्र अध्यापक अनुपात ,कक्षा कक्ष अनुपात ,एकल अध्यापकीय विद्यालय आदि प्रतिवर्ष प्राप्त होगे। इन इन्डीकेटर्स का उपयोग डिसीजन सपोर्ट सिस्टमस में किया जायेगा तकि बार बार सूचनाओं के एकत्रीकरण में समय की बचत हो सके और कार्य योजना की संरचना में तदनुसार कार्यक्रमों का समावेश/संशोधन किया जा सके। डायस के अन्तर्गत ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आकड़ों से स्कूल के बाहर बच्चो की संख्या ज्ञात नही हो पाती है और स्कूल में अध्यनरत तथा स्कूलों के बाहर के बच्चों की संख्या ज्ञात नहीं हो पाती है और स्कूल में अध्ययनरत तथा स्कूलों के बाहर बच्चों की संख्या का विश्लेषण एक ही स्रोत से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर नहीं हो पाता है। अतः यह वयवस्था प्रस्तावित है कि माइक्रोप्लानिंग से प्राप्त ग्राम स्तरीय आंकड़ों तथा ई0एम0आई0एस0के प्राप्त आंकड़ों का मिलान व विश्लेषण किया जायेगा तथा तद्नुसार कार्य योजना में वांछित कार्यक्रमों का समावेश/ संशोधन अभीष्ठ होगा । ई0एम0आई0एस0 एवं माइक्रोप्लानिंग के आंकड़ों का उपयोग निम्न कार्यो हेतु भी किया जायेगाः-

1. नवीन विद्यालयों हेतु असेवित बस्तियों की पहचान ।
2. शिक्षा गारंटी केन्द्र हेतु बस्तियों की पहचान तथा जनसंख्या के आधार पर बस्तियों की प्राथमिकता का निर्धारण ।
3. छात्र संख्या में बृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता की पहचान
4. एकल अध्यापकीय विद्यालयों का चिन्हीकरण ।
5. छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की आवश्यकता वाले विद्यालयों की पहचान ।
6. वालिकाओं के कम नामांकन वाले विद्यालयों व न्याय पंचायतों का चिन्हीकरण ।
7. निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण हेतु लाभार्थी समूहों की संख्या का आंकलन ।
8. अवस्थापना सम्बन्धी मांग का आंकलन व निर्धारण ।
9. शिक्षकों का विवरण ।
10. विभिन्न स्तरों पर विद्यालय निरीक्षण का रोस्टर ।
11. विकलांगतावार आंकड़ों के अनुसार उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना ।

ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त महत्वपूर्ण निष्कर्षो एवं सूचनाओं का उपयोग सम्बन्धित विषय/क्षेत्र के अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर अपने से सम्बन्धित कार्यक्रमों के आयोजन की प्राथमिकताओं के निर्धारण में किया जायेगा,जिसके लिये उन्हें प्रशिक्षण दिया जायेगा और उत्तरदाई बनाया जायेगा ।

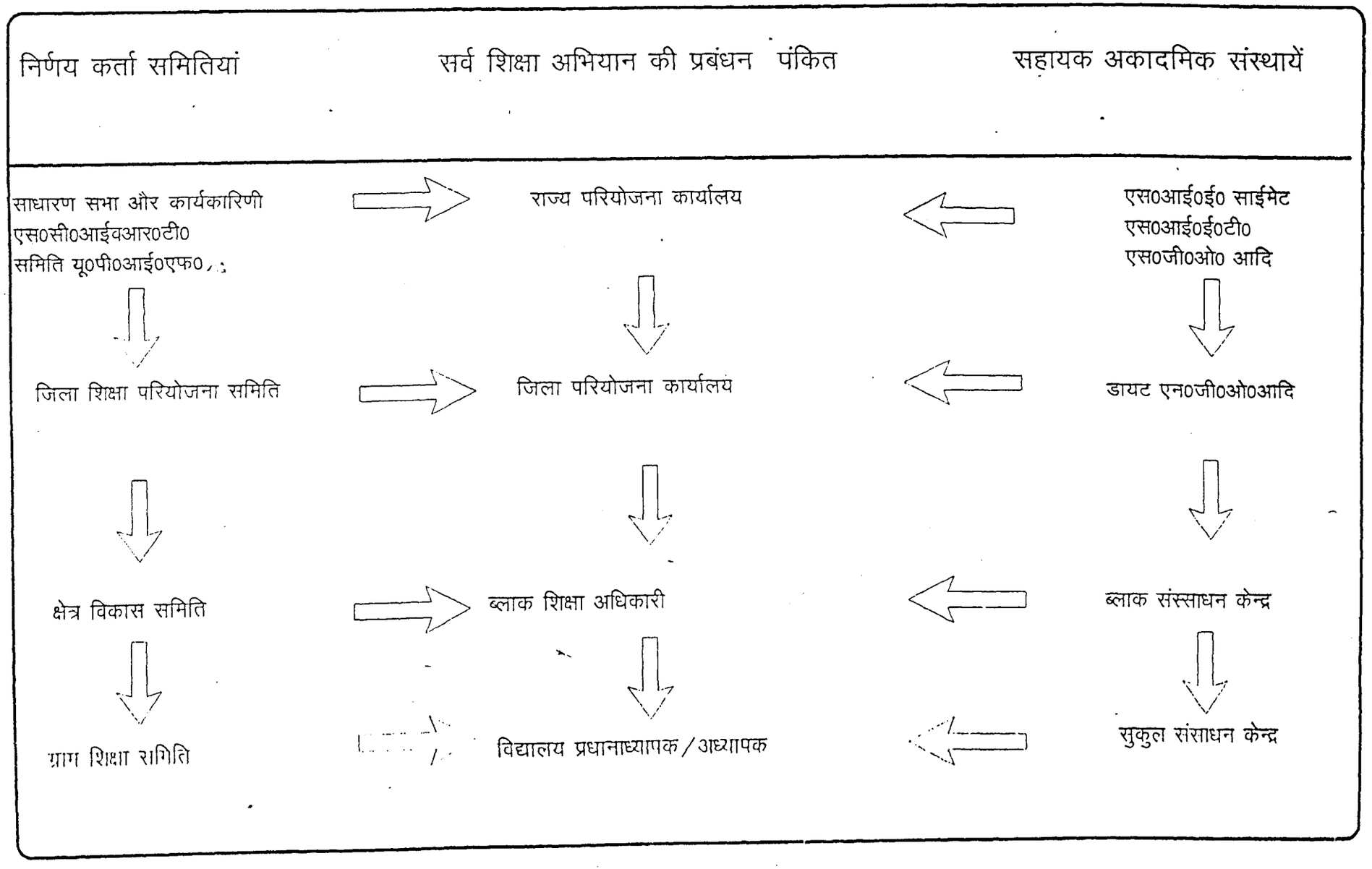
निर्णय कर्ता समितियां
सर्व शिक्षा अभियान की प्रबंधन पंकित
सहायक अकादमिक संस्थायें
साधारण सभा और कार्यकारिणी
एस0सी0आई0आर0टी0
समिति यू0पी0आई0एफ0
राज्य परियोजना कार्यालय
एस0आई0ई0 साईमेट
एस0आई0ई0टी0
एस0जी0ओ0 आदि
जिला शिक्षा परियोजना समिति
जिला परियोजना कार्यालय
डायट एन0जी0ओ0आदि
क्षेत्र विकास समिति
ब्लाक शिक्षा अधिकारी
ब्लाक संस्साधन केन्द्र
ग्राम शिक्षा समिति
विद्यालय प्रधानाध्यापक/अध्यापक
सुकुल संसाधन केन्द्र

कोहार्ट स्टडीः-

छात्र-छात्राओं के ठहराव में वृद्धि की प्रगति के अनुश्रवण हेतु जनपद में ड्राप-आउट दर ज्ञात करने हेतु तीन वर्ष में एक बार कोहार्ट स्टडी कराई जायेगी। स्टडी वाहय एजेन्सी द्वारा कराई जायेगी जिसका अनुश्रवण सीमेट द्वारा कराया जायेगा। यह स्टडी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के लिये पृथक पृथक से की जायेगी। एक स्टडी की अनुमानित लागत रू0 2लाख रखी गई है।

प्रोजेक्ट मेनेजमेंन्ट इन्फोरमेंशन सिस्टमः-

एम0आई0एस0 के द्वारा जनपद में परियोजना कार्यक्रमो के कियान्वयन की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की. रिपोर्ट प्रतिमाह तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजी जायेगी और जिन कार्यक्रमों की प्रगति धीमी है उनकी ओर जनपद के सम्बंधित कार्यक्रम अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जायेगा तथा प्रगति को बढ़ाने की प्रभावी कार्यवाही की व्यवस्था की जायेगी । जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत एल0ए0सी0आई0 के अंतर्गत कम्प्यूटराईज्ड वित्तीय प्रबंधन प्रणाली विकसित की जा रही है,जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उपयोग किया जायेगा,जिसके लिये भी एम0आइ0एस0 प्रयोग में लाया जायेगा ।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानः

गुणवत्ता में सुधार के लिये जिला स्तर पर पूर्व से ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है । जनपद का प्रशिक्षण संस्थान उ0प्र0बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत सुदृढ़ किया गया है । सर्व शिक्षा अभियान के व्यापक कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुये इसको और अधिक सुदृढ़ किया जायेगा । परियोजना के अंतर्गत इसके निम्नलिखित कार्य होंगेः-

1. विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु मास्टर ट्रेनर/संदर्भ व्यक्तियों को चयनित कर प्रशिक्षित कराना ।
2. राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख संस्थानों से सम्पर्क स्थापित करना तथा शिक्षा के अभिनव कार्यक्रमों और अनुसंधानों तथा अल्पकालिक शोध कार्यो के लिये डायट स्टाफ की क्षमता का विकास करना ।
3. ब्लाक स्तर के सन्दर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना तथा परियोजना द्वारा निर्धारित शैक्षिक कार्यक्रमों,शिक्षण विधियों और लक्ष्यों से अवगत करना ।
4. जिले स्तर की शिक्षा की समस्याओं के निदान एवं उपचार के लिये शोध कार्य करना और उसके परिणामों/निष्कर्षो की जानकारी सर्व संबंधित को उपलब्ध कराना ताकि आवश्यक उपाय किया जा सके ।
5. जिले के समस्त स्कूलों का गुणवत्ता मूलक निरीक्षण करना,उनके परिणामों का विश्लेषण करना तथा आवश्यकतानुसार अध्यापकों को मार्गदर्शन देना ।
6. ब्लाक संसाधन केन्द्रों के समस्त शैक्षिक किया-कलापों का निर्देशन एवं नियंत्रण करना ।
7. जिले स्तर पर अन्य विभागों एवं अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना तथा शैक्षिक कार्यो में नियोजन करना ।
8. जिले स्तर पर एकाडमिक संसाधन समूह का गठन करना ।
9. न्यूनतम अधिगम स्तर सुनिश्चित करना और इसके लिये बेस लाइन सर्वे कराना ।
10. शिक्षा के लिये नवाचार कार्यक्रम विकसित करना ।

11. शैक्षिक आंकणों(ई0एम0आई0एस0के माध्यम से संकलित) का विश्लेषण करना तथा नियोजन में उनके उपयोग करने हेतु जिला स्तर के अभिकर्मियों को प्रशिक्षण देना ।

12. शिक्षकों,समन्वयकों,ई0सी0सी0ई0 तथा बैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों,निरीक्षण अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित कराना ।

निर्माण कार्य के तकनीकि पर्यवेक्षण की व्यवस्थाः-

. सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत होने वाले विद्यालय निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तकनीकि पर्यवेक्षण की व्यवस्था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की भांति रखी जायेगी । निर्माण कार्य का तकनीकि पर्यवेक्षण ग्रामीण अभियंत्रण सेवा अथवा लघु सिंचाई विभाग के अभियंताओं से कराया जायेगा । जिसके लिये उन्हें मानदेय सर्वशिक्षा अभियान से दिया जायेगा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा व लघु सिंचाई विभाग में पूर्व से ही विकासखंड स्तर पर अभियंता उपलब्ध हैं मानदेय की जो दर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित है प्रथमतः उसी दर से भुगतान किया जायेगा । वर्तमान में प्रति प्राथमिक विद्यालय भवन हेतु रू0 1,000,प्रति अतिरिक्त कक्षा कक्ष/न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र हेतु रू0 500 तथा प्रति शौचालय हेतु रू0 200 की दर अनुमन्य है । प्राथमिक विद्यालय के भवन के साथ शैचालय के निर्माण के तकनीकि पर्यवेक्षण हेतु अलग से मानदेय नहीं दिया जायेगा । यह विद्यालय भवन में सम्मिलित माना जायेगा । तीन वर्ष बाद मानदेय की दर में संशोधन का प्रावधान रखा जायेगा अभियंताओं को मानदेय की धनराशि का भुगतान कार्य संतोषजनक होने पर जिलाधिकारी की अनुमति से जिला परियोजना कार्यालय द्वारा दिया जायेगा।

निधि का हस्तांतरण (फलो आंफ फण्ड):-

प्रत्येक वर्ष जनपद अपनी वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को प्रस्तुत करेगा। सीमेट के अप्रेजल के पश्चात एवं उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अनुमोदन के उपरान्त जिले की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट के आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा धनराशि जिला परियोजना कार्यालय एवं जिला शिक्षा परियोजना संस्थान के लिये अवमुक्त की जायेगी। प्रशिक्षण अकादमिक पर्यवेक्षण आदि गुणवत्ता कार्यक्रम हेतु धनराशि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा बी0आर0सी0एवं एन0पी0आर0सी0 को उपलब्ध कराई जायेगी। निर्माण वैकल्पिक शिक्षा आदि अन्य कार्यक्रमो के लिये धनराशि जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सम्बन्धित कार्यदाई संस्था जैसे ग्राम शिक्षा समिति ,स्वयं सेवी संस्थाओ, अध्यापको आदि के खातों के माध्यम से हस्तान्तरित की जायेगी।

सर्वशिक्षा अभियान के नाम से अलग बैंक खाता होगा जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा सहायक लेखाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से परिचालित किया जायेगा। सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद की वित्तीय सन्दर्शिका पहले से ही प्रख्यात है जिसके अनुसार जिलाधिकारी को विभाध्यक्ष के सभी अधिकार प्रतिनिधानित है । अतः रू0 5000 मूल्य से अधिक के सभी वित्तीय मामलो पर जिलाधिकारी की अनुमति आवश्यक है। इसी प्रकार की व्यवस्था जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पर भी लागू है । डायट का खाता भी डायट प्राचार्य एवं उसी के लेखा सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित होगा ।

ब्लाक संसाधन केन्द्र / नयाय पंचायत केंद्रों पर भी संयुक्त खाता खुला है जिसका पचिालन उ0प्र0सभी के लिये शिक्षा परियोजना के नियमो के अनुसार किया जा रहा है। वित्तीय संदर्शिका में लेखा जोखा रखने के लिये वित्तीय नियम स्पष्ट निर्धारित है। परचेज एवं प्रोक्योरमेंट के नियम भी इसी संदर्शिका में निर्धारित किये गये हैं जो परियोजना में भी अपनाये जायेंगे । यद्यपि सर्व शिक्षा अभियान की रूपरेखा में यदि संसोधन की कोई आवश्यकता होगी तो उत्तरप्रदेश सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा की जायेगी ।

समस्त लेखा सम्बंधित स्टाफ को एवं सर्व शिक्षा अभियान के नियमों तथा वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में प्रथम वर्ष में ही प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा समय समय पर रिफ्रेशर कोर्स भी आयोजित किये जायेंगे । परियोजना कार्यक्रमों की अधिकांश धनराशि ग्राम शिक्षा समितियों को भेजी जाती है जिनके बैंक में खाते पूर्व से ही संचालित हैं जिला परियोजना कार्यालय एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय को प्राप्त एवं व्यय धनराशि का संकलित विवरण प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा । समान्यतः राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा त्रैमासिक आधार पर धनराशि जिलों को अवमुक्त की जायेगी ।

फन्ड फ्लो डायग्राम

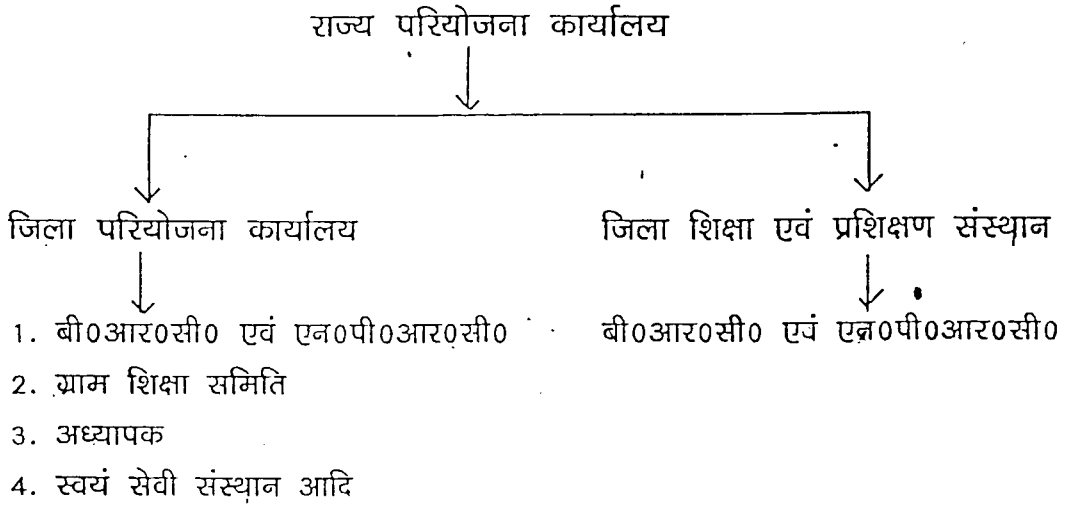

सम्प्रेक्षण व्यवस्थाः-

उ0प्र0सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अंतर्गत प्रतिवर्ष सर्व शिक्षा अभियान के सभी जनपदों में लेखे जोखे का स्वतंत्र सम्प्रेक्षण(इन्डिपेन्डेन्ट आडिट) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के माध्यम से किया जायेगा यह कार्य वित्तीय वर्ष समाप्ति के तुरन्त बाद कर दिया जायेगा । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का चयन व टर्म्स आफ रिफरैन्स फार आडिट का निर्धारण सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा । राज्य सरकार/भारत सरकार के नियमों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के समस्त जनपदों के लेखे लोखे का सम्प्रेक्षण (आडिट) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा भी प्रतिवर्ष किया जायेगा। राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ द्वारा भी समय समय पर आन्तरिक सम्प्रेक्षण (इन्टरनल आडिट) की व्यवस्था रहेगी।

मध्य सत्रीय उपचारात्मक प्रणाली की स्थापनाः-

परियोजना का कियान्वयन निर्धारित लक्ष्य व उद्देश्यों के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयकों, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों, प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों, बी0आर0सी0 समन्वयकों की पाक्षिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जायेगी जिनमें योजना कार्यो को सम्पादित करने में आने वाली समस्याओं के विषय में चर्चा की जायेगी एवं उसके स्थानीय समाधान हेतु प्रयास किया जायेगा। इसी प्रकार प्रचार्य डायट द्वारा संकाय सदस्यो व बी0आर0सी0 समन्वयकों की मासिक बैठक आयोजित की जायेगी और कार्यक्रमो के कियान्वयन तथा अनुभूति कठिनाइयों पर फीड बैक प्राप्त किया जायेगा राज्य स्तरीय निर्देश की आवश्यकता वाली समस्याओं को राज्य परियाजना कार्यालय में होने वाली मासिक बैठक में अवगत कराया जायेगा तथा मार्गदर्शन व निर्देश प्राप्त कर आवश्यक उपाय किये जायेगे साथ ही समय समय पर पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कार्यशालाओं के माध्यम से भी योजना को सशक्त किया जाता रहेगा और कमियो का निराकरण करते हुए सुधार लाया जायेगा। प्रत्येक माह जनपद में पी0एम0आई0एस0 रिपोर्ट तैयार की जायेगी जिसका विश्लेषण किया जायेगा एवं निष्कर्षो के आधार पर कार्य योजना के कियान्वयन व अनुश्रवण में आवश्यक संशोधन किया जायेगा । वार्षिक ई0एम0आई0एस0 डाटा के विश्लेषण से प्राप्त इन्डीकेटर्स का उपयोग परियोजना के कार्यक्रमों के कियान्वयन व नियोजन में किया जायेगा तथा यथाआवश्यक उपचारात्मक प्रयास अपनाये जायेगे।

आगामी वर्ष की वार्षिक कार्य योजना व वजट की संरचना के समय विगत वर्ष में प्राप्त अनुभव, अनुभूति कठिनाइयों , प्राप्त विभिन्न इन्डीकेटर्स को ध्यान में रखते हुए आगे के कार्य प्रस्तावित किये जायेगे ।

विभिन्न विभागों से समन्वय सम्बन्धी प्रस्ताव

भारतीय संविधान में 86th संशोधन के अन्तर्गत 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु 31 दिसम्बर 03 तक नामांकन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रारम्भिक स्तर पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु एक अध्यादेश भी संसद में विचारार्थ प्रस्तुत है। शिक्षा के सार्वजनीकरण को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विभागों से सहयोग अपेक्षित है जिससे शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यह आवश्यक है कि विभिन्न विभागों से सर्वभौमिकरण हेतु अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाए तथा दायित्व निर्धारण हेतु बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया जाए।

क्रम सं.	विभाग	अपेक्षित कार्यवाही
1.	नगर विकास विभाग	असेवित वार्डों में विशेषकर नवीन परिषदीय विद्यालयों हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराना।
2.	ऊर्जा विभाग	ब्लाक स्तरीय, न्याय पंचायत स्तरीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध करानां।
3.	विकलांग कल्याण विभाग	• District-wise Special School को designate करने का कष्ट करें जिनमें ऐसे विशिष्ठ विद्यालय जिनके पास Expert है तथा severe disabled बच्चों को पढ़ाने की क्षमताए हैं, उनको जनपद के अन्य severely disabled आउट आफ स्कूल बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु एक standard व्यवस्था कराने के लिए सहमति देने का कष्ट करें। • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संचालित CRR/CFC/DDRC से उपकरणों का

		वितरण बच्चों के लिए सुनिश्चित कराना।
4.	श्रम विभाग	• शिक्षा से वंचित बाल श्रमिकों की सर्वेक्षण के आधार पर NCLP विद्यालयों में समस्त बाल श्रमिकों का नामांकन कराना। • बच्चों को श्रम से मुक्त कराकर शिक्षा से जोड़ने में सहयोग कराना।
5.	आई.सी.डी.एस. विभाग	भारतीय संविधान के राज्य हेतु नीति निर्देशक तत्वों में 0-6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु राज्यों को निर्देश प्रदत्त हैं। अतः प्रदेश के सभी विकास खण्डों तथा नगरीय क्षेत्रों में भारत सरकार को सुविचारित प्रस्ताव हेतु आग्रह किया जाय। परियोजना का शत–प्रतिशत आच्छादन हेतु। ➢ पूर्व प्राथमिक शिक्षा की उपयोगिता पर कोई संदेह नहीं है। अतः समस्त स्कूलों को ई.सी.सी.ई. कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना आवश्यक है।
6.	पंचायत विभाग / ग्राम विकास विभाग	1. विद्यालयों की बाउंड्री वाल हेतु धन उपलब्ध कराना। 2. ग्राम स्तर पर गठित विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से शिक्षा हेतु जागरूकता पैदा करना।
7.	युवा कल्याण	1. ग्राम स्तर पर गठित युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के माध्यम से शिक्षा के पक्ष में वातावरण सृजन करना। 2. विद्यालय से बाहर चिन्हित बच्चों के नामांकन हेतु इन दलों को उत्तरदायित्व प्रदान करना। विशेषकर शहरी क्षेत्रों के 14 वर्ष तक के घुमन्तु

		बच्चे।
8.	प्रोबेशन विभाग (महिला एवं बाल–कल्याण विभाग)	शहरी क्षेत्रों में 14 वर्ष तक के घुमन्तू, कचरा बीनने वाले बच्चों तथा 'भीख' मांगने वाले बच्चों को आश्रय ग्रहों में दाखिल कराना ताकि उनके लिए शिक्षा व्यवस्था कराई जा सके।
9.	सूडा	शहरी क्षेत्रों में सूडा के सी.डी..एस केन्द्रों में विद्यालय संचालित किये जाने की व्यवस्था हेतु सहयोग प्राप्त करना।
10.	समाज कल्याण विभाग	विभिन्न जनपदों में संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षा से वंचित बच्चों आवासीय ब्रिज कोर्स के माध्यम से औपचारिक विद्यालयों की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु सहयोग प्राप्त करना।
11.	स्वैछिक संस्थाए एवं अन्य सामाजिक संगठन	शिक्षा के सार्वभौमिकरण, शत–प्रतिशत नामांकन ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु यथावश्यकता अनुसार सहयोग प्राप्त कराना

मीडिया

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर होर्डिंग्स लगाये गये हैं, जनपद स्तर पर प्रदर्शनी, गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है जिसका कवरेज स्थानीय समाचार पत्रों क माध्यम से किया जा रहा है।

आकाशवाणी द्वारा उ०प्र० के 11 रिले केन्द्रों के माध्यम से शैक्षिक गोष्ठियों/वाद विवाद/ वार्ताओं के प्रसारण की योजना प्रस्तावित है।

PROJECT COST
SARVA SHIKSHA ABHIYAN
Mahoba

(In thousands)

	Heads/Sub Heads Activity	Unit	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
		Cost	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
A	**ACCESS**													
A1	New Primary School Unserved	259	0	0	11	2849	0	0	4	1024	0	0	15	3873
A2	New Upper Primary Schools	451	18	8118	56	15680	0	0	4	1120	0	0	78	24918
A3	Salary of PS Asst. Teacher(2002-03)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4	Salary of Asst. Teacher(3 no.) in new school (2001-02/02-03)	10	54	6840	54	6480	54	6480	54	6480	54	6480	270	32760
A5	Salary of Shiksha Mitra 2003-04/05-6	2.25	0	0	11	148.5	11	272.25	15	371.25	15	371.25	52	1163.25
A6	Salary of Assistant Teachers(PS) 2003-04/05-06	9	0	0	11	594	11	1188	15	1620	15	1620	52	5022
A7	Salary of Assistant Teachers(UPS) 2003-04 (six months)/05-06	10	0	0	168	10080	168	20160	180	21600	180	21600	696	73440
A8	Teaching Learning Equipment		0	0	0		0		0		0			
A8.1	PS	10	0	0	11	110	0	0	4	40	0	0	15	150
A8.2	UPS	50	38	1900	56	2800	0	0	4	200	0	0	98	4900
A9	TLE UPS not covered OBB	50	50	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	50	2500
A10	Assessment Surve For UPS Per Year	200	0	0	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
	Total		0	**19368**	0	**38741.5**	0	**28300.25**	0	**32665.25**	0	**30271.25**		**149326.25**
	Interventions for out of school children		0	0	0		0		0		0			
A11	Alternative Schools		0	0	0		0		105		105			
A11.1	EGS (for 25 child per center))	0.85	0	0	0	0	0	0	100	2112.5	100	2112.5	200	4225
A11.2	Honraria	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.3	Training	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.4	Contingency	0.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.5	Equipment	1.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.6	Adm. & Management Cost AIE Primary including all models of DPEP(per child)- Shiksha	6.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A12	Ghar	0.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A13	AIE Upper Primary	1.2	0	0	12	432	75	2700	75	2700	75	2700	237	8532
A14	Back to school camps(per child)(for 40 children per center)	1.5	0	0	0	0	39	2340	39	2340	39	2340	117	7020
A15	Bridge/Remedial course PS	180	0	0	1	180	3	540	3	540	3	540	10	1800
A16	Bridge Course at NPRC level	0.85	0	0	39	1318.2	39	1318.2	39	1318.2	39	1318.2	156	5272.8
A17	Strengthening Maqtab/Madarsa(per center)	15.4	0	0	0	0	15	230.25	15	230.25	15	230.25	45	690.75
A18	Updation Of Microplanning	250	0	0	0	0	1	250	1	250	1	250	3	750
	ACCESS Subtotal		0	**19358.00**	0	**40671.70**	0	**35678.70**	0	**42146.20**	0	**39762.20**	**0**	**177616.80**
R	**RETENTION**		0	0	0		0		0		0			
R1	Reconstruction - PS	191	0	0	0	0	20	3820	20	3820	15	2865	55	10505
R2	Reconstruction - UPS	383	0	0	0	0	5	1915	5	1915	0	0	10	3830
R3	**Additional Classrooms**		0	0	0		0		0		0			
R3.1	Additional Classroom Primary Schools	70	0	0	0	0	125	8750	123	8610	0	0	248	17360
R3.2	Addl. Classroom Upper Primary Schools	70	13	910	25	1750	100	7000	100	7000	44	3080	282	19740
R4.1	Toilets Upper Primary	10	9	90	26	260	20	200	18	180	0	0	73	730
R4.2	Toilets Primary	10	0	0	0	0	200	2000	143	1430	0	0	343	3430
R5.1	Drinking Water Primary	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R5.2	Drinking Water Upper Primary	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R6.1	Repair & Maintenance of School Primary	5	0	0	581	2905	604	3020	604	3020	608	3040	2397	11985
R6.2	Repair & Maintenance of School UPS	5	101	505	101	505	207	1035	207	1035	211	1055	827	4135
[illegible]	Salary of Addl. Teachers PS@8 pm(02-03)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

R7.2	Salary of Additional teacher as Old Shiksha Mitra PS@2.25 pm	2.25	0	0	0	0	0	0	356	8811	394	9751.5	750	18562.5
R7.3	Salary of Additional Teacher (PS)	8	0	0	0	0	207	19872	235	22560	235	22560	677	64992
R7.5	Salary of Fresh SM(PS) to improve PTR(11 mths)	2.25	0	0	0	0	356	8811	38	940.5	39	965.25	433	10716.75
R10.1	School Improvement grant(p.a./school) Ps	2	0	0	15	30	604	1208	608	1216	608	1216	1835	3670
R10.2	School Improvement grant(p.a./school) UPs	2	101	202	160	320	207	414	226	452	226	452	920	1840
R12	**Promoting Girls Education**		0	938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	938
R12.1	Summer Camps	4.5	0	0	0	0	40	180	40	180	40	180	120	540
R12.2	MCDA	75	0	0	0	0	39	2925	39	2925	39	2925	117	8775
R12.3	Meena Manch	4	0	0	0	0	20	80	10	40	9	36	39	156
R12.4	SUPW for Girls Per School	25	0	0	0	0	200	5000	200	5000	204	5100	604	15100
R12.5	Trg./Refresher courses for Gender Coordinators	0.07	0	0	0	0	4	5.6	4	5.6	3	4.2	11	15.4
	Opening of ECCE centers		0	0	0		0		0		0		0	0
R13	Strengthening ICDS centers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13.1	Development & Distribution of ECCE Materials		0	0	0		0		0		0		0	0
R13.2	TLM(per center)	5	0	0	0	0	270	1350	270	1350	270	1350	810	4050
R13.3	Additional Honn. Of Instructor + Worker(per mth.)	0.38	0	0	0	0	270	1012.5	270	1012.5	270	1012.5	810	3037.5
R13.4	Contigency(per center)	1.5	0	0	0	0	270	405	270	405	270	405	810	1215
R13.5	Training		0	0	0		0		0		0			
R13.5a	Induction & Recurring	0.07	0	0	0	0	100	7	135	9.45	135	9.45	370	25.9
R16	Community Mobilization		0	0	0		0		0		0			
R16.1	MTA/PTA training for 2 days per person	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R16.2	Bal Mela at NPRC(5 pa per NPRC)	5	0	0	0	0	39	195	39	195	39	195	117	585
R16.3	Trg. of VEC/Community Leaders/person/day/BEC/WEC	0.48	0	0	0	0	247	118.56	247	118.56	247	118.56	741	355.68
R17	Award to Best VEC (2 no.)	25	0	0	0	0	2	50	2	50	2	50	6	150
R18	Award to Best Shiksha Mitra	5	0	0	0	0	1	5	1	5	1	5	3	15
R19	Special Interventions for SC/ST children	66.7	0	2212	0	0	39	2601.3	39	2601.3	39	2601.3	117	10015.9
R20	Computer Edu. For UPS(equip.)/UPS-Innovative Prog.	60	0	0	10	5000	5	300	5	300	5	300	25	5900
R21	School Health Check up/School PS+UPS	2.5	0	0	0	0	811	2027.5	826	2065	826	2065	2463	6157.5
	RETENTION Sub Total		0	**4857**	0	**10770**	0	**74307.5**	0	**77251.91**	0	**61341.76**	**0**	**228528.13**
Q	**QUALITY IMPROVEMENT**		0	0	0		0		0		0			
Q1	Training Programmes		0	0	0		0		0		0			
Q1.1	Induction Training for Shiksha Mitra(/perseon for 30 days)	2.1	0	0	11	23.1	239	501.9	43	90.3	39	81.9	332	697.2
Q1.2	Induction Trg. For Asst. Teacher(/person for 30 days)	0.07	114	239.4	0	0	239	501.9	54	113.4	39	81.9	446	936.6
Q1.3	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) HT + AT for PS	1.4	312	436.8	58	81.2	2088	2923.2	2138	2993.2	2215	3101	6811	9535.4
Q1.4	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) UPS	1.05	0	0	480	504	480	504	492	516.6	492	516.6	1944	2041.2
Q1.5	In-service Teachers Shiksha Mitra(/personfor 20 days)	0.07	0	0	0	0	235	329	478	669.2	517	723.8	1230	1722
Q1.6	Induction Training of EGS & AIE workers(/person for 30 days)	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q1.7	Trg. Of BRC coordinators/Asst. Coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0	0	0	12	8.4	12	8.4	12	8.4	36	25.2
Q1.8	Trg. Of NPRC coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0	0	0	39	27.3	39	27.3	39	27.3	117	81.9
Q1.9	Trg. Of resource persons at DIET(/person for 20 days)	0.07	0	0	0	0	10	14	10	14	10	14	30	42
Q.10	ABSA/SDI Trg.(/person for 5 days)	0.07	0	0	0	0	8	2.8	8	2.8	8	2.8	24	8.4
Q2	IED Provision for disable children	1.2	242	96.8	749	898.8	841	1009.2	898	1077.6	945	1134	3675	4216.4
Q2.1	**IED**-Medical Assessement	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.2	Printing of Modules	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.3	Funds for NGOs	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.4	Pre Integrated Skills ICDS workers training	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.5	Support Services/Residential Camps	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.6	Training of Master Trainers													

Q2.9	Parents Councelling and IEP formation	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.10	Awareness workshop	5.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.11	Extra Curricular Activities	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.12	Foundation Course by RCI	8.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.14	Master Trainer training @ 1.31x2x2	1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q3	AWPB Review & Trg. Of Plg. Teams by SIEMAT(5 days)	2.5	0	0	0	0	4	10	4	10	4	10	12	30
Q4	Trg. On EMIS by SIEMAT(3 days)	2.0	0	0	0	0	3	6	3	6	3	6	9	18
Q5	Teacher Learning Material		0	0	0		0		0		0			
Q5.1	Teacher grant (Teachers+Shiksha Mitra)	0.5	0	0	88	44	2085	1042.5	2142	1071	2219	1109.5	6534	3267
Q5.2	Teacher Grant (UPS)	0.5	426	213	890	445	269	134.5	281	140.5	281	140.5	2147	1073.5
Q5.3	Free Text book PS	0.05	0	0	791	39.55	69808	3490.4	70599	3529.95	73234	3661.7	214432	10721.6
Q5.4	Free Text book UPS	0.15	11088	1663.2	32049	4807.35	18446	2766.9	18854	2828.1	19262	2889.3	99699	14954.85
Q5.5	School Library	0.15	0	0	0	0	0	0	826	123.9	826	123.9	1652	247.8
Q5.6	Dev. Printing & Dist. of AS Trg. Modules	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q5.7	Children Learning Evaluation (PS) 3 times	15	0	0	0	0	604	9060	604	9060	604	9060	1812	27180
Q5.8	Children Learning Evaluation(UPS) 3 times	7.5	0	0	0	0	207	1552.5	222	1665	222	1665	651	4882.5
Q5.9	School Awards (Academic Olympiad)	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
	QUALITY Sub Total		0	**2649.2**	0	**6843**	0	**23909.5**	0	**23972.25**	0	**24382.6**		**81756.55**
C	**CAPACITY BUILDING**		0	0	0		0		0		0			
C1	DIET Capacity Building		0	0	0		0		0		0			
C1.1	Equipments/Furniture/Computer	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.2	Telephone/Fax	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.3	Maintenance of Computer Room	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.4	Educational Tour & Survey	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.5	Travelling Allowance	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.6	Hiring	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.7	POL and Maintenance of Vihicle	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.8	Seminar	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.9	Research/Action Research	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.10	Exposure Visit	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.11	Salary of Computer Operator	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.12	Salary of Driver (where applicable)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.13	Consumable/Computer Stationary	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C1.14	Contingency	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2	Block Resource Center		0	0	0		0		0		0			
C2.1	Civil Construction	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.2	Salary Coordinator @ of 12 for 12 mths	12	0	0	0	0	0	0	4	576	4	576	8	1162
C2.3	Asstt. Coordinator (1 no.) @10 for 12 mths	5.5	0	0	0	0	0	0	8	528	8	528	16	1056
C2.4	Chokidar one no. for 12 mths @ 3.0	3	0	0	0	0	0	0	1	36	1	36	2	72
C2.5	Equipment/Furniture Fixture	10	0	0	0	0	0	0	1	10	1	10	2	20
C2.6	Travelling Allowance & Meetings	6	0	0	4	24	0	0	0	0	0	0	4	24
C2.7	Maintenace of Equipment	2	0	0	0	0	0	0	4	8	4	8	8	16
C2.8	Maintenace of Building	10	0	0	0	0	4	40	4	40	4	40	12	120
C2.9	TLM(per center)	5	0	0	4	20	4	20	4	20	4	20	16	80
C2.10	Consumables	5.0	0	0	0	0	4	20	4	20	4	20	12	60
C2.11	Contigency	12.5	0	0	4	50	4	50	4	50	4	50	16	200
C2.12	Monthly Review Meeting of CRC Coordinators/meeting	0.3	0	0	0	0	4	14.4	4	14.4	4	14.4	12	43.2
C2.13	Contigency - ABSA	5.0	0	0	0	0	4	20	4	20	4	20	12	60
C3	School Complex (NPRC)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3.1	Construction	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C3.2	Salary Co-ordinator @12 for 12 mths	12	0	0	0	0	0	0	39	5616	39	5616	78	11232
C3.2	Equipment/Furniture Fixture	5	0	0	0	0	39	195	39	195	39	195	117	585
C3.3	Books for Library/Book Bank TLM	1	0	0	39	39	39	39	39	39	39	39	156	156
C3.4	Contingency	2.5	0	0	39	97.5	39	97.5	39	97.5	39	97.5	156	390
C3.5	Monthly Review Meeting at CRC & TA	2.4	0	0	39	93.6	39	93.6	39	93.6	39	93.6	156	374.4
C4	District Project Office/Management		0	654	0	1070	0	0	0	0	0	0	0	1724
C4.1	Staffing		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.2	BSA/AAO/DC	15	0	0	0	0	0	0	7	1260	7	1260	14	2520
C4.3	Salary of AE	15	0	0	0	0	1	180	1	180	1	180	3	540
C4.4	Equipment Maintenance	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C4.5	Furniture/Fixtures	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C4.6	Books/Magazine/News papers	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
C4.7	POL For ABSA/SDI Per Head per Month	18	0	0	0	0	1	18	1	18	1	18	3	54
C4.8	Travelling Allowances	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
C4.9	Consumaables	40	0	0	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120
C4.10	Telephone/FAX	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C4.11	Vehicle Maintenance & POL	100	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	3	300
C4.12	Pay to JE	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.13	Hiring of Vehicle	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
C4.14	Supervision & Monitoring per school PS	1.4	0	0	0	0	1	1.4	1	1.4	1	1.4	3	4.2
C4.15	Supervision & Monitoring per school UPS	1.4	139	194.6	109	152.6	1	1.4	1	1.4	1	1.4	251	351.4
C4.16	Contingency	100	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	3	300
C4.17	AWP & B	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
	Total		0	848.6	0	1546.7	0	1180.3	0	9214.3	0	9214.3		22004.2
C5	MIS		0	0	0		0		0		0			
C5.1	MIS Cell Furnishing	200	0	0	1	200	0	0	0	0	0	0	1	200
C5.2	Salary of Computer Programmer	12	0	0	0	0	1	144	1	144	1	144	3	432
C5.3	Salary of Computer Operator for 12 mths	7.5	0	0	0	0	1	90	1	90	1	90	3	270
C5.4	Purchase of Computer & Equipment MIS Equipments	100	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	3	300
C5.5	Furnishing of MIS cell	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C5.6	Computer Software	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C5.7	Upgradation and Networking	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C5.8	Prining & Distribution of Data Formats	40	0	0	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120
C5.9	Maint. of Equip.& Consumables	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C5.10	Computer Consumable	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
C5.11	Training Of Computor Staff	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
C5.12	Monitoring, Management & Collection of Formats	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
	CAPACITY Sub Total		0	**848.6**	0	**1746.7**	0	**1704.3**	0	**9738.3**	0	**9738.3**	**0**	**23776.2**
	GRAND TOTAL		0	27712.8	0	60031.40	0	135599.96	0	153108.66	0	135224.86	0	511677.68

Year-wise Amount Proposed And Percentage Of Major Intervention	2002-03	2003-04	20004-05	2005-06	2006-07	Mahoba Total
Civil	9118.0	20539.0	23685.0	25099.0	5945.0	84386.0
Management	194.6	152.6	1094.8	2354.8	2354.8	6351.6
Programme	18400.2	39339.8	110820.2	125654.9	126925.1	420940.1
Total	**27712.8**	**60031.4**	**135600.0**	**153108.7**	**135224.9**	**511677.7**
Percentage - Civil	**32.9**	**34.2**	**17.5**	**16.4**	**4.4**	**16.5**
Percentage - Management	**0.7**	**0.3**	**0.8**	**1.5**	**1.7**	**1.2**
Percentage - Programme	**66.4**	**65.5**	**81.7**	**82.1**	**93.9**	**82.3**
Percentage - Total	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**